Page No.1

5097 - 6001

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का ३३वां दिवस [संख्या २१

सोमवार, दिनांक २७ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, राजस्व, शक्ति, विकास, सार्वजनिक निर्माण, समाज-कल्याण, उद्योग एवं नियुक्ति-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या ५४९

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५५०

श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५५१

श्री शंकरलाल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५५२

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

राजस्थान कॉलेज

५५३. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) [रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

क्या यह सही है कि राजस्थान कॉलेज अन्य कॉलेजों से पृथक है और इसका सीधा

Page No.2

(डॉ० बहादुरसिंह)

कन्ट्रोल शिक्षा सचिव से रखा गया है जब कि दूसरे राजकीय कॉलेजों का कान्ट्रोल डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन के अधीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप–मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) ; जी हां ।

डॉ० बहादुरसिंह : यह अलग क्यों रक्खा गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह विशेष प्रकार का कॉलेज है और इसमें जो स्टाफ है उसका वेतन स्तर भी अच्छा है और इसमें सरकार चाहती है कि खास तौर से शिक्षार्थियों की निगरानी रखी जावे । कॉलेज का प्रबन्ध एक गवर्निंग कौंसिल के द्वारा होता है और वह अपनी डाइरेक्ट रिपोर्ट सरकार को देती है ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : ऐसी कॉलेज में क्या विशेषताएं हैं, कृपया वे विशेषताएं बतलावें ।

शिक्षा मन्त्री(श्री मोहनलाल सुखाड़िया): डाइरेक्टर भी इसके मेम्बर हैं, वाइस चान्सलर भी हैं और इसकी एक हाई पॉवर कमेटी है जिसके वे स्वयं मेम्बर हैं, एज्यूकेशन मिनिस्टर, चेयरमैन बोर्ड और सेक्रेटरी इसमें हैं, तो सारी चीजें इसमें थ्रेश आउट हो जाती हैं, इसलिये डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन के अन्डर में रखने की आवश्यकता नहीं रह जाती ।

श्री श्रीभानसिंह : यह तो विशेष मैनेजमेन्ट हुआ । पर इसे अलग रखने की क्या विशेषताएं हैं जिससे इसे और कॉलेजों से अलग रखा गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस बा में सदन में काफी चर्चा पहले भी हो चुकी है । इसमें प्रिन्सिपल और ट्यूटोरियल स्टाफ उच्च स्तर और उच्च वेतन का है, ताकि ज्यादा वजन उच्च स्तर की शिक्षा पर दिया जा सके । ज्यादा समय तक विद्यार्थी कॉलेज में रहें और आगे चलकर विद्यार्थी ऑल इण्डिया कम्पीटीटिव परीक्षा में बैठ सकें और उत्तीर्ण हो सकें, इस दृष्टि से उनको अच्छे मैरिट्स पर सिलेक्ट किया जाता है ताकि आगे चलकर वे आल टाइम्स ऑफ रेस्पोन्सिबिलिटी उठाने लायक बन सकें ।

श्री श्रीभानसिंह : क्या ये विशेषताएं और कॉलेजों में इन्ट्रोड्यूस नहीं की जा सकतीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैरिट्स पर एडमिट कराकर उतना रेश्यो लेकर होस्टल की फेसीलिटी देकर और इसके बाद स्टाफ को भी खास तौर से रिक्रूट करना, ये सारी फेसीलिटीज़ सभी कालेजों में प्रोवाइड करना कई कारणों से मुश्किल है ।

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह किसी शिक्षा विशेषज्ञ से जानकारी की थी कि कोई ऐसा कॉलेज भी हो जिसमें फर्स्ट डिविज़न को ही एडमिशन दिया जावे बाकी अन्य यूनीवर्सिटी या कॉलेज में जावें ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इससे यह अर्थ नहीं निकलता । दूसरी जगह भी फर्स्ट और सेकन्ड क्लास वाले जाते हैं, पर इस

Page No.3

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कॉलेज में जिनको प्रवेश दिया जावे उनको मैरिट्स पर दिया जावे, सिर्फ फर्स्ट डिविज़न वाले को ही नहीं। एक तादाद निश्चित है उनके लिये यह नियम है सेकन्ड डिविज़न से नीचे वालों को नहीं लिया जावे और उस निश्चित तादाद तक ही भर्ती करें।

श्री श्रीभानसिंह : क्या इसका यह मतलब होता है कि जितने भी राजस्थान के कॉलेजेज़ हैं उनमें मैरिट्स वालों को एडमिशन दिया जावे। बाहर से इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे उत्तर से यह स्पष्ट है।

श्री श्रीभानसिंह : आपके उत्तर से तो यह मालूम हुआ कि जितने अन्य कॉलेज हैं वे मैरिट्स वालों के लिये कैटर नहीं करते और जो मैरिट्स वालों के लिये कैटर करते हैं वह राजस्थान कॉलेज ही है। तो जो आज मैरिट्स को कैटर नहीं करने वाले हैं तो मैरिट्स को भी सभी को कैटर किया जावे, इसका आगे आप प्रबन्ध करेंगे कि नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जितनी तादाद आम तौर पर कॉलेजों में होती है उससे कम रख कर इन्टेन्सिव तरीके से एज्यूकेशन देने की कोशिश की जा रही है वह दूसरी जगह विद्यार्थियों की जितनी तादाद है और दूसरी सुविधाएं हैं उनको देखते हुए इस तरह से इन्टेन्सिवली और इन्डिविज्युअली हरेक पर जितना अटेन्शन पे किया जाता है उतना करना मुश्किल होता है। इसके पीछे यह भावना भी रही है कि बहुत सी आॅल इण्डिया कम्पीटीटिव परीक्षाएं और दूसरी चीजें होती हैं तो उनमें भाग लेने में राजस्थान पिछड़ न जावे इसके लिये भी इनटेन्सिवली ट्रेन्ड करना चाहिये जिससे उस फील्ड में ठीक परफोर्मेन्स कर पावें। अब पूछा गया कि इस तरह के कॉलेज और कहीं भी हैं तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक स्कूल्स और इन तरीकों पर रन करने वाले इन्स्टीट्यूशन्स भी हैं।

श्री श्रीभानसिंह : क्या किसी विशेषज्ञ ने सलाह दी थी कि जितने भी हायर स्टडी की इन्स्टीट्यूशन्स हैं, यूनीवर्सिटीज़ हैं, वहां इन्टेन्सिव ट्रेनिंग के बजाय चूंकि सैल्फ ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है जनरल कालेजों में तो, इन्टेन्सिव ट्रेनिंग की तो छोटी क्लासों तक, स्कूलों की स्टेज तक ही जरूरत पड़ती है; इसलिये यहां सैल्फ ट्रेनिंग की व्यवस्था न करके इस हायर ट्रेनिंग के लिये भी इन्टेन्सिव ट्रेनिंग दी जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि एक्सपर्ट एक नहीं, काफी इसकी कमेटी में मौजूद हैं।

श्री श्रीभानसिंह : इसके प्लान से पहले भी किसी शिक्षा विशेषज्ञ से पूछा गया था कि नहीं कि इस तरह की शिक्षा-प्रणाली कॉलेज स्तर की शिक्षा में भी अपनाई जाय या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिनसे सलाह की जाती है उनसे की गई थी।

श्री श्रीभानसिंह : ऐसे कौन हैं जिनसे सलाह ली थी ?

श्री अध्यक्ष : We cannot have a discussion of this nature.

Page No.4

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कौन-कौन थे इस पर इसी सदन में कई बार डिस्कस कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : Why not do a unique thing also ?

श्री श्रीमानसिंह : Yes, that is all right.

प्रश्न संख्या ५५४

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५५५

श्री मोतीबाबा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५५६

श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय।

कोटा जिले के जागीरदारों को खुद काश्त भूमि के नियतन में विलम्ब

५५७. दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : Will the Revenue Minister be pleased to state:-

(1) How many applications were submitted for allotment of khudkasht lands from the former Jagirdars of Kota District ?

(2) How many have been decided and lands allotted ?

(3) How many are still pending ? Please give details.

(4) What is the reason for the delay in allotment ?

(5) By what time would these remaining Jagirdars be allotted Khudkasht lands ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (1) 96.

(2) 89.

(3) 7. Five applications are under report. Jagirdars have not specified suitable lands. Two applications are pending in the office of the Commissioner, Khudkasht.

(4) Jagirdars have not specified suitable lands.

(5) As soon as suitable lands are found out allotment would be made.

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या उनको सूचना दी गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : स्पेसिफिक लैण्ड नहीं बताने के कारण दरख्वास्त पेन्डिंग पड़ी है।

श्री दयाकृष्ण विजय : पर जब तक सूचना नहीं देंगे तब तक क्या पता लगेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कहता हूं कि लॉ में यह प्रोवाइडेड है कि कौनसी लैंग्ड चाहिये इसका जिक्र उसमें होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन ।

तहसील दौसा में बिजली प्रदान करने की योजनाएं

५५८. श्री रामधन (दौसा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जमवा रामगढ़ से जो बिजली दौसा को आई है वह रास्ते के किन-किन गांवों को दी जावेगी ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(ख) क्या तहसील दौसा में बिजली देने की सरकार की ओर कोई अन्य योजना भी है ? यदि हां, तो वह क्या ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) अभी ऐसी कोई योजना नहीं है ।

(ख) इस समय कोई स्कीम नहीं है ।

श्री रामधन : पहले यह आश्वासन दिया गया था कि १९६१ में गांवों में बिजली दे दी जावेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : कहां दे दी जावेगी ?

श्री रामधन : तहसील दौसा के गांवों में ।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है ।

श्री रामधन : सूचना तो नहीं है, पर क्वेश्चन में उत्तर मिला था मुझे पहले ।

श्री अध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह ।

अकाल-ग्रसित फुलेरा व दूदू तहसील में किसानों से लगान की वसूली

५५९. रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि जयपुर जिले को फुलेरा व दूदू तहसीलों में इस वर्ष दुष्काल के कारण फसलें नष्ट हो गई ?

(ख) क्या यह सही है कि इस कारण किसान लगान चुकाने में असमर्थ हैं और फिर भी उनसे लगान वसूल किया जा रहा है ?

(ग) क्या सरकार इन्हें अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर रही है ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) वर्षा की कमी के कारण फसलों को हानि हुई है ।

(ख) जी नहीं । जहां फसलों को आठ आने या इससे अधिक हानि हुई है वहां लगान वसूल नहीं किया जा रहा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Page No.6

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आपने भी देखा है और रिपोर्ट भी आई है। हानि तो काफी हुई, इसमें तो फर्क था नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : वही मैं अर्ज कर रहा हूं कि हानि आने आठ से ज्यादा नहीं हुई।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इसमें अकाल के गांवों को छूट दी जा सकती है या नहीं?

श्री दामोदरलाल व्यास : जितने में हैं उनको अकालग्रस्त घोषित किया है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : रिलीफ वर्क आपने कौनसे खोले हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : दूदू में अभी शुरू नहीं हुई हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : किस किस गांव में अकाल है?

श्री दामोदरलाल व्यास : ५६ गांवों में है। There are some 59 villages. If the Hon. member so desires, I can read out the list, but it is a very long list. You can have the list from me and it has perhaps been published in the Gazette also.

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू सु०) : पंचायत समिति दूदू से यह शिकायत आई है कि तहसीलदार ने पूरी जांच नहीं की इसलिये दुबारा जांच को जावे?

श्री दामोदरलाल व्यास : हां, आई थी। कलेक्टर खुद गांवों में गया और दुबारा जांच करके आया है।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

बारां विकास खण्ड द्वारा पशु नस्ल सुधार हेतु प्रदत्त ऋण का उपयोग

५६०. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) बारां विकास खण्ड की ओर से सन् १९५७—५८, ५८-५९ तथा ५९-६० में किस किस व्यक्ति को कितना-कितना ऋण पशु नस्ल सुधार के हेतु दिया था?

(ख) क्या जिन व्यक्तियों को यह राशि दी गई है-उन्होंने उसे उसी कार्य में लगाया है?

(ग) यदि हां, तो उस समय उनके पास किस-किस नस्ल की कितनी गायें हैं तथा क्या कोई बछड़ा सांड बनने योग्य हुआ है?

उप-मंत्री विकास (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) सदन की मेज पर रखी गई सूची में इस सूचना का भी उल्लेख कर दिया गया है।

(ग) सदन की मेज पर रखी गई सूची में इस सूचना का भी उल्लेख कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री दयाकृष्ण विजय : इसका उपयोग जिन्होंने नहीं किया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पी० डी० आर० के तहत रकम वसूल करने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : ये आदेश कब दिये गये हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : १०-९-६० को।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जो रकम दी जाती है यह किन्हीं शर्तों के आधार पर दी जाती है या यों ही दे दी जाती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : शर्त यह है सबसे बड़ी कि जिस काम के लिए रकम दी जाये उसी काम में हो खर्च की जानी चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर उस काम के लिए कोई इस्तेमाल नहीं करता है और उसे वह किसी और काम में ले लेता है तो आप उससे वसूल करते हैं, तो फिर उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करते हैं आप ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मय ब्याज के रकम वसूल कर ली जाती है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या रकम देने के पहले यह देखा जाता है कि जो रकम एनीमल ब्रीडिंग के लिए दी जाती है तो उस व्यक्ति के पास कोई जानवर भी होना जरूरी होता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वह तो विभाग के द्वारा सारी कार्यवाही पूरी होने के बाद ही रकम दी जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास : कोई बहुत ज्यादा रकम इस प्रकार से ले ले और उसका ब्याज भी दे दे और उस रकम का कोई दूसरा उपयोग करे तो ऐसी स्थिति में उसे रोकने के लिए सरकार क्या सोचती है, क्या उसको सजा मिलनी चाहिए ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप क्या सुझाव देते हैं ? ऐसा कहीं हो जाये तो वहां वसूली के बाद क्या कार्यवाही की जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष : कुछ पैनल्टी लगाई जा सकती है।

श्री दलपतसिंह : क्या ऐसा नियम है कि रकम देने के तीन महीने के अन्दर अन्दर अगर उसके पास पशु नहीं हैं तो पशु ले लेना चाहिए ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : विभाग के नियम बने हुए हैं, उनमें समय दिया हुआ होता है। उसके अन्दर नहीं होता है तो वसूली की बात होती है और जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कुछ पैनल्टी होनी चाहिए तो इसके ऊपर विभाग कुछ जांच कर लेगा।

प्रश्न संख्या ५६१

श्री अध्यक्ष : मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री मोतीलाल चौधरी।

श्री मनरूपराम परिहार : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ५६२ का उत्तर दिला दिया जाये।

बकरा लाग

५६२. **श्री मोतीबाबा चौधरी** (बाली) [श्री मनरूपराम परिहार (खारची—सु०) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

Page No.8

(श्री मोतीलाल चौधरी)

(१) राजस्थान में किन-किन जिलों में अब भी बकरा लाग ली जाती है ?

(२) उपरोक्त लाग किस-किस रेट से वसूली की जाती है ?

(३) क्या राजस्थान के भिन्न-भिन्न जिलों में यह रेट भिन्न भिन्न हैं ?

(४) क्या यह सही है कि देसूरी तहसील के ग्राम बांसवाड़ा के रायकान से यह लाग वसूल की गई है ? यदि हां, तो किस रेट से ?

(५) पाली जिले में ऐसे कौन कौन से ग्राम हैं जहां से यह लाग वसूल की जा रही है और कब से ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) अब बकरा लाग कहीं भी नहीं ली जाती है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) यह सही नहीं है।

(५) लाग वसूल नहीं की जा रही है।

प्रश्न संख्या ५६३

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

सवाई माधोपुर टोंक सड़क पर स्थित नालों पर पुलियाओं का निर्माण

५३४. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) [रावराजी श्री सरदारसिंह (उनियारा) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) सवाई माधोपुर से टोंक वाली सड़क पर कितने बड़े व कितने छोटे नाले पड़ते हैं और वे किस नाम से हैं ?

(ख) इनमें कौन-कौन से नालों पर पुलिया बंधा दी गई हैं, किन-किन पर काम चल रहा है तथा किन पर अब काम चालू होगा ?

(ग) क्या जिन पर अब काम चालू होगा उनकी स्वीकृति हो चुकी है ? अगर हां, तो कितनी स्वीकृतियां हुई और किसके नाम ठेके हुए हैं ? यह कार्य कब तक सम्पन्न होगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चंद्र): (क) सवाई माधोपुर से टोंक वाली सड़क पर कुल बड़े व छोटे ५० नाले आते हैं, सूची प्रस्तुत है।

(ख) इनमें से १० नालों पर पुलिया बना दी गई है, बाकी नालों के लिए सिवाय गलवा नाले के छोड़कर कोई भी स्वीकृति नहीं है।

(ग) केवल गलवा नाले पर पुल बनाने की स्वीकृति हुई है। जिसके लिए ६५,२०० रु. की टेकनीकल स्वीकृति दी गई है। ठेका अभी किसी को नहीं दिया गया है, आशा है वह कार्य तृतीय योजना-काल में पूर्ण हो जायेगा।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

Page No.9

डॉ० बहादुरसिंह : बकाया ४० नालों के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने अर्ज किया कि अभी कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : वैसे आप वहां पुल बनाना चाहते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : अगर फाइनेन्सेज़ हुए तो बना दिये जायेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : दूसरा जो गलवा नाला है उसका निर्माण कब प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र मैंने कहा कि तृतीय योजना-काल में पूर्ण हो जायेगा।

प्रश्न संख्या ५६५

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री बी० एन० जोशी।

गवर्नमेन्ट हाई स्कूल, बांदीकुई में शिक्षकों की कमी

५६६. श्री बिशम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : Will the Education Minister be pleased to state:—

(1) What is the total number of students on rolls in the Government High School, Bandikui ?

(2) What is the present sanctioned strength of the teaching staff of this school ?

(3) What should be the strength of the teaching staff required at the school in view of the number of sections in each class and the rules of the department in this connection ?

(4) Is it a fact that the students of this school had gone on strike in the beginning of the session to protest against the inadequacy of the staff ?

(5) Is it further a fact that the Inspector of Schools and the Deputy Director of Education, Jaipur Division, have duly moved for the revision of the strength of the teaching staff of this school on a permanent basis, so as to prevent the recurrence of such unpleasant beginnings in future ?

(6) Has any action been taken so far on the recommendation of the Inspector of Schools and the Deputy Director for Education ? If not, why not ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (1) The total number

Page No.10

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

of strength on rolls in Government High School, Bandikui is as follows:—

Class X	A	44
	B	47
	C	37
	D	36
Class IX	A	45
	B	44
	C	45
	D	51
Class VIII	A	50
	B	50
	C	51
Class VII	A	47
	B	51
	C	46
	D	42
Class VI	A	42
	B	54
	C	55
	D	47
	E	53

The present sanctioned strength of teaching staff is as follows:—

Trained Graduate	4
Untrained Graduate	2
Trained Inter	5
Trained Matric	3
Trained Middle	3

(3) According to the Sections at least 25 teachers, excluding the Head Master, are necessary.

(4) Yes. Now sufficient staff has been provided in the school.

(5) Yes.

(6) Two additional posts i. e. one of P. T. Instructor and the other of Inter Trained grade have been provided.

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : Would you give the grand total of the part 1 ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : 947.

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर ।

चाकराना माफीदारों को मुआवजा

५६७. श्री सोहनलाल भटनागर (सबूम्बर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में चाकराना माफी रखने वाले व्यक्तियों को मुआवजा देने सम्बन्धी अधिनियम कब प्रभाव में आया ?

(ख) राजस्थान में चाकराना माफी रखने वाले कितने माफीदार हैं और उनमें से

Page No.11

श्री सोहनलाल भटनागर)

कितने आदमियों के मुआवजे के मामले तय हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि ऐसे चाकराना माफी के मामलों के मुआवजे के प्रश्न तय किए बिना मुख्य जागीरदार के मुआवजे की रकम तय की जा रही है और ऐसे चाकराना मुआफी के मुआवजे की रकम मुख्य जागीरदार के मुआवजे में जोड़ी जा रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) दिनांक १४-१०-५६ से लागू किया गया ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार चाकराना माफीदार ५२,२२१ है जिनमें से २६,४०८ केसेज़ तय हो चुके हैं।

(ग) एक्ट के लागू होने के बाद से चाकराना माफी को मुख्य जागीर की आय में शुमार करने का प्रश्न नहीं है ।

श्री सोहनलाल भटनागर : पहले वाले केसेज़ में क्या होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Law will have its course.

श्री सोहनलाल भटनागर : When ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Depends upon the Chakrana Maufidars to seek their interest in a court of law.

श्री सोहनलाल भटनागर : अकोर्डिंग टू लॉ की जरूरत नहीं है, उसमें से काटना चाहिए ।

श्री दामोदरलाल व्यास : काटना चाहिए, कार्यवाही तो उनको करनी चाहिए Government has nothing to do. We have made the law and rules.

श्री सोहनलाल भटनागर : लॉ में कोई प्रोवीज़न नहीं है । उनको इन्डिपेन्डेन्ट जागीरदार माना है और यह प्रोवीज़न किया है कि मुख्य जागीरदार में से काट दिया जाता तो it is the duty of the Jagir Commissioner.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is the duty of the parties to approach the Jagir Commissioner. If they are not satisfied with his decision, they can go to a court of law.

प्रश्न संख्या ५६८

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५६९

राव नारायणसिंह (मसूदा) ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री रामधन ।

दौसा और सिकराय तहसीलों में खोली गई पाठशालाएं

५७०. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

तहसील दौसा और सिकराय में सन् १९५६ से ६० तक कितनी प्राइमरी पाठ-

Page No.12

(श्री रामधन)

शालाएं, माध्यमिक शालाएं और हायर सेकन्डरी पाठशालायें खोली गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री रामधन : मुझे सूची नहीं मिली ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं पढ़कर सुना देता हूँ।

तहसील दौसा में १९५६–५७ में प्राइमरी स्कूल पालावास, मूंडाघीसिया मौनपुरिया, चाचरिया, खोरी, खेरला खुर्द में खोली गई और कोई मिडल व हायर सेकन्डरी स्कूल नहीं खोली गई।

१९५७–५८ में जेराता खुर्द और चवियावास में प्राइमरी स्कूल खोली गई और कोई मिडल व हायर सेकन्डरी स्कूल नहीं खोली गई।

१९५८–५९ में चारडी, खोरीकाला और दरलावता में प्राइमरी स्कूल खोली गई और कोई मिडल व हायर सेकन्डरी स्कूल नहीं खोली गई।

१९५९–६० में टीटारवाड़ा, प्यारीवास, ठीकरिया, औरडा, सीतापुरा, बिहारीपुरा, मालपुरा, पिंजरापोल, नागोरिया और भोइयाजी में प्राइमरी स्कूल और चन्द्राना और जसोता में मिडल व भांडारेज में हायर सेकन्डरी स्कूल खोली गई।

तहसील सिकराय में १९५६–५७ में वामनपुरा, केलाई और रानापारा में प्राइमरी स्कूल खोली गई और मिडल व हायर सेकन्डरी स्कूल कोई नहीं खोली गई।

१९५७–५८ में रेता व मोरेर में प्राइमरी स्कूल खोली गई। मिडल व हायर सेकन्डरी कोई स्कूल नहीं खोली गई।

१९५८–५९ में प्राइमरी स्कूल बांकली, गीजगढ़, गनीपुर, सरूंडल, मोहम्मदपुरा और कुन्डरा डूंगर में खोली गई, मिडल स्कूल कोई नहीं और हायर सेकन्डरी सिकराय में खोली गई।

१९५९–६० में घोलका, सिकरिया डूंगर, बरियादा, निहालपुरा, गूजरबेरा, और झौरना में प्राइमरी स्कूल खोली गई और मिडल व हायर सेकन्डरी कहीं नहीं खोली गई।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

ग्राम बड़गांव का तालाब (सराड़ा)

५७१. श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) सराड़ा तहसील के बड़गांव ग्राम के तालाब की भूमि के लगान की दर गत पैमाइश में क्या निर्धारित की गई थी ?

(ख) उक्त तालाब की भूमि कितने कृषकों के खाते में है ? यह खाते में कब दर्ज की गई ?

(श्री सोहनलाल भटनागर)

(ग) उक्त तालाब की भूमि के खातेदार काश्तकारों से गत पैमायश में निर्धारित दर से लगान वसूल करते हैं या उससे अधिक दर से ?

(घ) गत ५ वर्षों में यह तालाब कब—कब खाली रहा और इसमें किस–किस वर्ष क्या काश्त हुई ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) तालाब की कुल भूमि ३२७।। बीघा है। २०० बीघा भूमि दर २ रुपये प्रति बीघा के हिसाब से व १२७।। बीघा भूमि १।। रुपया प्रति बीघा की दर सेटलमेंट के समय निर्धारित की गई थी।

(ख) जमाबन्दी बन्दोबस्त संवत् १९९१ में यह कुल रकबा समस्त आसामियान देह के नाम पर गैर मुस्तकिल अन्दर खाता अंकित था, उसके पश्चात् सं० २०१३ से १६२ खातेदारों के नाम दर्ज हुआ।

(ग) बाद बन्दोबस्त तालाब का रकबा काश्त नहीं हुआ, अतः निर्धारित से अधिक वसूल करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(घ) वर्षों में यह तालाब किसी भी काश्तकार के द्वारा काश्त नहीं किया गया।

श्री सोहनलाल भटनागर : जब कि टीनेन्सी एक्ट में यह प्रोवीज़न है कि तालाब की जमीन में खातेदारी राइट्स नहीं दिये जायेंगे तो २०१३ में खातेदारी राइट्स कैसे दिए गए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिए जांच की जा रही है कि वे खातेदारी राइट्स कैसे मिल गए। जब टीनेन्सी एक्ट फोर्स में आया तो उसके पहले जो राइट्स थे उनको वापिस नहीं ले सकते। Tenancy Act does not take away any rights with retrospective effect.

श्री सोहनलाल भटनागर : खातेदारी राइट्स पहले नहीं थे, मगर जब वह खाली होता था तो काश्त होती थी और लगान लिया जाता था। अब वहां खेती होती है या नहीं; लेकिन अब भी लगान लिया जा रहा है; तो सरकार पूर्व स्थिति पर कायम रहेगी या क्या होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि इसकी जांच की जा रही है कि खातेदारी राइट्स किस अधिकारी द्वारा और किस सूरत में दिए गए, इसकी जांच की जा रही है।

प्रश्न संख्या ५७२

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५७३

श्री शंकरलाल

(अनुपस्थित)

श्री रावतमल पारीख।

बीकानेर शहर में अति वृष्टि के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त मकानों हेतु सहायता

५७४. **श्री रावतमल पारीख** (नोखा) [श्री मरलीधर व्यास (बीकानेर

Page No.14

(श्री रावतमल पारीख)

सिटी) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे :—

पिछले वर्ष की अतिवृष्टि से बीकानेर शहर में जो हजारों मकान गिर गये थे उनके लिए सरकार ने कितनी आर्थिक सहायता दी ? कुल दरख्वास्तें कितनी आई, कितनों को कितनी कितनी सहायता दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें एक प्रश्न का जवाब अलग से होना चाहिए, कुल कितनी दरख्वास्तें आई और कितनी सहायता की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह सूची में दर्ज कर दिया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : वह मुझे मालूम है कि सूची के अन्दर कुल किस–किस को दिया है, पर....

श्री दामोदरलाल व्यास : यह भी है कि कितनी दरख्वास्तें आई हैं और कितनों को सहायता दे दी गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : कुल कितनी दरख्वास्तें आई हैं और कुल कितना पैसा सहायता में दिया गया है, यह आप बता दें ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सूची मुलाहिज़ा फरमा लें।

श्री मुरलीधर व्यास : आप बतला दें। इसमें नम्बर ही तो बतलाना है सिर्फ।

श्री दामोदरलाल व्यास : ६६ केसेज़ जो हैं वे नियम के मुताबिक पाये गये हैं। उन्हें कुल ७,११२) रु० की सहायता दी गई है, ८७० केसेज़ नामन्जूर कर दिये गये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो नामन्जूर कर दिये गये हैं तो बाकी लोगों के मकान गिरे थे, नुकसान हुआ था लेकिन तरीके से नहीं दी गई इसलिए नहीं दिया गया या उनकी दरख्वास्तें ही गलत थीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग दरख्वास्तों के खारिज करने के अलग अलग कारण हैं। माननीय सदस्य जिसके बारे में जानना चाहते हैं उसका अलग से नोटिस देकर पूछ लें। मैं जवाब पेश कर दूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने जवाब में कहा है कि नियमानुसार जो थीं उनको सहायता दी गई है और वे ६० दरख्वास्तें थीं और करीब करीब ७५० या ८०० ऐसी थीं जो कि नियमानुसार नहीं थीं या और कारण थे जिसकी वजह से नहीं दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रूल्स से कवर जहां होती थीं उनको दे दिया गया। बाकी की खारिज कर दी गई। अलग अलग दरख्वास्तों के लिए अलग–अलग कारण हैं। मैं कैसे बतला सकता हूँ ? ८००

Page No.15

(श्री दामोदरलाल व्यास)

एप्लीकेशन्स का युनिफॉर्म कारण नहीं है, अलग-अलग कारण हैं। जिस-जिस के लिए पूछना चाहते हैं उसका अलग से नोटिस देकर पूछ लें।

श्री अध्यक्ष : रावल नरेन्द्रसिंह।

विधान सभा सदस्यों के क्वार्टर्स के पश्चिम की तरफ स्टेशन रोड से मिलाने वाली सड़क की मरम्मत

५७५. रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : क्या मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में विधान सभा सदस्यों के क्वार्टर्स के पश्चिम की तरफ स्टेशन रोड से मिलाने वाली सड़क की मरम्मत पिछले दस वर्षों में कभी नहीं हुई ?

(२) यदि हां, तो क्यों व अब कब तक इसकी मरम्मत हो जावेगी ?

मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(२) प्रश्न नहीं उठता। आगामी वित्तीय वर्ष के मरम्मत के प्रस्तावों में विचार किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतमल पारीख।

लो व मिडल इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम

५७६ श्री रावतमल पारीख (नोखा) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

लो व मिडल इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्दर किस-किस शहर को कितना कितना रुपया सन् १९५७ से १९६० तक दिया गया ?

विकास मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अल्प आय व मध्यम आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत १९५७-५८ से १९६०-६१ तक विभिन्न शहरों को जो धनराशि स्वीकृत की गई उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या यह सत्य है.........

श्री रावतमल पारीख : बीकानेर को कितना मिला होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वैसे तो यह तालिका में दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कौन से सन् का जानना चाहते हैं ?

श्री रावतमल पारीख : ५७ से ६० का अलग अलग।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बीकानेर में १९५७-५८ में अल्प आय योजना के अन्तर्गत ३,७५,०००) रु०

Page No.16

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

१९५८–५९ में	२,१५,०००) रु०
१९५९–६० में	२,८५,०००) रु०
१९६०–६१ में	२,३५,०००) रु०

मिडल इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम में:

१९५९–६० में	३,९५,०००) रु०
१९६०–६१ में	२,५०,०००) रु०

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह सही है कि लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत जो रकम कोटा को दी गई है वह सब से कम है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इसका भी निवेदन कर दूं कि वहां पर काफी इसकी मांग शुरू में नहीं थी, इसलिए थोड़ा फर्क था, लेकिन:

१९५७–५८ में	१,४०,०००) रु०
१९५८–५९ में	७५,०००) रु०
१९५९–६० में	१, ८०,०००) रु०
१९६०–६१ में	१, ८५,०००) रु०

श्री दयाकृष्ण विजय: सन् ५९–६० में भी सब से कम है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मिडल इन्कम हाउसिंग ग्रुप में....

श्री दयाकृष्ण विजय : लो इन्कम ग्रुप का चाहिये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मिडल इन्कम ग्रुप में ५९–६० में २,१७,६००) रु० और ६०–६१ में २,५०,०००) रु० है

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि लो इन्कम ग्रुप में कोटा में काफी एप्लीकेशन्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं। एप्लीकेशन वाले बहुत मारे–मारे फिरते हैं और उनको पैसा नहीं मिलता है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : करीब २ सभी जगह यही स्थिति है ?

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं समझता हूँ कि कोटा में यह विशेष ध्यान रखा जाय और जिलों के बनिस्बत, क्योंकि वह डिविज़न का केन्द्र है और दूसरे डिविज़न केन्द्रों बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर के बराबर तो कम से कम दें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि मिडल इन्कम ग्रुप स्कीम में कोटा के अन्दर ४,६०,०००) रु० दिये गये हैं उनमें से १, ५७,००० रु० ही डिस्पोज़ ऑफ हुए हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं लो इन्कम ग्रुप के बारे में निवेदन कर रहा हूँ जिसकी ज्यादा डिमान्ड है, जिसको छोटे-छोटे आदमियों को जरूरत है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वे दूसरी तरह से पूरा कर सकते है ।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु०) : क्या सरकार का विचार है कि गांवों के अन्दर भी यह योजना लागू करे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी अलग से योजना है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूलाल करोल।

तहसील चाकसू में भूमि आवंटन कमेटी द्वारा सिवाय चक की आबन्टित भूमि

५७७. **श्री नाथूलाल करोल** (लालसोट-सु०.) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील चाकसू, जिला जयपुर में गत वर्ष सिवाय चक की जमीन अलॉटमेंट कमेटी ने किस किस पंचायत के किन किन ग्रामों में किस किस व्यक्ति को और कितनी सहकारी समितियों को कितनी कितनी अलॉट की थी? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) जो जमीन दी गई उस पर कब्जा हो गया या नहीं? यदि किसी व्यक्ति या सहकारी समिति का कब्जा नहीं हुआ तो उसका क्या कारण है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब कम से कम २०—२५ रोज़ पहले नहीं आ सकता है। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि सवाल को मुलाहिजा फरमावें। वे पूछ रहे हैं :

"तहसील चाकसू, जिला जयपुर में गत वर्ष सिवाय चक की जमीन एलॉटमेंट कमेटी ने किस—किस पंचायत के किन—किन ग्रामों में किस—किस व्यक्ति को...."

तो ऐसे हजारों व्यक्तियों के नाम हैं! उनकी फहरिस्त बना कर पेश करने में टाइम लगेगा। यदि इसके माननीय सदस्य बहुत उत्सुक हों और जानना चाहते हों तो १५-२० रोज़ के बाद मैं पेश कर सकूंगा, क्योंकि इसमें टाइम जरूर लगेगा। सवाल को मुलाहिजा फरमावें तो सब का उसमें दिया गया है। किसी खास का जानना चाहते हैं माननीय सदस्य, क्योंकि वे स्वयं भी एलॉटमेंट कमेटी के मेम्बर हैं, तो आसानी से मिल जायगा। वैसे हजारों नाम की फहरिस्त है कि किस किस किसान को कितनी कितनी जमीन दी है; it is a very big task.

श्री नाथूलाल करोल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया वह बिल्कुल ठीक है कि एलॉटमेंट कमेटी में माननीय सदस्य हैं, लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि तहसीलदार साहब ने नहीं बुलाया मुझे एलॉटमेंट होते समय, तो मुझे क्या मालूम कि कितनी जमीन थी और किस किस को एलॉट की गई है। जिनको एलॉट की गई है वे मारे मारे फिरते है। उनको कब्जा आज तक नहीं दिया गया है। मैं अर्ज़ करूंगा कि उनको वहां पर ज़मीन एलॉट की गई है, लेकिन कब्जा नहीं दिया गया है। पटवारी नाजायज़ तौर पर या पटवारी किसी भी तरह से, मैं अर्ज नहीं कर सकता हूँ कि उसमें क्या क्या दिक्कतें उन लोगों के सामने है, नहीं दे रहा है कब्ज़ा। इसी वजह से मैंने जानकारी चाही थी। माननीय मंत्री महोदय यदि देना उचित नहीं समझते हैं तो मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय से कहें कि इसकी जानकारी जरूर दी जाय कि यह सिवाय चक की जमीन किस पंचायत में किस किस ग्राम में किस किस व्यक्ति को दी गई है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने इन्कार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ समय लगेगा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : It can be treated as un-starred puestion.

श्री अध्यक्ष : Even then the time taken would be the same.

श्री मुरलीधर व्यास : वे एलॉटमेंट कमेटी के मेम्बर्स हैं, लेकिन आपको बुलाया ही नहीं गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : वे मुझे सूचना दें कि कब-कब नहीं बुलाया गया Then I will take action. किस—किस कमेटी की मीटिंग की सूचना नहीं दी है; if you give that information to me, I will definitely take action against the Tehsildar.

श्री नाथूराम करोल : यह जानकारी मेरे पास नहीं है कि कब कब मीटिंग बुलाई है। मैं कहां पूछने जाऊंगा और मुझे कैसे मालूम होगा कि आपने एलॉट किया है। तो मुझे स्वप्न थोड़े ही आ सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मीटिंग की तारीखें चाहें तो मैं दो दिन में पेश कर सकूंगा। अगर फहरिस्त पूरी चाहिए तो उसमें पूरा समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष : आप फहरिस्त तैयार कर लें।

श्री मुरलीधर व्यास : एलॉटमेंट हुआ और इनको सूचना नहीं है तो यह बात मालूम पड़ गई है कि इनको इसका जरा सा भी पता तक नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि किस मीटिंग की इत्तिला नहीं मिली, then I will take action. मैं खुद कह रहा हूँ कि सूचना देने में समय लगेगा। फहरिस्त तैयार हो रही है।

श्री अध्यक्ष : इनफॉर्मेशन कलेक्ट करने में समय लगे तो भी आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : Sir, I will get the information. That's is right.

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतराज जैन।

झालावाड़ जिले में ओलावृष्टि के फलस्वरूप फसल को हुई हानि की वजह से किसानों का राहत कार्य की अपेक्षा

५७८. श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) [श्री रामचन्द्र (डग-सु.) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) झालावाड़ जिले के किन किन ग्रामों में गत जनवरी माह में ओलावृष्टि हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस ओलावृष्टि से प्रत्येक ग्राम में कितने प्रतिशत तक फसल का नुकसान

(श्री सम्पतराज जैन)

हुआ ? इसकी सूची भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) इस प्रकृति प्रकोप से पीड़ित किन किन ग्रामों के किसानों को सरकार द्वारा क्या सहायता पहुँचाई गई और भविष्य में क्या सहायता सरकार द्वारा दी जाने वाली है ?

(४) उक्त पीड़ित किसानों को रोजगार देने के लिये कौन कौन से इम्दादी कार्य सरकार द्वारा खोले गये हैं और भविष्य में कौन कौन से कार्य खोले जाने वाले हैं ?

(५) क्या ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों की ओर से कलेक्टर झालावाड़ एवं मन्त्री महोदय को सहायता के लिए प्रार्थना-पत्र भी प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

(२) यह सूचना उपरोक्त सूची में अंकित कर दी गई है।

(३) खरात्र की खतौनियां बनाई जा रही हैं उनके मुताबिक रिलीफ दिया जायगा।

(४) कोई प्रस्ताव अभी तक इस सम्बन्ध में नहीं आया है। इम्दादी कार्यों की आवश्यकता नहीं है।

(५) जी नहीं। तहसील बकानी के कुछ किसानों ने लगान की माफी की दर्ख्वास्त दी थी जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर को राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा १२६ के तहत बने नियमों के अनुसार रिलीफ के प्रस्ताव भेजने के लिए आदेश दे दिये गये है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राधानाध्यापकों हेतु वांछित योग्यता

५४६. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) [श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(क) हायर सेकन्ड्री स्कूल्स के प्रधानाध्यापक के लिये सरकार द्वारा क्या क्या योग्यतायें निर्धारित की हुई हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि इन योग्यताओं से कम योग्यता वाले व्यक्तियों को भी प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कहां कहां किन किन को और क्यों ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) एम० ए० (द्वितीय) ट्रेनिंग की डिग्री व डिप्लोमा सहित तथा ५ वर्ष का हाई स्कूल व हायर सेकन्डरी स्कूल कक्षाओं के अध्यापन का अनुभव जिसमें उप-निरीक्षक व प्राधानाध्यापक मिडल स्कूल व जे० टी० सी० स्कूल का अनुभव सम्मिलित है,

या

तृतीय श्रेणी में एम० ए० मय ट्रेनिंग

Page No.20

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

डिग्री व डिप्लोमा तथा सात वर्ष का हायर सेकन्डरी व हाई स्कूल कक्षाओं के अध्यापन का अनुभव जिसमें उप-निरीक्षक व प्रधानाध्यापक मिडल स्कूल व जे० टी० सी० स्कूल का अनुभव भी सम्मिलित है।

अप्रशिक्षित द्वितीय या तृतीय श्रेणी में एम० ए० पास प्रधानाध्यापकों के लिये हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक के पद पर पांच साल का अनुभव आवश्यक है।

(ख) जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : पांच साल का एक्सपीरियन्स होना चाहिये तो क्या हायर सेकन्डरी स्कूल के प्रधानाध्यापक के लिये डाइरेक्ट अपोइन्टमेन्ट्स नहीं होते ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : प्रधानाध्यापक के लिये नहीं होते।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): क्या यह बात सही है कि सीनियर टीचर्स के लिये तो सेकण्ड क्लास एम० ए० रखा है जब कि प्रधानाध्यापक के लिये थर्ड क्लास को ले लिया जाता है, इसका क्या कारन है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें खास तौर से पांच साल का एक्सपीरियन्स का रखा है, हालांकि सेकण्ड डिवीज़न के लिये इन्सिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ विषयों में जैसे इंगलिश आदि में सैकन्ड क्लास नहीं मिलता है तो थर्ड डिवीज़न वालों को भी सीनियर टीचर का चान्स दे दिया जाता है। जहां तक प्रधानाध्यापक का सवाल है, उसके लिये पांच साल का एक्सपीरियन्स खास तौर से रखा है, उसमें सेकण्ड डिवीज़न को इन्सिस्ट नहीं करते।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रधानाध्यापक के लिये पांच साल का जो एक्सपीरियन्स खास रखा है यह तो ठीक है, किन्तु दूसरे अध्यापकों के लिये भी पांच साल का एक्सपीरियन्स क्यों रखा गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने न तो प्रश्न को ही पढ़ा है और न मेरे उत्तर को सुना है। प्रश्न यह है :

"हायर सेकन्डरी स्कूल्स के प्रधानाध्यापक के लिये सरकार द्वारा क्या क्या योग्यतायें निर्धारित की हुई है।"

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

डाबला-कोटपूतली व पावटा-डाबला सड़क का निर्माण

५५०. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) राजस्थान में गत ५ वर्षों में बजट में प्रावधान रखने के बाद भी किन किन सड़कों को नहीं बनाया गया और उनके बजाय किन सड़कों को लिया गया ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि डाबला-कोटपूतली व पावटा-डाबला मार्ग जहां ३० वर्षों से बसें चल रही हैं, वहां सड़क अभी तक नहीं बनाई गई है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो इनफोर्मेशन चाही है उसके लिये समय लगेगा

(श्री हरिश्चन्द्र)

कलेक्ट करने में। पहला भाग जो है इस प्रश्न का उसमें समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष : भाग २ का ही उत्तर दे दीजिये।

श्री हरिश्चन्द्र : नेक्स्ट टर्न पर दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष : भाग दो से इनका सम्बन्ध है, उसका ही उत्तर दे दीजिये ?

श्री हरिश्चन्द्र : कल दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यालय

५५१. श्री शंकरलाल (रायपुर) [श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु) द्वारा पूछा गया] : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में कहां कहां समाज कल्याण विभाग की तरफ से कार्यालय स्थापित हैं और उनका कार्यक्षेत्र कहां कहां है ?

(ख) इन कार्यालयों में कितना स्टाफ किस किस ओहदे का रहता है और उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) सूची 'ब' सदन को मेज पर रख दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री लादूराम सुलाणिया : सूची तो हमारे पास नहीं है, अतः वह सूची सदन में पढ़ दी जाय ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह सूची दस पेजेज़ में है, पढ़ने में बहुत समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय संघ द्वारा काश्त की भूमि में गोदामों का निर्माण

५५२. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) [श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) द्वारा पूछा गया]: क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय संघ ने जयपुर नगर तथा राजस्थान में अन्य कई स्थानों पर काश्त की भूमि में कई गोदाम बनाये हैं ? यदि हां, तो कहां कहां ? कृपया इसकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या यह सही है कि काश्त की भूमि में कई गोदाम बनाने के लिये राजस्थान सरकार से कोई पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई है ? यदि नहीं, तो कहां कहां के लिये और कब कब स्वीकृति ली गई ?

(ग) क्या यह सही है कि बिना स्वीकृति गोदाम बनाने के कारण सरकार द्वारा इन गोदामों को डिमोलिश करने की आज्ञा दी

(श्री भैरोंसिंह)

गई है । यदि हां, तो कहां कहां के लिए ? इस आज्ञा का किस हद तक पालन हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : इस सवाल का जवाब में नेक्स्ट वीक में दे सकूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीबाबा चौधरी ।

पाली जिले के प्राइमरी व मिडल स्कूल के अध्यापकों व अध्यापिकाओं के वेतन व भत्ते के भुगतान में विलम्ब

५५५. श्री मोतीबाबा चौधरी (पाली) [श्री मनरूपराम परिहार (खारची सु.) द्वारा पूछा गया] । पाली जिले की मिडल स्कूल व प्राइमरी स्कूलों के किन किन अध्यापकों व अध्यापकाओं का पिछले ६ माह व उससे अधिक समय से दैनिक भत्ता व वेतन नहीं मिला है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) पाली जिले की मिडल स्कूल व प्राइमरी स्कूलों के जिन जिन अध्यापकों व अध्यापिकाओं का पिछले ६ माह व उससे अधिक समय से दैनिक भत्ता व वेतन नहीं मिला है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : टोटल नम्बर क्या होगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ४५५.

श्री अध्यक्ष : In one District ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Pali District.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अब इनको दे दिया गया है या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Not yet.

श्री पी० के० चौधरी: कब तक दे देंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मेरे ध्यान में अभी अभी आया है कि इतने सारे अध्यापकों का दैनिक भत्ता व वेतन रुका हुआ है, इनके एरियर्स जल्दी से जल्दी दिलाने का प्रयत्न किया जायगा ।

श्री पी० के० चौधरी : बकाया रहने के क्या कारण हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हरेक केस का अलग अलग कारण है, किसी में कुछ ओब्जेक्शन्स हैं; किसी में कुछ, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि अध्यापकों के जो बकाया हैं उनके पेमेन्ट की जल्दी से व्यवस्था होगी ?

श्री पी० के० चौधरी : the question is why on such mass scale their arrears have been with-held?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह ।

Page No.23

सिरोही तथा माउन्ट आबू में इन्डस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना

५५६. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) [श्री दलपतसिंह (आबू) द्वारा पूछा गया] : Will the Commerce & Industries Minister be pleased to state:—

1. Whether the Government contemplates to establish industrial estates at Sirohi and Abu Road towns of the Sirohi District during the period of third Plan ?

2. If so, what are the financial provisions for these industrial estates from the State sector ?

3. Has any industrial survey for Sirohi district been done so far ?

4. If not, doos the Government contemplate to have the industrial survey done at the earliest ?

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : 1. It is difficult to say anything for the present.

2. If established, about Rs. 3 lakhs.

3. Yes.

4. The question does not arise.

श्री दलपतसिंह : अब आप सर्वे कब करा लेंगे आबू रोड और सिरोही टाउन का ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सर्वे के लिये मैंने कहा, survey has been done.

श्री दलपतसिंह : इसके अन्दर फाइनेलाइज्ड आइडिया क्या है; इन्डस्ट्रियल एस्टेट आबू रोड और सिरोही टाउन कायम करने का है या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस साल यानी १९६१—६२ के करेन्ट फाइनेन्शियल इयर में कहां कहां इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स खोलना है; उसके बारे में निर्णय ले लिया गया है, बाद में जो चार साल बच जायेंगे, देखेंगे कि कहां कहां हो सकता है ?

श्री दलपतसिंह : १९६३ तक तो इन्डस्ट्रियल एस्टेट करने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : विचार तो हमेशा कर सकते हैं।

(विराम)

श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

प्रति वर्ष शीघ्र लिपिकों हेतु परीक्षण व्यवस्था

५६८. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) [श्री रामकरणसिंह

Page No.24

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(कोटपूतली) द्वारा पूछा गया] : Will the Chief Minister be pleased to state:—

1. Is it a fact that Stenographers serving under Government of Rajasthan are not granted their normal grade increments till they have passed a qualifying test in shorthand conducted by the Public Service Commission ?

2. Is it a fact that this test is not conducted regularly every year, with the result that many of the Stenographers are deprived of their normal grade increments for no fault on their part ?

3. Will the Government Consider the desirability of holding this qualifying test every year regularly ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : 1. Yes.

2. & 3. Competitive test for Stenographers Grade III, as provided in the Rajasthan Secretariat Ministerial Staff Rules and the Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Staff Rules, could not so far be held by the Commission after the issue of the Rules, in the absence of any requisition from the appointing authorities. With a view to remove the hardship caused to the incumbentsd, we have now requested the P. S. C. to hold such examination every year or every alternative year in accordance with the provisions of the above rules without waiting for any requisition from the appointing authorities. Government have also now decided to amend rules so as to allow regular grade increments to such Stenographers who do not pass the test within a period of two years from the date of their initial appointment in the absence of any such test being held by the P. S. C.

श्री रामकरणसिंह : जो अब तक पास नहीं कर सके हैं और जिनको इन्क्रीमेन्ट नहीं मिल रहा है उनको क्या बराबर एन्युअल इन्क्रीमेन्ट मिलता रहेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इससे स्पष्ट है कि जब टेस्ट होगा और उसमें पास हो जायेंगे तो मिल ही जायगा; अगर टेस्ट नहीं हुआ और दो साल से वहां पर काम कर रहे हैं, ऐसी हालत के अन्दर टेस्ट नहीं होने पर नहीं मिल रहा होगा ।

विजयनगर शुगर मिल्स

४६६. श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) [राव श्री नारायणसिंह (मसूदा) की ओर से]: Will the Industries Minister be pleased to state:-

1. Is it a fact that a loan was granted by the Government through Finance Corporation to the sugar mills at Bijainagar ?

2. If so, what was the amount of the loan ?

(श्री तेजमल बापना) -

3. Since when the Sugar Mills have been closed ?

4. Had the Government considered the financial position and other relevant matters of the Sugar Mills while granting the loan ?

5. What further steps Government contemplates to take in regard to the said Mills ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): 1. Yes. A loan was granted to Bijai Nagar Sugar Mills by the Rajasthan Finance Corporation on the guarantee of the State Government.

2. Rs. 5 lakhs were sanctioned.

3. Since May, 1958.

4. Yes.

5. Till the loan granted is recovered no further steps can be taken in regard to the said Mills.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : When the loan was granted ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The loan was granted about one and a half years ago.

श्री पी० के० चौधरी : What is the exact date ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The exact date is not with me.

श्री पी० के० चौधरी : It was granted after the Mill was closed or before ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The Mill was closed and there were some agriculturists who wanted that this Mill may be started so that their sugarcane may be crushed. So, with that view, the loan was granted so that the party may re-start the Mill. The party re-started the Mill and later on closed it.

श्री पी० के० चौधरी : Since the Mill had not started the work after getting the loan what action has been taken against it ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It did work after the grant of loan, certain quantity of sugarcane was crushed ..

श्री पी० के० चौधरी : You said that the loan was granted in 1958. It appears that after the loan, it never started working.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : No. They started working, they crushed some sugarcane and afterwards they closed down.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : काम शुरू करने के बाद कितना समय किया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसका सीज़न होता है, फुल सीज़न तक किया ।

श्री तेजमल बापना : इसका लाइसेन्स वेलिड है या कैंसिल कर दिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कैंसिल नहीं किया गया।

श्री तेजमल बापना : इसके चलने की सम्भावना है या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पार्टी फोरिन कोलोबोरेशन की बातचीत कर रही है, उसमें सक्सेसफुल हो गई तो चलने की संभावना है।

श्री पी० के० चौधरी : फोरिन कोलोबोरेशन की बात किससे हो रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जापान से।

५७२

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५७३

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न समाप्त हुए।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम गांटा (त० लूणकरणसर) में जागीर बकाया की वसूली

१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सम्वत् २०१४ से २०१६ में गांव गांटा, तहसील लूणकरणसर की सीमा में काश्त करने वाले किन २ काश्तकारों से कौन २ से सालों की तथा कथित जागीर बकाया को वसूल किया गया है ?

(ख) क्या यह सही है कि कुछ काश्तकारों ने यह एतराज उठाया है कि जागीरदार द्वारा जो बकाया निकाली गई है वह जागीरदार को समय पर ही दे दी गई थी तथा कुछ ने यह एतराज उठाया कि बकाया टाइम बार्ड है और काबिल वसूली नहीं है ?

(ग) अगर प्रश्न २ का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या सरकार इस बात की जांच करवाने को तैयार है, ताकि काश्तकारों को सुबूत पेश करने का अवसर प्राप्त हो सके एवं दोषी कर्मचारी को दंडित किया जा सके ?

उत्तर

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) वसूली के समय किसी ने कोई आपत्ति ही प्रकट नहीं की तो जांच करवाने

(श्री दामोदरलाल व्यास)

एवं दोषी को दंडित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

बीकानेर जिले में अकाल सहायता हेतु स्वीकृत धनराशि

२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सन् १९५७ से ६० तक अकाल सहायता के रूप में बीकानेर जिले के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ? उक्त राशि में से बीकानेर व लूणकरणसर तहसीलों में कितनी धनराशि खर्च की गई ?

उत्तर

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : बीकानेर जिले के लिये ५, १४, ६२५ रु० स्वीकृत हुए। इस में से बीकानेर तहसील में १, २१, ५५५. ०० रुपये एवं लूणकरणसर तहसील में ८०, २६४. ७६ नं० पै खर्च हुए।

डूंगर तहसील का जिला बीकानेर में विलीनीकरण

३. **श्री रावतमल पारीख** (नोखा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

क्या सरकार को विदित है कि चुरू जिले की डूंगर तहसील के नागरिक इस तहसील को प्रशासन तथा अन्य सुविधाओं के कारण बीकानेर जिले में मिलाने के लिए प्रयत्नशील हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने अब तक इस बारे में कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जी नहीं, केवल नगरपालिका डूंगरगढ़ के निवासी ही इस सुझाव के पक्ष में हैं। सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है क्योंकि सरकार के समक्ष सामूहिक रूप से ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ है।

सन् ५८ से ६० तक बीकानेर जिले के विकास कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) सन् १९५७—५८, ५८—५६, और ५६—६० में स्थानीय विकास कार्यों हेतु बीकानेर जिले को कुल कितनी धनराशि दी गई ?

(ख) उपरोक्त वर्षों में बीकानेर जिले की बीकानेर व लूणकरणसर तहसीलों में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

उत्तर

विकास मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : सन् १९५७—५८, ५८—५६, व ५६—६० में स्थानीय विकास कार्यों के हेतु बीकानेर जिले को निम्न धन—राशि स्वीकृत की गई :

१९५७—५८	७४,००० रुपये
१९५८—५६	७०,००० रुपये
१९५६—६०	४०,००० रुपये

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उपरोक्त वर्षों में बीकानेर व लूणकरणसर तहसीलों में निम्न धनराशि व्यय की गई :

१९५७–५८

तहसील	रकम स्वीकृत	रकम व्यय
१. बीकानेर	२८,५००	२६,०५०
१. लूणकरणसर	२७,७५०	२६,७५०
१९५८–५९		
१. बीकानेर	११,५६४	१०,५६४
२. लूणकरणसर	२०,४३६	१८,४३६
१९५९–६०		
१. बीकानेर	१४,३००	९,०००
२. लूणकरणसर	२,५००	—

२,५०० रुपये बीकानेर पंचायत समिति को व २,५०० रुपये लूणकरणसर पंचायत समिति को स्थानान्तरित कर दिये गये।

जिला उदयपुर में सन् ५७ से ६० तक भूमि हीन किसानों को भूमि का एलॉटमेन्ट

१५. **श्री लक्ष्मण हीरात** (गोगुन्दा-सु,): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) उदयपुर जिले के गोगुन्दा, कोटड़ा, फलासिया, खेरवाड़ा, सलुम्बर, लखाड़िया एवं गिरवा तहसीलों में सन् ५७ से ६० जनवरी तक किन किन भूमिहीन किसानों को भूमि एलोट की गई ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(ख) जिन भूमि हीन किसानों को भूमि एलोट की गई उनके पास पूर्व भूमि कितनी कितनी थी ?

(ग) उपरोक्त तहसीलों की दरख्वास्तें अब तक कितनी कितनी पेन्डिंग हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :
(क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) इसका इन्द्राज सूची में कर दिया गया है।

(ग) प्रत्येक तहसील में निम्नलिखित प्रार्थना–पत्र पेन्डिंग हैं :–

नाम तहसील	तादाद प्रार्थना पत्र पेन्डिंग
१. गोगुन्दा	१६५.
२. कोटड़ा	१७८.
३. फलासिया	५१.
४. खेरवाड़ा	६३४.
५. सराड़ा	२.
६. सलूम्बर	१६५.
७. लसाड़िया	६५.
८. गिरवा	१२०.

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

१२ म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने हेतु अनुमति

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री मंगलसिंह, एम. एल. ए. (विभाजन संख्या ६३) ने २३ फरवरी, १९६१ से सत्र के अंत तक अनुपस्थित रहने की

(श्री अध्यक्ष)

अनुमति चाही हैं। क्या सदन सहमत है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की गई।

(१२.१ म० प०)

मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू राजस्व

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,००,४५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

[इस मांग पर निम्नांकित सदस्यों के प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :–

श्री दलीपसिंह :

(१) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रुपये की कटौती की जाय (सैटलमेन्ट में होने वाली अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

(२) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रुपये की कटौती की जाय (मूण्डक स्टेशन के लश्करी चमारों को काश्त की जमीन न देने पर बहस करने हेतु)।

श्री भीमसेन :

(७) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रुपये की कटौती की जाय (शेरवसर व खोडाला गांव के जंजीर खींचने वालों को पैमायश समय में रखे गये अर्से का पेमेन्ट करने की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु)।

(१०) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रुपये की कटौती की जाय (बीकानेर, बीकानेर डिविज़न द्वारा राजस्थान नहर लिफ्ट एरिया गांवों से बाहर निकालने हेतु जो विज्ञप्ति का प्रारूप माह सितम्बर या अक्टूबर सन् १९६० में भेजा है, को स्वीकृत कराने पर बहस करने हेतु)।

(११) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रुपये की कटौती को जाय (गांव मालासर व कत्तरिया गांवों के किसानों के खेत जो उनके पास जागीर के समय कब्जे व काश्त में हैं उनको रुपये २०१० व २०११ की गिरदावरियों में नहीं दर्ज किया गया–इस समस्या पर ध्यान आकर्षित करने के लिए)।

श्री सूबेदारसिंह :

(८) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रुपये की कटौती की जाय (धौलपुर उपजिले में नामान्तरण शुल्क वसूली पर बहस करने हेतु)।

श्री मोगजी भाई :

(९) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू–राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय

Page No.30

(श्री मोगजी भाई)

(भू–राजस्व में लगान की आमदनी में से ५० प्रतिशत हिस्सा ग्राम पंचायतों को दिया जाने पर बहस हेतु)

रावराजा श्री सरदारसिंह :

12. Demand No. 1, Major Head 7-Land Revenue be reduced by Re. 1/- (to discuss failure of Government in remission of rent in Uniara Constituency due to the damages caused by hailstorm and natural calamity).

श्री पी० के० चौधरी :

13. Demand No. I, Major Head 7-Land Revenue be reduced by Re. I/- (to discuss the failure of the Government to grant so far any Khatedari rights to Sub-tenants of Phulera Tehsil under amended section 19 of the Tenancy Act).

श्री मुरलीधर व्यास :

(१६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (भूमि सीमा निर्धारण के कानून को लागू करने में विलम्ब पर विचार करने हेतु) ।

(१७) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (भूमिहीनों को जमीन अलॉट करने में सरकार की असफलता पर विचार करने हेतु) ।

श्री हरिप्रसाद यादव :

30. Demand No. I, Major Head 7-Land Revenue be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of government to allot land for cultivation).

श्री मरूपराम परिहार :

(३३) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (देसूरी तहसीलों में भूमिहीनों की समस्या पर बहस करने हेतु) ।

(३४) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (गांवों में पड़त व काश्त की भूमि पर कुएं, पीचके खोदने पर बहस करने हेतु) ।

(३५) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (सेटलमेन्ट द्वारा भूमि की पैमायश करने वाले अफसरों की मनमानी पर बहस करने हेतु) ।

(४२) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (पाली जिला में अनुसूचित आदिवासी व पिछड़ी जातियों को काश्त की भूमि आवंटन में सरकार असफल रही, पर बहस करने हेतु)।

श्री नाथूलाल करोल :

(३६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (पटवारियों व तहसीलदारों द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने पर बहस करने हेतु) ।

(३७) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय

Page No.31

(श्री नाथूलाल करोल)

(काश्त की भूमि वितरण किये जाने में पक्षपात बरती जाने पर बहस करने हेतु)।

श्री नाथूराम :

(४६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (तहसील गढ़ी में गत वर्षाभाव के समय खरीफ की फसल की गश्त गिरदावरी की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

श्री शिवनाथसिंह :

50. Demand No. I, Major Head 7-Land Revenue be reduced by Rs. 1/- (to discuss handing over of Patwaries to Panchayat Samitis).

51. Demand No. I, Major Head 7-Land Revenue be reduced by Re. 1/-(to discuss the abolition of system of rent).

52. Demand No. I, Major Head 7-Land Revenue be reduced by Re. 1/- (to discuss the abolition of Lambardari system).

53. Demand No. I, Mojor Head 7-Land Revenue be reduced by Re. 1/-(to discuss the revision of settlement in Jhunjhunu District).

54. Demand No. I, Major Mead 7-Land Revenue be reduced by Rs. 1/-(to discuss the distribution of Parcha Khatum of villages Bhorki and Parasrampura District Jhunjhunu).

श्रीमती सुमित्रा देवी :

(५५) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (झूंझुनू जिले के बन्दोबस्त में होने वाली देरी पर बहस करने हेतु)।

श्री सोहनलाल भटनागर :

(४४) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू– राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (स्थायी भूमि कमीशन स्थापित करने पर बहस हेतु)।

(४५) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रु० की कटौती जाय (सलूम्बर तहसील में ठिकाने के समय के काम करते आ रहे लंबरदारों को तनख्वाह नहीं दी जारी है, जिस पर बहस करने हेतु)।

(४६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (खाते रद्दोबदली समय पर नहीं होती है जिस पर बहस करने हेतु)।

(४७) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्व अधिकारियों को भूमि–सुधार सम्बन्धी कानूनों की ट्रेनिंग देने पर बहस करने हेतु)।

(४८) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (तहसीलों में किसानों के प्रार्थनापत्रों का समय पर निपटारा नहीं किया जाता है जिस पर बहस करने हेतु)।

(श्री सोहनलाल भटनागर)

68. Demand No. I, Major Head 7-Land Revenue be reduced by Rs. 1/- (to discuss the failure of the Government to establish machinery for making publicity of Land Reforms).

श्री लादूराम सुलाणिया :

(५७) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १००) रु० कटौती की जाय (तहसील दूदू, फागी का लगान कम करने पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु) ।

(५८) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (परिगणित जातियों के काश्तकारों का भू–लगान साढ़े बारह प्रतिशत कम करने पर सरकार का ध्यान खींचने पर बहस करने हेतु) ।

(५९) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (तहसीलों द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं को रोकने पर वाद–विवाद करने हेतु) ।

(६०) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (जहां पर नहर का पानी नहीं मिलता है और नहरी का लगान वसूल होता है उसको नहीं लिया जाने पर वाद–विवाद करने हेतु) ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :

(६८) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (गश्त गिरदावरियों में हो रही धांधली पर विचार करने हेतु) ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :

(६४) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (मुआवजा चुकाने में विलम्ब होने पर बहस करने हेतु) ।

(६५) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (भूमि संघनितकरण की प्रगति पर बहस करने हेतु) ।

श्री देवीलाल :

(६६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (तहसील सराडा में काश्त गिरदावरी में अव्यवस्था होने पर बहस करने हेतु) ।

(६७) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा में काश्तकारों को खातेदारी राइट्स देने पर बहस करने हेतु) ।

श्री रावतराम :

(६९) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (नंबरदारी एवं चौधर प्रथा को समाप्त करने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने पर बहस करने हेतु) ।

श्री भैरोंसिंह :

(७१) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (खुदकाश्त की भूमि के एलॉटमेंट में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन के विपरीत की गई कार्यवाही पर विचार करने हेतु ।)

(७२) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (भूतपूर्व जागीरदारों से लगान वसूली की जा रही ज्यादती के सम्बन्ध में विचार करने हेतु) ।

श्री दलीपसिंह (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। एक तो है सैटलमेंट में होने वाली अनियमितताओं पर बहस करने हेतु और दूसरा है मूडक स्टेशन के लश्करी चमारों को काश्त की जमीन न देने पर बहस करने हेतु ;

अध्यक्ष महोदय, संत कबीर कह गये हैं :

"रंगी को नारंगी कहे बिना दूध खोया ।
चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया ॥"

इसी तरह का यह महकमा बंदोबस्त है। यह भी अपने नाम को जिस तरह से नारंगी गलत रखा है उसी तरह से यह भी कह रहे हैं कि शायद सरकार ने इसका नाम गलत रख दिया है। वर्ना और जगह की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस पंचायत समिति में मैं रहता हूँ; चेचट और रामगंज तहसील वहां इस महकमे ने बहुत ही गड़बड़-घोटाले किये हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : क्या किये हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : गड़-बड़ घोटाले ।

श्री दलीपसिंह : जब यह बन्दोबस्त खत्म हुआ उसके कुछ अर्से बाद पट्टे मिले। कस्बा खोरावर के लोग मेरे पास आये और उन्होंने मुझ से कहा कि उनको जो पट्टे मिले हैं उनमें बहुत सी गलतियां हैं। मैं उनके साथ तहसील में गया और पटवारी से खाते मंगाये और उन लोगों से कहा कि आप सब पट्टे लाओ, मैं उनका मिलान करता हूँ। इस पर ३६ किसान अपने पट्टे लाये और आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि ३६ ही पट्टे गलत थे, एक व्यक्ति का भी पट्टा सही नहीं था। किसी की जमीन कम है तो लगान ज्यादा लगा दिया है और किसी के लगान कम है तो जमीन ज्यादा लिख दी है। तहसील से मिलान नहीं किया क्योंकि इसका कोई कायदा नहीं कि तहसील से मिलान करके दिये जांय। मैं आखिर में शिकायत लेकर कमिश्नर साहब के पास गया तो उन्होंने कहा कि बन्दोबस्त से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर मैं यहां आया और सैटलमेंट कमिश्नर साहब से मिला। उन्होंने महरबानी करके दुबारा पार्टी को जांच करने के लिये भेजा जिसने तहसील से मिलान करके पट्टों को दुरूस्त किया। लेकिन एक तहसील के पट्टे तो उन्होंने दुरुस्त कर दिये परन्तु दूसरी जगहों से भी वही शिकायतें प्राप्त होती हैं। एक–दो बार महकमा बन्दोबस्त को लिखा लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने यह भी लिखा कि ये गरीब लोग हैं इनके मामले दुरुस्त कर दिये जायं, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की।

(डॉ० दलीपसिंह)

इसके अलावा एक चीज़ और रोशनी में आई है और वह यह कि जो कुएं किसानों के हैं उन सब को खालसा लिख दिया है, यानी सरकारी लिख दिया। या तो बन्दोबस्त अधिकारी ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां किसान हैसियत नहीं रखते और वे समझते हैं कि कुए सरकार के होते हैं। इस गलतफहमी से या लापरवाही से किसानों के कुएं सरकार के लिख दिये हैं। हमारे देहाती इलाके में कई कुएं होते हैं, इसका मतलब यह है कि एक एक किसान कलेक्टर के सामने जावे, केस दायर करे, वकील करे, सुबूत हो, जांच हो, तब कहीं फैसला हो। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तवालत को दूर करने के लिये, किसानों की परेशानी मिटाने के लिये इतना सा करें कि पॉवर्स कलेक्टर्स के द्वारा तहसील को डेलीगेट कर दी जाय ताकि तहसीलदार मौके पर नजदीक होने के कारण आसानी से केस सुन सकें और उन लोगों के मामलों को दुरुस्त कर सकें। इसके मुतल्लिक मेरा यह पहला कटौती प्रस्ताव है।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है मोड़क स्टेशन के लश्करी चमारों को काश्त की जमीन न देने के मुताल्लिक। मैं एक दफा नहीं, कई दफा यह मामला मंत्री महोदय के पास पेश कर चुका हूँ और यह आज का मामला नहीं है, सन् ५०–५१ से चला आ रहा है। जिन दिनों आज के हमारे मुख्य मंत्री जी रेवेन्यू मिनिस्टर थे उस समय का आपका ऑर्डर दिया हुआ है कि बगैर जमीन के ये चमार हैं उनको भूमि बहुत जल्द दी जाये। सरकारी जोड़ है, सरगुजा जोड़ था, आजादी मिलने से पहले दरबार के दौरे उधर होते थे तब उनके मवेशी आते थे, तब उनके लिये चारे की जरूरत होती थी, उसके बाद रेवेन्यू विभाग का बीड़ था उसकी नीलामी शुरू कर दी, तहसीलदार द्वारा उसके मुताल्लिक ऑर्डर्स हुए। लेकिन बार–बार दरख्वास्तें देते रहे हैं, पर परवाह नहीं हुई; मालूम नहीं कागज कहां रह जाते हैं? उस बीड़ में से २०० एकड़ जमीन एक व्यक्ति को दे दी खुदकाश्त के लिये उसकी अपनी जमीन को एवज में। उसके बाद कुछ लोग ऐसे खड़े हुए जो वक्तसर फायदा उठाना चाहते थे उन्होंने तकसीम करके झोंपड़ियां लगा दी और नाम रख दिया "जगजीवनपुरा", केन्द्रीय मंत्री जी के नाम पर। वह नाम बड़ा जोरदार था, हाई कमान्ड में से एक मंत्री के नाम पर....

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या नाम बताया आपने ?

श्री दलीपसिंह : जगजीवनपुरा उसका नाम रख दिया। फिर क्या किया कि उसका उद्घाटन करने के लिए एक मंत्री महोदय को बुला लिया और उसकी बुनियाद कहां रख ली ? सरकारी बीड़ में, जंगलात की बीड़ में, जो रेवेन्यू की नहीं थी, उसके नजदीक जंगलात की बीड़ थी, उसमें बुनियाद खुदवा कर पत्थर रखवा लिया....

एक माननीय सदस्य : आप थे वहां ?

श्री दलीपसिंह : अब मैं था या नहीं था, आप जाने....

Page No.35

श्री लादूराम सुलाणिया (५५-५०) : [illegible] के द्वारा रखा गया ?

श्री दलीपसिंह : मंत्री महोदय के द्वारा ।

श्री लादूराम सुलाणिया : कौन से मंत्री ?

श्री दलीपसिंह : अध्यक्ष महोदय पूछ लेंगे, आप उधर अर्ज करें ।

तो अब जंगलात वाले परेशानी में हैं क्योंकि मंत्री महोदय ने आकर जंगलात की बीड़ के अन्दर उनकी बस्ती बसाने के लिए बुनियाद का पत्थर रख दिया है, जंगलात की बीड़ के अन्दर गांव बसेगा । साथ ही जो रेवेन्यू की बीड़ थी, उसमें कब्जा करके खेत बना लिये हैं । अब यह मालूम नहीं कि यह सरकार की इजाजत से हुआ है या कैसे हुआ है । दूसरी पार्टी के लोग शिकायत लेकर मेरे पास आये कि १९५०–५१ से हम दर्ख्वास्त दे रहे हैं, पैंतीस घर हैं हमारे, किसी ने हमको एक बीघा जमीन का टुकड़ा नहीं दिया और इन्होंने हथकंडेबाजी से बीड़ पर कब्जा कर लिया है । उसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बीड़ है उस पर भी अपना कब्जा कर लिया है....

श्री दामोदरलाल व्यास : बीड़ कौन सी है, किसी डिपार्टमेंट की है ?

श्री दलीपसिंह : मोहनपुरा की बीड़ है, चेचट तहसील में रेवेन्यू की बीड़ है....

श्री भैरोसिंह (श्री मोधोपुर): मिनिस्टर साहब का नाम बता दें....

श्री दलीपसिंह : लोकल मिनिस्टर हैं हमारे....

श्री भैरोंसिंह : जिससे जवाब देने में सहूलियत रहे ।

श्री दलीपसिंह : उसमें क्या जरूरत है ?

मैं ज्यादा लम्बी–चौड़ी अर्ज नहीं करना चाहता । मैं समझता हूँ, इसके मुताल्लिक शायद मंत्री महोदय को याद होगा, जब–जब केबिनेट की बैठक हुई है कोटा में; मैंने दो दफा यह मामला पेश किया इसके अलावा जब कभी हमें पार्टी में बुलाया, मेम्बर्स की प्रोब्लम सुनने के लिए, वहां भी मैंने यह पेश किया है । उसके अलावा मैंने लिख कर भी पेश किया है कि १९५०-५१ का मामला है, जिस वक्त मुख्य मंत्रीजी रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उस वक्त का है। उन्होंने इस बारे में एक ऑर्डर भी दिया है दस–बारह लाइन का । मुझे अच्छी तरह याद है कि यह बीड़ है, इसकी जमीन बगैर जमीन वाले लोगों को दे दी जाय । लेकिन उनकी आज तक सुनवाई नहीं हुई, वे बड़ी परेशानी में हैं। मेरा निवेदन है कि इस केस पर ध्यानपूर्वक विचार करके उनको राहत पहुँचा देवें । यही अर्ज करना है ।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। सबसे पहला है, गांव शेखसर व खोडाला में सरकार के द्वारा पैमाइश की गई, उसके लिए जो चेनमैन रखे गये थे, आज पांच–छ: महीने हो गये उनको तनख्वाह नहीं मिली है। उसकी तरफ मैंने ध्यान आकर्षित करने के लिए यह कटौती प्रस्ताव रखा है। इस सम्बन्ध में कलेक्टर साहब से बात की, उन्होंने सारी जिम्मेदारी पंचायतों पर डाल दी है, पंचायत अपने कोष से खर्चा दें। अध्यक्ष महोदय, यह सोचने की बात है कि सरकार के काम पर जो खर्चा होता है, उसके लिए पंचायत को जिम्मेदार क्यों ठहराया जाय ? न पंचायत के कोष में इतना पैसा ही होता है कि इतना भार उठा सके। उन चेनमैन को छ: महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, वह शीघ्र ही उनको चुका देनी चाहिए, इसलिए मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है।

दूसरा कटौती का प्रस्ताव है; यह एक अहम समस्या है उस इलाके की और यह तीन तहसीलों से सम्बन्ध रखने वाली है। राजस्थान नहर किस इलाके में आयेगी, इसके बारे में कोई निश्चय नहीं है, सरकार की कोई योजना नहीं है। खास तौर से लिफ्ट एरिया के बारे में कोई ऐसी स्कीम नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इन तीनों तहसीलों को, जहां लिफ्ट एरिया से पानी नहीं पहुँचेगा, कॉलोनी एरिया डिक्लेअर कर दिया है सरकार ने। इससे, अध्यक्ष महोदय, वहां के किसानों के सामने कई समस्यायें हैं। वहां उस एरिया में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू नहीं होता है और राजस्थान कॉलोनाइजेशन एक्ट से वह एरिया गाइड होता है। अध्यक्ष महोदय, इसके कारण किसानों के सामने कई व्यवहारिक समस्यायें और कठिनाइयां आती हैं। खास तौर से धारा १२ के तहत खातेदारी के अधिकार मिलते हैं, उससे किसान वंचित रह जाते हैं। इतना ही नहीं, इन काश्तकारों की आराजी काश्त की जमीन चलती आ रही है, उन जमीनों के लिए हर साल दख्र्वास्त देनी पड़ती है रिन्यू कराने के लिए। इसके साथ साथ कई पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं, जैसे कालोनाइजेशन एक्ट के तहत जो रूल्स बने हैं, उसके अनुसार ५० बीघा जमीन काश्तकार को दे सकते हैं, जबकि २० वर्ष से किसानों के पास सौ–डेढ़ सौ बीघा जमीन है, वह भी उन्हें देनी पड़ेगी सरकार को वापिस। इसके साथ ही लाखों बीघा जमीन सरकार की बेकार पड़ी है। यह समझ में नहीं आता कि सरकार की क्या नीति है ? जो बीस वर्ष से काश्त करते आ रहे हैं, और लैंड रेवेन्यू दे रहे हैं, उनको यह कहा जाय कि यह एरिया कॉलोनी एरिया डिक्लेअर कर दिया है, इसलिए ५० बीघा से ज्यादा जमीन नहीं रह सकती। मैं समझता हूँ, यह सरकार के सोचने की बात है। अगर सरकार के पास जमीन नहीं हो तब तो यह बात समझ में आ सकती है, लेकिन लाखों बीघा जमीन पड़ी है; अकेली लूणकरणसर तहसील में दस लाख एकड़ जमीन बेकार पड़ी है। उस जमीन को सरकार लोकल किसानों को काश्त करने के लिए दे सकती है। उससे सरकार के खज़ाने में आमदनी भी हो सकती है. लेकिन इस तरह की नीति सरकार अपना रही है जिससे किसानों को परेशानी होती है और सरकारी खज़ाने को नुकसान पहुँचता है। अध्यक्ष महोदय, इस जिले के किसानों के सामने बड़ी अहम व्यवहारिक

(श्री भीमसेन)

कठिनाई और समस्या आती है, उसके लिए दो साल से प्रयत्नशील भी हैं। वहां के कमिश्नर ने भी सरकार के सामने एक प्रस्ताव पेश किया है, चीफ इन्जीनियर राजस्थान केनाल के हैं उनसे कन्सल्ट करके कि इतना एरिया लिफ्ट एरिया में नहीं आता है, इसलिए इसको कॉलोनी एरिया से निकाल दिया जाय। यह प्रस्ताव चार महीने से सेक्रेटेरियट में पड़ा हुआ है; चार महीने से जो ड्राफ्ट नोटीफिकेशन बना कर भेजा है, पड़ा है कि ये गांव लिफ्ट एरिया से बाहर निकाल दिये जायं क्योंकि इनमें कोई लिफ्ट एरिया की स्कीम नहीं है। तो चार महीने से वह नोटीफिकेशन बना हुआ सेक्रेटेरियट में पड़ा हुआ है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा था कि यह एक अहम समस्या है वहां के किसानों की। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार के सामने क्या दिक्कत है ? कॉलोनी एरिया से बाहर क्यों नहीं निकाल सकती, जब कि लिफ्ट एरिया की कोई स्कीम वहां नहीं है। अगर हो तो यह कह सकते हैं कि बीस पच्चीस साल के बाद में पानी आयेगा, लेकिन जहां कभी भी लिफ्ट एरिया का पानी नहीं आयेगा, उसको कॉलोनी एरिया में रखने से क्या फायदा है ? इसके अलावा व्यवहारिक कठिनाई किसानों के सामने है कि उनको हर साल दर्ख्वास्त देनी पड़ती है। उनको कितनी परेशानी उठानी पड़ती है हर साल। उस व्यवहारिक कठिनाई को दूर करने के लिए मैंने यह कटौती का प्रस्ताव पेश किया है।

इसके अलावा तीसरा कटौती का प्रस्ताव है; दो गांव हैं, मालासर व कत्तरिया, ये पहले जागीर एरिया में थे। संवत् २०१२ में इन गांवों को रिज्यूम किया गया। सरकार ने अपने हाथ में लिये, लेकिन संवत् २०१० से इन गांवों में सरकार की तरफ से पटवारी तैनात कर दिये गये थे उन पटवारियों ने २०१०–११ में वहां मौकों पर जाकर गिरदावरी नहीं की, इसलिए जिन काश्तकारों का कब्जा था, उनकी गिरदावरी न करने से गिरदावरी में नहीं दिखा सके। उसके बाद, २०१२ में उन खेतों पर कब्जा दिखाया गया है। इससे किसानों को परेशानी है, उनको ट्रेसपासर माना गया है, तावना वसूल किया जाता था; जब कि जागीरदार कहता है कि पुराने काश्तकार हैं, जागीर के वक्त से खेत दे रखे हैं। फिर यह समझ में नहीं आता कि सरकार के पटवारी, सरकार के कर्मचारियों ने गल्ती की है, तो किसानों को क्यों नुकसान उठाना पड़े, तावान देना पड़े। यह दोनों गांवों के किसानों की समस्या है। इसलिए मैं राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि २०१० से उनको रिकॉर्ड किया जाय गिरदावरी में, जिससे उनको जो तावान देना पड़ता है वह किसानों को नहीं देना पड़े, क्योंकि उसमें उनकी गल्ती नहीं है, कर्मचारियों की गल्ती है। उनकी गल्ती की वजह से वे गिरदावरी में २०१०–११ में दर्ज होने से रह गये और २०१२ में जाकर उनको दर्ज किया गया है। इस समस्या को दूर करने के लिए मैं समझता हूँ सरकार इसके बारे में आदेश दे सकती है....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय सदस्य से एक बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। मेरी समझ में नहीं आया, २०१०–११ में अमुक व्यक्ति गश्त गिरदावरी में दर्ज नहीं हुआ, अब सरकार किस कानून के अन्डर में दर्ज कर सकती

(श्री दामोदरलाल व्यास)

है ? जिसका नाम दर्ज नहीं हुआ उसकी लीगल रेमेडी है या नहीं है? जो लीगल रेमेडी दे रखी है डिपार्टमेंट ने उसका उन्होंने उपयोग किया या नहीं ?

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, लीगल रेमेडी के लिये उनको सलाह दी और उन्होंने दर्खास्त भी दी है कि सम्वत् २०१० और २०११ में पटवारी मौके पर आये ही नहीं और मौके पर आये बिना ही गिरदावरी कर दी है। इसलिये सम्वत् २०१० और २०११ की जो गलत गिरदावरी हुई है उसको दुरुस्त कराया जाय। पर इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, अतः मैं राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे एग्ज़ीक्युटिव में ऑर्डर दे सकते हैं और सम्वत् २०१० और २०११ में तो जागीरदार थे, उनके बयान ले सकते हैं कि काश्त किन लोगों की थी और इस तरह जागीरदारों के बयान लेकर उन काश्तकारों के नाम दर्ज किये जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, चौथा मेरा कटौती प्रस्ताव है वह इस बारे में है कि हमारे यहां कमिश्नरियों को तोड़ा जा रहा है । कलेक्टर्स और एस. डी. ओज की रेवेन्यू लॉज़ के अन्दर अपीलें कमिश्नर्स के पास जाती थीं, क्योंकि अब कमिश्नरियां एबॉलिश की जा रही हैं तो ऐसी अपीलों के लिये लोगों को बहुत दूर जाना पड़ेगा, इसलिये कलेक्टर्स को इस प्रकार की अपीलों के सुनने के पॉवर्स दे दिये जायं ; इस प्रकार का अमेंडमेंट कानून में कर दिया जाय........

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कौनसा कट मोशन है आपका ?

श्री भीमसेन : मैंने दिया था पर वह सर्कुलेट नहीं हुआ है शायद........

श्री दामोदरलाल व्यास : I don't have notice of that cut motion.

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, टाइम पर मैंने कटमोशन पेश कर दिया था सेक्रेटेरियेट में........

श्री अध्यक्ष : अगर नहीं आया है तो उसके बारे में नहीं बोल सकते, you cannot refer to it...

श्री भीमसेन : मैंने तो टाइम पर सेक्रेटेरियेट में दे दिया था, सेक्रेटेरियेट से सर्कुलेट किया जाना चाहिये था..... ..

श्री अध्यक्ष : You can't raise it in the Horse even if you don't know about it. is very clear Hon'ble meamber.

श्री सूबेदारसिंह :

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव धौलपुर उपजिले में नामान्तरण शुल्क किसानों से वसूल किया जाता है, उसके कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसके सम्बन्ध में है।

अध्यक्ष महोदय, धौलपुर पहले से ही छोटी सी रियासत थी। अतः वहां के किसानों को राजस्थान के दूसरे इलाकों के किसानों के मुकाबले में ज्यादा मालगुजारी देनी पड़ती है। मैं सदन को बताऊं तो माननीय सदस्यों को पता चलेगा कि २० या २२ रुपया प्रति बीघा

(श्री सूबेदारसिंह)

की सामान्य तौर पर मालगुजारी की दरें होती हैं, जब कि धौलपुर में जमींदार लोग ४० रु० और ४५ रुपया प्रति बीघा की दर से लेते थे। वहां बन्दोबस्त हुए लम्बा अर्सा हुआ सम्वत् ६० में वहां बन्दोबस्त हुआ था। उसके बाद से वहां के किसानों की हालत दिन-ब-दिन गिरती गई।

इसके बाद राजस्थान बना। राजस्थान सरकार ने ज्यों-ज्यों कानून में अमेंडमेंट किये त्यों-त्यों वहां के किसानों को राहत मिलने का अवसर मिला। हिन्दुस्तान आजाद होने के साथ-साथ हिन्दुस्तान–पाकिस्तान के बंटवारे की बात हुई। उसमें इवेक्युई प्रोपर्टी थी; किसान पाकिस्तान चले गये उनकी जमीनों की कीमत, वहां वैसे जमीनें १०० या १२५ रुपया बीघा के हिसाब से बिक जाती हैं, पर सरकार ने वहां ४०० रुपया फी बीघा के हिसाब से जमीनों की कीमत रख दी। जो पाकिस्तान चले गये उनकी जमीनों पर काश्तकारों को काश्त करते १०० वर्ष हो गये। फिर उन जमीनों को किसानों को खरीदने की क्या आवश्यकता है? उनको तो खातेदारी राइट्स मिल जाने चाहिये, उन्हें बेदखल करने की शक्ति सरकार की नहीं या और किसी की नहीं है कि उनको उन जमीनों से वंचित रखे। फिर भी उन्हें सरकार की ओर से मजबूर किया जा रहा है कि वे उन जमीनों की कीमतें दें। नामान्तरण की बात मैं कहना चाहता हूं। इसमें बड़ी अजीब बात है, धौलपुर में जो नामान्तरण फीस है उसमें एक बड़ी अजीब और ताज्जुब की बात है कि वह रुपया देते समय किसान कहते हैं कि यह सारा रुपया सरकारी खजाने में चला जाये तो कई सहूलियत की बातें हो सकती हैं, पर उसमें से ४० प्रतिशत कानूंगो के पास जाते हैं, २० प्रतिशत पटवारी के पास और सिर्फ ४० प्रतिशत रुपया सरकारी कोष में जाता है। यह नामान्तरण फीस ऐसी हैं कि किसान चाहे कितने ही अर्से से खेती कर रहा हो, जब तक उसे मौरूसी हक नहीं मिले तब तक नामान्तरण फीस लेना जरूरी हो जाता है। सम्वत् ६० में वहां पर सेटलमेंट हुआ। अब जमींदारी खत्म हो गई। उन लोगों को कहा जाता है कि खातेदारी राइट्स लो, उनके घर कुड़कियां भेजी जाती हैं। यदि वे खातेदारी राइस नहीं लें तो कानून के माफिक उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। सरकार क्या कर सकती है यदि वे खातेदारी राइट्स नहीं लें तो? उस जमीन के मालिक जमींदार थे जमींदारी अबोलिश हो गई, कानून में यह प्रोविजन है कि अगर किसी ने दो–तीन साल भी जमीन जोत ली है तो उससे कोई उस जमीन को छुड़ा नहीं सकता। नियमानुसार देखा जाय तो १२ वर्ष जमीन जोतने के बाद, जोतने वाले को मौरूसी हक अपने आप मिल जाते हैं, पर उन लोगों को तो पचास २, साठ २ वर्ष उन जमीनों को जोतते हो गये, किसी और को जोताया नहीं, खुद ही काश्त करते रहे हैं, फिर भी उनको खातेदारी राइट्स नहीं मिलें, तो किसानों को क्या आशा हो सकती है? यह सरकार के देखने की बात है कि खातेदारी राइट्स कितने अर्से में देने हैं।

जब हमने मांग की कि हमारे यहां का बन्दोबस्त मंहगा हो गया है, तो सरकार ने वहां बन्दोबस्त करने के ऑर्डर दिये हैं। सेटलमेंट विभाग के अधिकारी और कर्मचारी वहां गये हुए हैं, उनसे किसानों की बात होती

Page No.40

(श्री सूबेदारसिंह)

है तो वे लोग किसानों को कहते हैं कि नामान्तरण फीस क्यों देते हो, हम यह अधिकार आप लोगों को स्वयं दे रहे हैं ? तो किसान बड़े परेशानी में हैं ।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन किसानों को पचास २, साठ २ वर्ष उन जमीनों पर काश्त करते हो गये, जिस जमीन का सरकार से कोई वास्ता नहीं था जमींदारों की जमीनें थीं, उन लोगों को सरकार बेदखल नहीं कर सकती । तो ऐसी दशा में इस प्रकार का रुपया उन लोगों पर लादना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता । मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार से किसानों से रुपया लेती है उसे रोक दे, ऐसा रुपया लेना फौरन बन्द कर दे और उन किसानों को खातेदारी राइट्स देने की घोषणा कर दे । यह नामान्तरण फीस का रुपया जमींदारी अबॉलिश होते ही जमींदारों के पास जो थोड़ी बहुत खुदकाश्त की जमीन बची, उस जमीन का भी नामान्तरण फीस के नाम से भी रुपया वसूल किया गया, मौरुसी खातेदारों से भी वसूल किया, मैंने आकर कहा तो बन्द हुआ । पर जो रुपया उनसे नामान्तरण फीस के नाम से वसूल किया गया वह उन्हें वापिस मिलना चाहिये । जो जमींदारों की खुदकाश्त की जमीन बची, उस पर भी रुपया ले लिया वह रुपया उन्हें वापिस मिलना चाहिये ।

मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूँ कि नामान्तरण फीस के नाम से जो रुपया वसूल किया जाता है, उसको शीघ्रातिशीघ्र बन्द करने का ऑर्डर निकालें ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई ।

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कट मोशन, मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १) रुपये कटौती की जाय (भू-राजस्व में से ५० प्रतिशत हिस्सा ग्राम पंचायतों को दिये जाने पर बहस हेतु), यह है ।

माननीय अध्यक्ष, इस कट मोशन द्वारा मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान में राजस्थान सरकार ने नई ग्राम पंचायतें स्थापित की हैं । उन नई ग्राम पंचायतों का काम अच्छी तरह चलाने की एक बड़ी भारी समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है । हम देखते हैं कि जहां कहीं कस्बे नहीं हैं; देहातों में, पहाड़ियों में ग्राम पंचायतें कायम हुई हैं, उनमें आमदनी के जरिये नहीं हैं । वहां की ग्राम पंचायतें क्लर्क रख कर किसी तरह से कार्य चलायें, इसके लिये उनके पास किसी प्रकार का आमदनी का जरिया नहीं है । जहां तक विकास का सम्बन्ध है, गांवों के विकास का सम्बन्ध है, वहां की ग्राम पंचायतों को, पंचायत समितियों की ओर से जो सहायता मिलेगी, उसके जरिये किसी ग्राम में स्कूल बनाना है या पानी पीने के लिये कुए बनाना है । दूसरे प्रकार के कई विकास हैं वहां जनता के जरिये श्रमदान लेकर कोई भी विकास के कार्य किये जा सकते हैं । लेकिन खुद ग्राम पंचायतों के वहां पर हिसाब–किताब रखने के लिये या क्लर्क रखने के लिये किसी प्रकार की आमदनी ग्राम पंचायतों की नहीं है तो उन ग्राम पंचायतों को सही ढंग से चलने की कोई संभावना नहीं है । ऐसी सूरत में राज्य सरकार को चाहिये कि ग्राम

Page No.41

(श्री मोरजी भाई)

पंचायतों को लगान में से कुछ हिस्सा दे और ऐसा देने के लिये राज्य सरकार ने पहले एलान भी किया था। तो सरकार को चाहिये कि गांव से जो अस्थायी आमदनी होने वाली है उसमें से ग्राम पंचायतों को हिस्सा दें, ताकि ग्राम पंचायतों को अच्छी तरह से चलाया जा सके। ग्राम पंचायतों के पास स्थायी आमदनी होने से दूसरे काम भी उनके हित में पंचायतें कर सकती हैं। वरना ग्राम पंचायतों को आपने कानून बना कर कुछ अधिकार दे रखे हैं लेकिन उनकी आमदनी का जो जरिया है वह राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है। उन पंचायत एरिया में कोई पत्थर की खान हो या सोने की खान हो या और कोई जरिया हो जिससे आमदनी हो सकती है उसको, तो राज्य सरकार अपनी रेवेन्यू के तौर पर वसूल कर लेती है और पंचायत के पास कुछ नहीं रहता। पंचायतों के पास तो केवल किसी मकान पर या किन्हीं दूसरी चीजों पर टैक्स लगा सकते हैं इनके लिये आपने प्रावधान रखा है। इसके लिये मैं यह कहूँगा कि पंच और सरपंच को हर समय यह महसूस होता है कि किस प्रकार से वह टैक्स लगाए और वसूल करें। इसके लिये उनके पास कोई जरिया नहीं है। इसलिये अभी जो नई पंचायतें बनी हैं उनको आगे अच्छी तरह से काम चलाने के लिये रेवेन्यू में से ५० प्रतिशत आमदनी दी जावे जिससे वे सुचारू रूप से पंचायतों को चलावें और वहां का विकास कर सकें।

इसके बाद वहां पर रिलीफ के कार्यों के लिये गांवों में बाढ़ आदि आती है उसमें भी लोगों को सहायता मिले। इन कटौती के प्रस्तावों द्वारा मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि सरकार इस मामले में जल्दी से जल्दी कदम उठावे और पंचायतों को रेवेन्यू द्वारा असल आमदनी होती है उसमें से आधा हिस्सा पंचायतों को अपना काम चलाने के लिये दे। यही मेरा कट मोशन का मकसद है और मैं इसे आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस मांग पर कटौती का प्रस्ताव है। वह इस विषय में है कि उनियारा में हेलस्टॉर्म और दूसरे कारणों से नुकसान हुआ है उसके लिये हमारे माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिये है। मगर मैं इस विषय पर कुछ निवेदन करूं इससे पूर्व यह कहूँ कि अध्यक्ष महोदय, यह तो स्पष्ट ही है कि हमारे माननीय राजस्व मन्त्री का ध्यान उनियारा की जनता पर एक प्रकार से नाराजगी पूर्ण है। उनका ध्यान उसकी तरफ जाता ही नहीं और अगर उनके सामने कोई सत्य बात रखी जाती है तो उठ कर चले जाते हैं, क्योंकि पुराने शास्त्रों में लिखा है और देखने में आया है कि नीचे से ऊंचा और नीचे से ऊंचा होता ही आया है। लेकिन जो ऊंचे से नीचा होता है तो ऊंचा हो जाने के बाद में उसकी यह मेन्टेलिटी होती है कि मैं ऊंचे स्तर पर पहुंच गया हूँ। सब के साथ समानता का बर्ताव करें और इससे भी बड़े होकर....

श्री दामोदरलाल व्यास(राजस्व मन्त्री): मैं हाजिर हूँ, आपकी सेवा में। आपने मुझे याद फरमाया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : नाम कमावें। जनता बहुत दुख पा रही है, तो यह

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

हमेशा से चला आ रहा है। वह बड़ा आदमी अपनी बहबूदी के लिये सभी आदमियों को समानता से साथ लेकर चलता है और उनको राहत देता है और उनमें यह भावना पैदा करता है कि पहले जो....

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस साल की मांग हो उस पर कहें। इस साल के लिये पिछली साल की बात कहते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पहले साल भी कोई भी कोई सहायता नहीं दी और/इस साल भी कोई रेमिशन नहीं दिया।

माननीय अध्यक्ष, मैंने कई दफा प्रश्नों के जरिये माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया मगर यह हमेशा टालमटोल करते रहे हैं और कभी यह कह दिया कि वहां पर मौके पर तहसीलदार गया था। मैं कहूँगा कि तहसीलदार गया कैसे- वहां उस समय तहसीलदार मौजूद ही नहीं था। वह तो छुट्टी गया था। जब ज्यादा नुकसान हुआ तो एस. डी. ओ. और कलेक्टर गये, मगर कोई जवाब नहीं। फिर मैं यह निवेदन करूंगा कि मैंने प्रश्न किया, मगर उसका भी कोई पूरी तरह से जवाब नहीं दिया गया। आज हम देखते हैं कि २०१६ में और २०१७ की उनालू में तो इतना नुकसान हुआ है कि बेचारों की चना, जौ और गेहूँ की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई और किसी ने भी उनियारा में जाकर तहसीलदार या किसी दूसरे अधिकारी ने जाकर नहीं देखा है और २०१६ में इतना नुकसान हुआ कि ओलों से मकान क्या मंदिर तक टूट गये। रघुनाथजी के मन्दिर में टूट-फूट के पत्थर अभी पड़े हुए हैं। इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर आप देखना चाहे तो मुलाहिजा कर लें। लोगों के मकानात पड़ गये और आप कहते है कि कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं समझता कि माननीय मन्त्री महोदय को क्या हो गया है? पहले तो वे बड़े उदार चित्त थे। अब इलेक्शन के बाद में न मालूम हमारे माननीय मन्त्री महोदय को क्या हो गया है? अभी हाल ही में पंचायतों का चुनाव हुआ, उस समय उनियारा पधारे थे उस वक्त भी कहा था और आपने लोगों को कहा था कि इनको वोट देकर क्या किया। क्या बात पूरी हुई! इस बात का आपने लोगों को संकेत दिया था। आप खड़े हो जावें। मैं कहता हूँ कि हम वेलकम करेंगे, आप पधारें। मैं तो कहता हूँ कि आपकी वजह से यह उनियारा सुरक्षित रहा है। आप उसके लीगल एडवाइज़र रहे हैं। आप खुशी से पधारें लेकिन मिनिस्टर की हैसियत से नहीं। अगर मिनिस्टर की हैसियत से पधारते हैं तो मत पधारें। मिनिस्टरी से इस्तीफा देकर मामूली आदमी की तरह से लड़ कर पधारें। हम तो आपका उस समय स्वागत करेंगे। लेकिन मैं यह कहता हूँ कि मेरी वजह से वहां की जनता को तकलीफ क्यों देते हैं? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? इसके साथ साथ मैं यह भी कहूँगा कि हमारे साथ मालपुरा आदि भी मिले हुए हैं। अगर उधर से कोई एक भी आदमी आकर आपके कान में जरा सी भी बात कह दे तो फौरन उसको रेमिशन मिल जाता है। लेकिन उनियारा में बहुत कुछ नुकसान होता हो तो भी कुछ नहीं और वहां पर मालपुरा आदि में जरा सा भी हो जाय तो जैसे कोई वार होती हो या एटम बम्ब फटने वाला हो, उस तरह से काम होता है।

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं माननीय सदस्य से कहूँगा कि पिछले ५ वर्षों या ६ वर्षों में वे बतावें कि मालपुरा को कितना रेमिशन दिया गया ? एक भी इन्स्टान्स आप नहीं बता पावेंगे, क्योंकि कोई रेमिशन दिया ही नहीं गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वह भी मैं बता दूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस तरह से जिम्मेदार सदस्य गैर जिम्मेदारी की बात कह रहे हैं। अगर किसी बात को रेफर करते हैं तो वे बता दें। आपको बतानी होगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं आपको निवेदन करूंगा कि मालपुरा और टोंक में ऐसा हो रहा है कि अगर कोई कागज के लिये बताने को कहें तो कागज भी नहीं बताते हैं। हमारे यहां कुछ भी रेमिशन नहीं हुआ है। हमारे यहां उनियारा में जो नुकसान हुआ उसकी फोटो भी मेरे पास है, बता सकता हूँ। मेरे साथ या मेरी प्रजा के साथ इस प्रकार का अन्याय क्यों करते हैं ? आप मुझसे स्पष्ट कह दें कि आप इस्तीफा दे दें; मैं दे दूंगा। मैं आपके साथ यह करूंगा। मैं यह निवेदन करूं कि ऐसी जो भावना है, आपको तो ब्रॉड माइन्डेड होना चाहिये....

श्री दामोदरलाल व्यास : He is side tracking the issue. I wanted definite information whether there had been any remission in that constituency within the last six years. He is not giving a definite reply whereas he made a definite allegation here: "हर वक्त वहां रेमिशन हो जाता है।" I totally deny that there has been any remission whatsoever in that region.

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करूं कि आप बतायें कि पहले इलेक्शन में आप मालपुरा से चुन कर आये थे और दुबारा भी, और वही हालत मालपुरा की है या नहीं ? और पहले जो हालत थी उनियारा की वह हालत है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सेवा नहीं करते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सेवा तो मैं करता हूं, लेकिन आप लोग बिगाड़ देते हैं। मैं तो आप से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपको तो ब्रॉड माइन्डेड होना चाहिये। ऐसी छोटी मेन्टेलिटी, मिनिस्टर हो गये, अब आपको नहीं रखनी चाहिये। मैं आपको खुद कहता हूं, आप खुद पधारें, स्वागत का आप इन्तजार न करें, पधारेंगे तो हम स्वागत करेंगे। आप खुद पधारो और देखो कि मैं कह रहा हूं वह सत्य है या असत्य है; तब आपको मालूम पड़ेगा। यहां कह दिया कि ६ आना नुक्सान हुआ, ८ आना नुक्सान हुआ। अध्यक्ष महोदय, यहां तक निवेदन करूं कि दो राय इसमें नहीं हो सकती कि छोटे से छोटा कर्मचारी, पटवारी तहसीलदार के पास इन्फोर्मेशन जाती है तो वह पहले आकर आपसे कन्सल्ट करता है। फिर होता है यह तय कि देना या न देना। हमारी हालत तो

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

यह है कि पहले रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को दिखलावेंगे कि रेमिशन देवें या नहीं देवें। उधर आप जाते नहीं। परबारे ही पधार जाते हैं। उनियारा नहीं भाता है। उसके साथ आखिर आपकी क्या भावना है ? स्पष्ट क्यों नहीं कह दीजियेगा कि मेरी यह भावना है। बड़े भाई अयोध्या में जाकर बैठ गये, इसलिए आप भी जाकर बैठ जाय, तो मैं हाउस में नहीं आऊंगा। बुजुर्गों का आधार है। मेरी वजह से उनको आप तकलीफ देते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। टाइम ले लिया, जब हम कहते हैं तो यह फलाना इल्लीगल है, फलाने कानून में नहीं आता है, आप कानून के विधाता हो। वहां से तहसील भी हटा दी, इसलिए कि राव राजा साहब ने मकान नहीं दिया। वहां के मकान आपके छाने थोड़े ही हैं। आप भी पहले कोर्ट में पधारते थे, आपके सामने बने हैं। डिमान्ड का यह अवसर है, इसलिए निवेदन किया, आगे तो परमात्मा जाने। अब तो आप उनके साथ रहम करो।

श्री दामोदरलाल व्यास : रहम तो आपके ऊपर आ रहा है।

रावराजा श्री सरदार सिंह : मेरे ऊपर करें तो अच्छा है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कट मोशन है : "To discuss the failure of the Government to grant so far any Khatedari rights to sub-tenants of Phulera Tehsil under amended Section 19 of the Tenancy Act." अध्यक्ष महोदय, इसके लिए वहां के जो सब–टिनेन्ट्स हैं, फुलेरा तहसील के, और जो खास कर बपौतीदार सब–टिनेन्ट्स हुए हैं, जो पहले टिनेन्ट्स माने जाते थे, उनको खातेदारी राइट्स सेक्शन १६ के तहत नहीं दिये गये हैं। माननीय मन्त्रीजी के ध्यान में लाऊं कि कई दफा बपौतीदारों ने पुलिस के जरिये से उनको बेदखल किया है, उनको अरेस्ट करवा कर एक–दो दफा थाने में लेकर आ गये गलत चार्जेज़ लगा कर। बेल पर उनको बाद में छोड़ा। इस तरह होता है। १।। साल हो गया, उस सेक्शन को अमेन्ड करने के बाद जो सब–टिनेन्ट्स थे, कानून के अनुसार वे खातेदारी राइट्स के हकदार हैं, उनके नाम रजिस्टर में हैं, लेकिन उनको वह अधिकार नहीं मिलता है, यह एक अफसोस की बात है। पहले यह रखा था कि रजिस्टर में नाम नहीं होगा तो दरख्वास्तें देनी होंगी। अब तो कानून में ही अमेन्डमेंट करके यह ठीक कर दिया है कि दरख्वास्तें देने की आवश्यकता नहीं है। सबटिनेन्ट्स जिसने केस फाइल नहीं किया है उसको ओटोमेटिकली खातेदारी राइट्स मिल जाने चाहिये। इस तरह से सब–टिनेन्ट्स को खातेदारी राइट्स देने के लिए कॉम्प्रिहेन्सिव कानून बना दिया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सब–टिनेन्ट्स को खातेदारी राइट्स देने का सवाल है। यह एक नेशनल पॉलिसी है, ऑल इन्डिया पॉलिसी है। नागपुर में एग्रेरियन रिओर्गेनाइजेशन कांग्रेस ने रिज़ोल्यूशन पास कर दिया था। टाइम लिमिट भी उसका कर दिया कि दिसम्बर १६५६ तक Government will take adequate steps for abolitition of sub-tenancy. सीलिंग के कानून के लिए भी यह है। दोनों के लिए डेड लाइन डाल दी

Page No.45

(श्री पी. के. चौधरी)

थी। लेजिस्लेटिव स्टेप तो ले लिए और नागपुर रिज़ोल्यूशन पास होने से पहले सब–टिनेन्ट्स को खत्म करने का कानून बना लिया। कानून के पास हो जाने के बाद भी आज तक कानून का इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होता है। कानून पास हो जाने के साथ–साथ आश्वासन दे देते हैं कि कानून पास हो गया। गवर्नमेन्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर्स इश्यू हो गये और हो जाने पर भी इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होता है। मैंने यह तो केवल फुलेरा तहसील का ही सवाल उठाया है, दूसरी जगहों की भी यही हालत है या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम है। फुलेरा तहसील में अमेन्डेड एक्ट के अनुसार खातेदारी राइट्स मिलने चाहियें वे उनको नहीं मिले हैं। दूसरी तहसीलों का रह भी गया हो, it is a very important issue. गवर्नमेन्ट को काफी इस सम्बन्ध में अलाइव होना चाहिये और मैं चाहूंगा कि जहां तक इसके इम्प्लीमेन्टेशन का सम्बन्ध है माननीय मन्त्रीजी यह कह देंगे कि जल्दी से जल्दी हो जायगा। मैं कहूंगा Government should give a deadline कि फर्स्ट जुलाई या फर्स्ट अगस्त। रजिस्टर में नाम है, अमेन्डेड सेक्शन १९ के अनुसार सब–टिनेन्ट्स को खातेदारी के अधिकार दे दिये जावेंगे। छोटे २ इश्यूज़ पटवारी, तह–सीलदार रेज़ कर देते हैं। छोटी २ बातें हो सकती है रेकॉर्ड कीपिंग में। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि गवर्नमेन्ट एक डेड लाइन इश्यू कर दे, and with an executive order, जो ये चीजें फुलफिल करते हैं they must be conferred Khatedari rights before that date. यह नहीं करेंगे, अलग अलग जगहों पर जो एक्ज़ीक्युटिव ऑफिसर्स हैं और जिनके ऊपर इम्पलीमेंट करने की जिम्मेवारी रहती है उनकी ढिलाई की वजह से उनको खातेदारी राइट्स नहीं मिल सकेंगे। इन चीजों को अवॉइड करने के लिये स्ट्रिक्टैस्ट इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू हो जानी चाहिये। माननीय मन्त्री महोदय जब इस मांग के सम्बन्ध में रिप्लाई दें तब खास तौर से राजस्थान में फलां तारीख तक जितने भी आदमी कानून के अन्तर्गत खातेदारी राइ–ट्स पाने के अधिकारी हैं उनको खातेदारी राइट्स दे दिये जायेंगे, इस बात की घोषणा करेंगे, सारे राजस्थान में अगर दे दिये गये हों और केवल फुलेरा तहसील ही बाकी है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, इस तहसील के लिये भी कि एक महीने में खातेदारी राइट्स दे दिये जाने चाहिये। इस बारे में वे अवश्य प्रकाश डालेंगे और इस बारे में डेफीनिट आश्वासन देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कट मोशन को मूव कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस मांग पर दो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। पहला कटौती का प्रस्ताव है भूमि–सीमा–निर्धारण के कानून को लागू करने में विलम्ब पर विचार करने के लिये। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान

(श्री मुरलीधर व्यास)

इस ओर खींचना इसलिये चाहता हूँ कि राजस्थान में भूमि–सीमा–निर्धारण का सवाल करीब दस वर्षों से चल रहा है। सन् ५१ में इस बारे में एक कमेटी का निर्माण हुआ था। उसके बाद कमेटी बनी और उसके चेयरमैन हमारे मुख्य मंत्री जी बने। उनके सभापतित्व में कमेटी ने अपना काम शुरू किया और उस कमेटी की रिपोर्ट भी लम्बे समय के बाद आयी, करीब पांच साल बाद। उस रिपोर्ट के आने के बाद उस पर जल्दी विचार करना था उसमें भी काफी विलम्ब हुआ। तीन–चार साल उसमें लग गये और उसके बाद कानून बना। जिस समय कानून बनाया गया उस समय भी काफी प्रचार और प्रसार हुआ, राजस्थान सरकार जो भूमि के सम्बन्ध में सब से बड़ा और क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहती है, जो भूमि का अन्तिम लक्ष्य के रूप में क्रान्तिकारी कदम माना गया है, वह भूमि की सीमा निर्धारण का है। वह कानून भी बना; यह ठीक बात है, लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इतने बड़े महत्व के सवाल पर जो हमारे देश में प्लानिंग कमीशन ने तय किया कि जब तक भूमि की सीमा–निर्धारण का कानून बन नहीं जाता और उस पर अमल नहीं होने लगता है तब तक भूमि समस्या का जो अन्तिम लक्ष्य है, भूमि सुधार का, उस अन्तिम लक्ष्य तक हम नहीं पहुँच सकते। आश्चर्य तो इस बात का है कि उस कानून को स्वीकार करने के बाद भी जिस समय कानून बन रहा था उस समय यहां तक चर्चा चल रही थी कि इसको इस तारीख से लागू कर दिया जाय यानी जल्दी लागू कर दिया जाय। इस पर भी बड़ा लम्बा–चौड़ा विचार हुआ। आज तक इस सम्बन्ध में कानून बन जाने के बाद भी यह कानून लागू क्यों नहीं होता, इस पर आश्चर्य जरूर होता है।

हालांकि इस कानून को सभी बड़ा महत्व-पूर्ण मानते रहे हैं और वास्तव में महत्वपूर्ण है भी, जिसको हम क्रांतिकारी कदम कह सकते हैं, जिसका सम्बन्ध राज्य के लाखों और करोड़ों लोगों से है। इससे उन भूमिहीनों को लाभ मिलने वाला है जो लम्बे समय से इस आशा में बैठे हुए हैं कि अब जागीरदारी गई, जमीं-दारी गई, धीरे–धीरे ऐसा कानून भी आयगा, जिससे हम भूमिहीनों को लाभ मिलेगा। लेकिन आज तक भी, इतने लम्बे समय के बाद भी उसी प्रकार की स्थिति रहती है। कानून के बन जाने के बाद भी उस पर अमल नहीं होता है। तो मैं कहूँगा, जो सरकार अपने आपको प्रगतिशील सरकार कहती है लेकिन जो यह प्रगतीशील कदम है उसको लागू करने में हिचकती है, उसका एक ही कारण है, वह यह कि वह ऐसी परिस्थितियों में बंधी हुई है कि जिसके कारण इतने महत्वपूर्ण कदम को कार्य–रूप में परिणत नहीं कर पा रही है। जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो हम यह महसूस करते हैं कि सरकार इस प्रकार के कदम को उठाने में इसलिये हिचकिचाती है कि वह सोचती है कि अगर इसको लागू कर दिया गया तो आयन्दा चुनावों में कांग्रेस के लिये जीतना मुश्किल हो जायगा। सरकार यह सोचती है कि इस प्रकार का कदम उठाने से नतीजा यह होगा कि आगामी चुनावों में कांग्रेस सरकार को बड़ा भारी धक्का लगेगा। यही धारणा उनके दिमाग में बैठी हुई है। इस मामले में आजादी के पहले से हम विचार करते आ रहे थे। इस चीज को पहले से हम आवश्यक मानते आ रहे थे। लेकिन आजादी के बाद भी, इस प्रकार का कानून बन जाने

(श्री मुरलीधर व्यास)

के बावजूद भी, इसको लागू करने में विलम्ब कर रहे है। आज की सरकार जो अपने आपको समाजवादी कहती है, प्रगतिशील होने का दावा करती है, लेकिन जिस तरीके से उसने भूमि-सुधार के सम्बन्ध में कानून बनाने में विलम्ब किया है उस विलम्ब से जो मूलभूत परिवर्तन होना चाहिये जिससे आम लोगों को लाभ मिलना चाहिये वह सही मायने में नहीं मिल पाया है। इसमें विलम्ब करने का नतीजा यह होगा कि जिससे हम आम लोगों को लाभ देना चाहते हैं वह उनको नहीं दे पायेंगे।

इस कानून के अन्दर जो हमने इस प्रकार का प्रोवीज़न कर रखा है कि मेकेनाइज्ड फार्म पर यह सीलिंग का कानून नहीं लागू होगा; तो उसके अन्तर्गत थोड़े अर्से में लोग वेल मेकेनाइज्ड फार्म बना लेंगे। इस प्रकार के फार्म बन जाने के बाद वे जितनी चाहे जमीन रख सकेंगे। इस तरह से उनको इस मामले में छुट्टी मिल जायगी, थोड़ी बहुत जमीन किसी तरह से निकल सकती थी वह भी इसके बाद नहीं निकल पायगी और उसका लाभ जनता को नहीं मिल सकेगा। मैं तो खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार डरती है और इसलिये डरती है कि कानून को जल्दी से लागू कर दिया गया तो आने वाले चुनावों में लोग उनके खिलाफ हो जायेंगे और वे नाकामयाब होंगे। इसी डर की भावना के कारण इस कानून के जल्दी बन जाने के बावजूद भी आज तक लागू नहीं किया गया है। वे इस बात से डरते हैं, तो मैं राजस्थान सरकार को जो अपने आप को प्रगतिशील कहती है, मैं तो उनको प्रतिक्रियावादी ही कहूँगा। यह उनका पिछड़ापन है कि इतना महत्वपूर्ण कानून होते हुए भी, लम्बा समय हो गया, कानून बन जाने पर भी हम उसको लागू नहीं कर सके हैं। तो सरकार प्रगतिशील कहने का दावा नहीं कर सकती।

मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जब कि हम विचित्र परिस्थितियों से लड़ रहे हैं उस बीच में इस प्रकार के महत्वपूर्ण कदमों में भी हम पीछे रहते हैं तो आगे आने वाला समाज जो समाजवादी व्यवस्था से टक्कर लेने वाला होगा वहां हम इस समय जो समाजवादी व्यवस्था के हामी हैं उस सम्बन्ध में, जो मूलभूत प्रगतिवादी कदम है उसको हम लागू नहीं कर रहे हैं; तो अपने आप में पिछड़े हुए रह जायेंगे। हमें चाहिये कि इस बारे में हम मुस्तैदी के साथ कदम उठावें। वहां बहुत जल्दी सीलिंग का कानून लागू होना चाहिये ताकि किसी को यह कहने का मौका नहीं मिले कि सरकार आयन्दा चुनावों को ख्याल में रख कर इस प्रकार के महत्वपूर्ण कदम को भी नहीं उठा रही है। हमें चाहिये कि यह प्रगतिशील कदम जो हमने उठा लिया है उसको जल्दी से जल्दी लागू करें।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है भूमिहीनों को जमीन अलॉट करने के सम्बन्ध में। यह भी उसी कटौती प्रस्ताव से सम्बन्धित है। भूमि की सीमा के जहां निर्धारण का सवाल है उसका खास मुद्दा यही है कि भूमिहीनों को भूमि मिले। अगर सरकार के पास जमीन है तो उसको भूमिहीनों को दी जाय। सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है कि भूमिहीनों को भूमि मिले, इस प्रकार के क्रांतिकारी कदम को उठाने में किसी प्रकार की बाधा पहुँचती है तो उसको हमें दूर करने का

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रयास करना चाहिये। सरकार ने जो भूमि सुधार के सम्बन्ध में नीति अख्त्यार कर रखी है; कोटा और गंगानगर में जो जमीन है उस जमीन को सरकार नीलाम से देगी। यह मेरी समझ में नहीं आता है कि जब हम आजाद हुये, हम यह सोच रहे थे कि भूमिहीन जो लोग हैं उनको काश्त के लिये भूमि मिलेगी।

अब दस–पन्द्रह साल में आजादी के बाद ऐसा समय आ गया है कि भूमिहीनों को जमीन मिल जाती और ऐसा होता तो मैं मानता कि सरकार ने काम किया और विकास का लाभ उनको भी मिला, जो वर्षों से इस फल पर नज़र लगाये बैठे थे। पर आपने नीलाम का तरीका ऐसा रखा है कि उनकी आशाओं पर पानी फिर गया है। नीलाम से भूमिहीनों को जमीन नहीं मिल सकती। अगर आपका विकास पर काफी पैसा लगा है तो इसका तरीका आप एक अख्त्यार कर सकते थे कि जो जमीन हमारे पास में है यह उसको मिलेगी, जो उसे जोतता रहा है अब तक या जो भूमिहीन है, वह किश्तों के आधार पर सरकार को उसकी रकम चुकाता रहेगा। ऐसा कर देते तो भी मैं समझता कि आपने कुछ प्रगतिशील कदम उठाया है। पर आपने सारा तरीका ऐसा रखा है कि जिसके पास पैसा है या पहले से ज्यादा जमीन है वह ज्यादा खरीद सकेगा। असमाजवादी और प्रतिक्रियावादी कदमों में और सरकार के इस तथाकथित समाजवादी कदमों में जब मुकाबला होगा तो आने वाली पीढ़ी यही कहेगी कि इस समाजवादी सरकार ने किस प्रकार का एक प्रतिक्रियावादी कदम रखा है ? आप गंगानगर, लूणकरणसर जाइये और देखिये वहां जमीन कौन खरीद रहा है ? कई तरीकों से खरीदता है खरीदने वाला। आपने कानून बनाया इससे ज्यादा नहीं खरीद सकता, जिसके पास पहले है वह नहीं खरीद सकता पर खरीदता है, लड़कों के नाम से खरीदता है, दूसरों के नाम से अपने बीवी-बच्चों के नाम से खरीदता है। कई तरीके हैं जिससे वह खरीद सकता है। हर जगह देख लीजिये, नीलामी की यही हालत है ? मकानों की यही हालत है। गरीब प्लाट नहीं ले सकता, खरीद नहीं सकता, नीलाम में ले नहीं सकता। तो इन सारी वस्तुस्थितियों को आपको देखना होगा। क्रान्ति केवल कानून पास कर देने से नहीं होती। क्रांति होती है सदा से पिसने वाला आदमी, सदा से आंख लगाये, बैठे आदमी को जमीन मिलती है, वह आबाद होता है तब। आपने भूमि सुधार के कितने भी कानून बना लिये हों, पर जिस तरह से आज ये कदम आप रख रहे हैं उससे तो यह क्रांति नहीं, पिछड़ापन ही है। आपका यह कदम पुराने जमाने से भी गिरा हुआ है। इस माने में सरकार को नीति स्पष्ट रखनी चाहिये।

इसी तरह कहने को सरकार अलॉट करती है उनको जिनके पास जमीन नहीं है या कम है। पर मन्त्री महोदय का ध्यान मैंने पहले भी खींचा था। आप गोगामेड़ी और दूसरे-दूसरे स्थानों पर चले जाइये। आपको अनेकों उदाहरण मिलेंगे। मेरे पास इस समय वह सारी फहरिश्त नहीं है कि सारी सूची मैं आपको फिर दे सकूं। फिर भी कुछ नाम गिना देता हूँ, जिनके पास पहले काफी जमीन थी, फिर भी उनको ही अलॉटमेंट मिला और कई तरीकों से मिला। जिनके पास सौ डेढ़ सौ

(श्री मुरलीधर व्यास)

बीघा है उन्होंने इन तरीकों से फिर प्राप्त करा ली क्योंकि उनकी पहुँच थी । गोगामेड़ी में यादरामजी जिनके पास १५० बीघा जमीन थी, २५ बीघा अनकमान्डेड जमीन और मिल गई, इसी तरह भर्ता राम, करना राम, रतीराम, भजनाराम, मोहनाराम, रामकिसन, खाजूराम हैं । इनमें गलत तस्दीक भी होती है । उपसरपंच गलत तस्दीक भी कर देता है । मोहनराम देवाराम पटवारी है ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : यह जो लिस्ट आप पढ़ रहे हैं, मुझे दे दें; particulars of the land and addresses of these persons.

श्री अध्यक्ष : इस तरह की जितनी भी जानकारी माननीय सदस्य की है वह उनको (मन्त्री महोदय को) दे दें ।

श्री मुरलीधर व्यास : ठीक बात है कि आपने कानून बनाया कि भूमिहीनों को जमीन मिलेगी, पर आपका कानून इतना लचर और ढीला है कि जिससे दूसरा चाहे जिस नाम से, दूसरे तीसरे के नाम से, बीबी बच्चों के नाम से, नाबालिग बच्चे के नाम से अलॉट करा लेता है । तो सही ढंग से सही माने में सही लोगों को भूमि अलॉट हो, इसकी ओर मन्त्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूँ ।

सीलिंग कानून के वक्त वाहवाही हुई कि बड़ा भारी क्रान्तिकारी कदम सरकार ने उठाया । कानून चाहे ठीक हो पर आज वह कागज में रह गया है, कागजों में ही उसका प्रचार हो गया है । आम जनता में आपके फोटो जरूर लग गये हैं । परन्तु एक इस प्रकार की क्रान्ति की लहर का फायदा जो उस गरीब को मिलना चाहिये सही माने में वह गरीब अभी तक कतई नहीं प्राप्त कर सका है । आप सही संख्या नहीं बता सकते कि इतने गरीब आदमियों को आपने राहत पहुँचाई । अधिकांश में उनको लाभ मिला जिनके पास पैसा है, या पहले से काफी जमीन है । अगर दूसरे को मिल गया है तो उनको मिल गया है, जैसे भगवान शंकर की जटा में गंगाजी रम गई थी, भागीरथ ने काफी प्रयत्न किया, गंगा जब गिरी तो शंकर की जटा पर गिरी; पर शंकर तो चूंकि त्यागी थे उन्होंने तो जब यह देखा कि मेरी जटा में ही रम गई है तो गंगा को उठा कर धरती पर डाल दी । पर आज तो यह असर हुआ है आपकी इस क्रान्ति का कि वह भूमि सुधारों की गंगा जाकर सफेद टोपी पर गिरी और आज उस टोपी में ही घूम रही है । आम लोगों में नहीं जा रही है । तो आम लोगों में जानी चाहिये । तो मैं कहना चाहूँगा कि इस मूलभूत मुद्दे पर आप ध्यान दें । यह बुनियादी मामला है । इसका वे स्पष्टीकरण करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्रीमती गंगादेवी डाटा ।

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद यादव ।

Page No.50

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर–सु०) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७ पर; जनता को जमीन नहीं मिलने के बाबत बहस करने के लिये। सरकार ने सीलिंग का बिल पास किया। इसके अनुसार एक तरफ जिलों में भूमि अलॉटमेन्ट कमेटी बनती है और वह भी किसी किसी जिले में नहीं बनी। उदाहरण के तौर पर बताऊं, सवाई माधोपुर में जमीन का झगड़ा गत दो वर्षों से ऐसा चल रहा है कि वहां भूमि अलॉटमेन्ट कमेटी नहीं बनी।

(१.०० म. प)

मैं वहां के एम. एल. ए. से भी मिला तो उन्होंने कहा कि कमेटी में मुझे लिया ही नहीं गया। तो मैं, अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर कुछ माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि राजस्थान में लाखों और करोड़ों एकड़ जमीन पड़ी हुई है। एक तरफ लोग अधिक जमीन लेकर अधिक अन्न उपजाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हमारी सरकार यह कहती है कि हमको अनाज विदेशों से मंगाना पड़ता है। एक तरफ जहां लाखों और करोड़ों एकड़ जमीन पड़ी है उस जमीन को यदि रेवेन्यू डिपार्टमेंट वितरण कर दे और आज हमारे कॉलेज के पढ़े–लिखे लड़के भी मांग करते हैं कि हम आज कुएं वगैरह खोदकर और खेती करके एग्रीकल्चरल प्रोबलम को हल करना चाहते हैं, बाग–बगीचे लगाकर और जमीन में भी पैदावार करना चाहते हैं; तो मैं निवेदन करूं कि माननीय मंत्री महोदय अपने डिपार्टमेंट से ऐसा परिपत्र निकालें ताकि वह हर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के पास पहुंचे और वे एस. डी. ओ. और तहसीलदार के पास यह सूचना को भेजें जिससे जनता को भूमि मिल सके। आज कई मिसलें हमारे सेक्रेटेरियट में उलझी पड़ी हैं। मैं इसमें किसी खास तौर पर जातिवाद के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ लेकिन राजपूत जागीरदार हैं। ठीक है, उन्होंने अपने शासन में जुल्म किये हैं और इससे किसी जागीरदार की जमीन को झगड़े में डालना और उसको नहीं सुलझाना कोई न्याय–संगत बात नहीं है। तो ऐसे भी जागीरदारों के केसेज़ हैं कि जिनकी पचास–पचास बीघा जमीन के झगड़े के केसेज़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उलझे पड़े हैं उनको आप निकालें जिससे वे लोग खेती कर सकें....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बतायें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कौन से जागीरदारों के जमीन के केसेज़ पड़े हैं? मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई जमीन के केसेज़ जागीरदारों के नहीं आते।

श्री हरिप्रसाद यादव : कई छोटे–छोटे माफीदार हैं उनको जमीन के झगड़े हजारों की तादाद में पड़े हैं और वे मेरे मित्र हैं। मैं जहां से चुनकर आया हूँ जागीरदारों के इलाके से आता हूँ, वहां कई ठिकाने हैं। उनके झगड़े हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों ने डाल रखे हैं। किसी के परिवार का डाल रखा है और किसी औरत के उत्तराधिकारी कौन हो, ऐसे कई टन्टे हैं जिनका गोलमाल जवाब देकर माननीय मंत्री महोदय टालना चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय ने इस सदन में सुनहरी शब्दों में कहा था कि लाखों

(श्री हरिप्रसाद यादव)

और करोड़ों एकड़ जमीन हमारे राजस्थान में पड़ी हुई है। जब हम सीलिंग का बिल पास कर रहे थे उस समय आपने यह कहा था। तो मेरा तो यही निवेदन है कि जो जमीन के वितरण करने का तरीका है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय नाराज हो गए कि मेरे डिपार्टमेंट की पोल क्यों बता दी।

(विराम)

सही बातों पर भी माननीय मंत्री महोदय नाराज होना चाहते हैं। आज कई लोग ऐसे हैं कि जो भूमिहीन बैठे हैं, जिनके पास हल हैं, बैल हैं। अगर उनको जमीन मिल जाय तो वे लोग अधिक उपज कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को यही कहना चाहता हूँ कि आपके डिपार्टमेंट में जो कमियां हैं उनको दूर करें और इस सदन में कई माननीय सदस्य इस विषय पर बोलते भी हैं। हर आये बजट अधिवेशन में हम आपसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपकी भूमि अलॉटमेंट कमेटी में जहां भूमि अलॉट होनी चाहिए वहां पक्षपात बरता जाता है और आपके तहसीलदार उसको नहीं देखते हैं और न कुछ सुनवाई करते हैं। तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान खींचूं कि इस डिपार्टमेंट में कुछ सुधार आना चाहिए और जो लाखों और करोड़ों एकड़ जमीन पड़ी है उसका वितरण होना चाहिए और जो लोग भूमि के लिए चिल्लाते रहते हैं उनको भूमि जरूर मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री मनरूपराम परिहार।

श्री मनरूपराम परिहार (खारची–सु.): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे तीन कटमोशन हैं। मेरा पहला प्रस्ताव देसूरी तहसीलों में भूमिहीनों की समस्या के बारे में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं कि आज राजस्थान में भूमिहीनों की समस्या है। यह कम से कम जब से फॉर्मर स्टेट्स मर्ज होने के बाद ज्यों–ज्यों लोगों की संख्या बढ़ी जमीन की कीमत बढ़ी, लोगों ने कब्जा किया और कानून बनते गए। १९५५ में कानून बना और जिनकी काश्त की जमीन है उनका कानून बना। लोग अपनी–अपनी जमीनों के मालिक बने और उनको खातेदारी हक मिले। लेकिन जो भूमिहीन थे पहले, वे आज भी भूमिहीन हैं। राजस्थान में भूमिहीनों की संख्या अन्दाजन अगर आंको जाये, सही आंकड़े तो नहीं है लेकिन जो जनता वास्तव में गांवों में रहती है वहां चौथाई हिस्से में ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं और उनके पास जमीन नहीं है और वे काश्त का काम करते हैं। यों तो भूमिहीन सभी हैं लेकिन जो गांवों में रहते हैं उनको खेती के लिए जमीन नहीं मिलती है। जो गरीब हैं और जो विशेषकर शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेज़ के लोग हैं उनकी समस्या विशेषकर हल नहीं हो सकी है। जमीन का मामला है जमीन

(श्री मनरूपराम परिहर)

जितनी थी वह कवर हो चुकी है। किसी के पास फार्म हैं, कोई जमीन खातेदारी में चली गई, कोई माफीदारी में चली गई और फिर १६५० में जब पंचायतों की नींव डली तो १६५३ में कानून बना कि पड़त खालसा की जमीन अगर राजस्थान में पड़ी है तो उस भूमि को पंचायतों को गोचर के लिए दे दी जाये। पहले ऐसा कानून नहीं था कि वह भूमि गोचर के लिये पंचायतों को दे दी जाय। तो इस तरह से जो थोड़ी बहुत जमीन थी और खालसा की पड़ी थी वह गोचर में चली गई। अब भूमिहीनों का मामला इसलिए नहीं हल होता है कि जमीन नहीं है, थी वह चली गई। तो इस प्रकार राजस्थान के अन्दर भूमिहीनों की संख्या रह गई और विशेषकर उन लोगों की रह गई जो शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेज़ के लोग हैं। अब वे भूमिहीन कैसे रह गए और क्यों रह गए, इसका मैं आपको बताता हूँ। मुझे जहां तक अनुभव है देसूरी तहसील के बारे में मुझे यह पता लगा है और जहां तक मुझे दस–ग्यारह वर्ष पहले की बात याद है ये छोटे लोग बड़े लोगों की आजीजी करते थे क्योंकि उनके पास काम तो कोई होता नहीं था। इसलिए पहले उनके पास जमीन नहीं थी और जमीन थी भी तो देते नहीं थे। इस प्रकार से वे भूमिहीन हो गए और अब उनको भूमि मिलती नहीं है। बाद में सरकार ने कानून बनाया कि एक लैण्ड अलॉटमेंट कमेटी बनाई जाये और कमेटी ही लैण्ड अलॉट करे। उसमें शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बेकवर्ड क्लासेज़ के लिए २५ पर्सेन्ट के हिसाब से लैण्ड रिज़र्व रखी है। फिर कानून में यह भी है कि ८ बीघा से कम जमीन जिनके पास है, दो बीघा है, तीन बीघा है तो वह भूमिहीन है और ८ बीघा से लेकर १५ बीघा तक वह कमेटी अलॉट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। यह कमेटी पांच-छः सदस्यों की है, जिसमें एम० एल० ए०, सरपंच, पटवारी, बी. डी. ओ. और तहसीलदार है। तो वह कमेटी भी बनी। मैं, अध्यक्ष महोदय, मानता हूं और यह सब ऑनरेबल मेम्बर्स मानते हैं कि अपने अपने एरिया में क्या क्या प्रोब्लम्स हैं, यह समस्या क्यों हल नहीं हो रही है और इसके लिए क्या होना चाहिये? अधिक क्रान्तिकारी कदम इसके लिए उठायें। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है कि क्रान्तिकारी कदम उठाने से उन गरीबों को फायदा नहीं मिला है। यह मैं मानता हूं और दूसरे माननीय सदस्य भी जानते होंगे कि जो भूमिहीनों की समस्या है यह हल होने का मामूली मामला नहीं है, क्योंकि यह जमीन का मामला है जमीन का ऐसा मामला है जो कि खींचतान का मामला नहीं है, रबर का मामला नहीं है जो कि खींचतान कर सबको दे दी जाय। जिसको एलॉट कर दी गई उनको कर दी है और भी जमीन पड़ी हुई है। खाड़–खोचर में पड़ी हुई है। इधर उधर पड़ी हुई है जमीन।

दूसरी बात यह है कि भूमिहीनों की समस्या हल करने का मेरा सुझाव है कि सबसे पहले जो जेनुइन केसेज़ हैं, जो रियली लैण्डलेस हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, जो विशेषकर खेती का ही काम करते हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाय। तहसीलदार और पटवारियों को एक आदेश दिया जाय कि लिस्ट तैयार करें कि वहां पर जो गरीब लोग हैं उनके पास में कितनी जमीन है, कितनों ने जमीन एलॉट करने के बाद में ले ली है, किसी ने बेटे के

(श्री मनरूपराम परिहार)

नाम से ले ली है, किसी ने खरीद कर जमीन ले ली है। इनको जमीन की भी लिस्ट बनानी चाहिये ताकि लैण्ड एलॉटमेंट कमेटी के सामने रख सकें और आंकड़े सही रख सकें और यह चीज़ भी तैयार हो कि इतनी संख्या भूमिहीनों की है। इनकी एक फेमिली के अन्दर ५–४ आदमी अलग–अलग रहते हैं, और अलग अलग न्यारे हो जायं तो उनकी अलग लिस्ट तैयार की जाय कि आपके पास इतनी जमीन है और बड़े भाई के पास इतनी है तो जमीन का भी पता लगेगा और यह भी पता लगेगा कि भूमिहीनों की संख्या इतनी है, और इतनी वहां पर जमीन है और इतनी-इतनी जमीन तो दे दें तो इतनी-इतनी मिल सकती है।५, १० या १५ बीघे के हिसाब से वह मिल सकती है या नहीं ? इस प्रकार का एक कदम उठाया जाना चाहिए जिससे यह प्रोब्लम हल हो सके, नहीं तो यह हल नहीं हो सकती है, क्योंकि जमीन जिनके पास है उनको आज बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो मेरा यह सुझाव है कि सबसे पहले लिस्ट होनी चाहिए।

दूसरी बात और है कि आज जितनी ज़मीन मौजूदा इधर उधर गड्ढों में पड़ी हुई है जो खालसा की जमीन पड़ती है और जिसको बसायेंगे तो उन जमीनों को उन पिछड़ी हुई जातियों को विशेषकर जो भूमिहीन हैं, जैसे बाम्भी, मेघवाल, आदिवासी हैं और ऐसी दूसरी अन्य कौमें हैं, इन लोगों को सबसे पहले यह जमीन दी जाय जिनके पास में और कोई काम का जरिया नहीं है, जिनके और कोई इकोनोमिक रिसोर्सेज़ नहीं हैं, जो पहले इस प्रकार से मज़दूरी करके कमा लेते थे, और जिनके पास पहले से जमीन नहीं थी, वे आश लगाये बैठे हैं कि आज कांग्रेस का राज्य है, देश के अन्दर आजादी है, तो हम लोगों को जो जमीन फालतू है वह मिलेगी। इस तरीके की वे आस लगाये बैठे हैं, उन्हें सबसे पहले दी जाय, चाहे उन्हें ५ बीघा ही मिल जाय, परवाह नहीं, लेकिन ठीक तौर से यह प्रोब्लम हल हो जाय। लेकिन सही आंकड़े तैयार हो जाये तो लोगों को विश्वास हो जाय कि जमीन मिलेगी । सही आंकड़ें नहीं हैं। इस तरह की बात जो सही होगी वह माननीय मंत्रीजी बतायेंगे। सही आंकड़ें तैयार हो जायें कि इतने लोगों को देंगे, भूमिहीनों की संख्या इतनी थी, मौजूदा में इतनी रह गई। मगर इसके लिए लिस्ट जरूरी है ताकि पता लगे कि शिडूल्ड कास्ट्स और शिडूल्ड ट्राइब्स के लोगों को इतनी जमीन मिली है। बगैर लिस्ट बनाये पता नहीं लग सकता है कि जमीन मिली है या नहीं, वैसे तो आवाज़ आ रही है कि भूमिहीनों की संख्या का प्रोब्लम है, हल नहीं हो सकती है। अगर कोई सही बात सामने हो तो समझ में आ सकती है।

राज्य में विशेषकर उन भूमिहीनों की ज्यादा संख्या है जो वास्तव में काश्तकारी का काम करते हैं उनको ही जमीन मिलनी चाहिए। उनको अगर जमीन नहीं मिलती है और दूसरों को मिल जाती है तो यह उनके साथ अन्याय होगा। पड़त खालसा में जो कुछ जमीन पड़ी है वह विशेषकर शिडूल्ड कास्ट्स, शिडूल्ड ट्राइब्स और पिछड़ी हुई जातियों को पूरी की पूरी दी जाय। उनमें से भी जिसका धन्धा खेती का नहीं है उनको नहीं दी जाय और दूसरी भी जो जातियां हैं जिनका धन्धा खेती का है उनको दी जाय।

Page No.54

(श्री मनरूपराम परिहार)

जिनका धन्धा पशु-पालन का है परम्परा से उनको भी जमीन देनी चाहिए ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो जाय। एक इस तरह का वातावरण पैदा हो जाय कि हमको जमीन मिल जायगी। वे नहीं चाहते हैं कि उनको बड़े बड़े फार्म मिल जायं। वे नहीं चाहते हैं कि मेकेनाइज्ड कल्टीवेटर्स की तरह उनको बड़े बड़े २००–३०० बीघा के फार्म मिल जायं। उनकी यह मांग नहीं है। जितनी जमीन हमारे पास है उस आधार पर अगर जमीन मिल जाय तो उन्हें विश्वास हो जाये। यह असंभव बात है कि आज जिन लोगों के पास २००–३०० बीघा जमीन है फार्मों के अन्दर उनको भी ज़मीन उसके बराबर मिल जाय। यह उम्मीद करना ठीक नहीं है।

दूसरा, मेरा सुझाव यह है आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को कि राजस्थान के अन्दर जो झोड़ हैं, अभी थोड़े दिन पहले फोरेस्ट की डिमान्ड पर काफी माननीय सदस्यों ने मांगे पेश की थीं कि जिनमें कुछ पेदावार नहीं हो वह झोड़ की बढ़िया जमीन फालतू पड़ी हुई है। उन पर घासफूस भी नहीं होती है बल्कि उन पर और खर्चा करना पड़ता है। इस तरह की जो जमीन है, विशेषकर, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे पाली डिस्ट्रिक्ट में विशेषकर ऐसे ऐसे बड़े झोड़ पड़े हुए है जिनके अन्दर पैदा बिल्कुल नहीं होती है और उन लोगों को रुपया लगाना पड़ता है, जैसे केवले का झोड़ है देसूरी तहसील में, रजवाड़े का झोड़ है, इस तरह के २–३ झोड़ों में हजारों बीघा जमीन पड़ी हुई है। वह जमीन शिडूल्ड कास्ट्स और शिडूल्ड टाइब्स के भूमिहीनों को तथा और भी कौमें सवर्ण जातियों की हैं और जो भूमिहीन हैं, उनको देना जरूरी है; उन लोगों को एलॉट कर दी जाय खेती के लिए, तो भूमिहीनों की समस्या हल हो सकती है, उन लोगों के लिए काम का जरिया पैदा हो सकता है। उन लोगों के पास भेड़ वगैरह और पशु हैं वे पाल सकें। उनमें ईर्ष्या, द्वेष पैदा नहीं होगी कि दूसरे लोग खेती करें और वे बेकार बैकर बैठे रहें। वे पशु भी नहीं पाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर घास वगैरह नहीं होती है और दूसरे लोगों के अन्दर क्यों आने देगें, क्योंकि आजकल लोगों को हक मिल गये हैं। माफीदारी का मामला है। इस तरह से ज़मीन देने पर भूमिहीनों की समस्या हल हो सकती है। जहां तक मैं समझता हूँ उससे काफी सहारा मिल सकता है, भूमिहीनों की समस्या हल होने में। राजस्थान में ऐसे क्रान्तिकारी कदम उठायें तो आज जो हमारी भूमिहीनों की समस्या है वह हल हो सकती है।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष, मेरा कट मोशन है :

"मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू राजस्व में १) रुपये की कटौती की जाय (गांवों में पड़त व काश्त की भूमि पर कुए, पीचके खोदने पर बहस करने हेतु)"

इसके लिए आज बड़ा मामला है। आज राजस्थान के अन्दर, मैं कहूँ, तो इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं। आज राजस्थान में विशेषकर मौजूदा गिनती के अनुसार २ करोड़ जनता रहती है। दो करोड़ जनता के अन्दर ८० से ८५ पर्सेन्ट लोग गांवों के अन्दर रहते हैं और ऐसे गांवों में रहते हैं जहां ५०, ६०, १०० और २०० घर होते हैं।

(श्री मनरूपराम परिहार)

विशेषकर ऐसे २ गांवों में लोग रहते हैं उन गांवों की ऐसी हालत है कि पड़त जमीन तो गांवों के पास में नहीं रहती है; इससे अधिक आबादी होने पर घर बांधने में बड़ी दिक्कत होती है। इसमें दिक्कत यह है कि कुएं जो खुदे हुए थे वे लोगों ने पट्टे में करा लिये हैं। दूसरे नये खोदें तो जमीन नहीं है। इस तरह का मामला हो गया है तो गांवों के अन्दर बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। एक तो रहने की जगह नहीं है और दूसरे पीने के पानी के लिए नये बेरे खोदें तो खोदें कहां ? गांव में जो कुए थे वे बापी में पूरे आ गये हैं। यह हरिजनों के लिए राजस्थान में बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। वे लोग उन कुओं से पानी नहीं भरने देते हैं। नये नहीं खोद सकते हैं क्योंकि गांव के अन्दर जमीन नहीं है जहां पर खोद लें। गांव की आबादी नहीं बढ़ सकती है जब तक कि गांवों के अन्दर किसी प्रकार का कानून बनाकर एक्वायर नहीं करायें, सारा प्रॉसीजर ले आउट करें, उसकी लिखा-पढ़ी करके और कलेक्टर वगैरह मिल कर कि इतने आदमी के बगैर ग्रुप नहीं हो सकता है और फलानी जगह एक्वायर कर दें। कुछ न कुछ होना चाहिए। गांवों के अन्दर ऐसा स्टेप लिया जाय कि गांव की सीमा निर्धारित की जाय और १००–२०० बीघा का एरिया छोड़ दें ताकि गांव की आबादी बढ़े तो मकान नये बनाये जा सकते हैं। कहीं पानी की समस्या आती है, तो गांवों के पास जमीन नहीं है इसलिए खोदें कहां ? गांव बढ़ता है तो आजादी के लिए जमीन नहीं है। जमीन की लिखा–पढ़ी हो गई है, वगैर एक्वायर करने के वह नहीं हो सकता है। गांव की आबादी बढ़ने के हिसाब से यह गांवों के अन्दर बहुत बड़ी समस्या है। इस तरह से जैसे कोई सीमा निर्धारित की जाय, २०० या ३०० कदम; क्योंकि इसके बिना लोगों को बड़ी भारी दिक्कत है। इसी प्रकार का मामला है, इस पर सीरियस कदम उठाना चाहिये। गांवों में सारी योजना पूरी कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं; लेकिन खाली पैसों से विकास नहीं होगा जब कि लोगों को विश्वास नहीं है कि कहां जावें, कहां रहें।

मेरा दूसरा कटोती प्रस्ताव और है। सेटलमेन्ट का रिवोज़न हुआ है, उसके लिये अमीन, गिरदावर वगैरह ने गांवों में जाकर, जमीन की पैमाइश की है और पता लगाया है कि यह तुम्हारी है और यह दूसरे की है, तुम्हारे बीच में आ गई है। सैटलमेन्ट विभाग ने रिवीज़न हमारे यहां किया, दूसरी तहसीलों में भी किया हमने गांवों में जाकर देखा कि क्या हो रहा है। सैटलमेन्ट विभाग की तरफ से अमीन, कानूनगो वगेरह दो–तीन आदमी भेजे गये थे लेकिन उन्होंने जगह जगह झगड़े खड़े कर दिये; यह जमीन तुम्हारी नहीं है, तुमने वैसे ही कब्जा कर लिया है। लोग उनको सौ, दो सौ रुपये दे देते हैं तो उनके पास जमीन रह जाय नहीं तो घोटाला है। मैंने इस बारे में लोगों से बातचीत की और कलेक्टर साहब से कहा कि यह ठीक नहीं है, बीच में गड़बड़ घोटाला डाल रहे है। किसी को कहते हैं कि १० साल पहले तुम्हारे पास नहीं थी, अब कैसे है। बीच में जो पैसा दे देते हैं उनकी तरफदारी कर देते हैं।

मैं मानता हूँ कि कानून के माफिक जो लोग बोघोड़ी नहीं देते हैं उनसे वसूली होनी चाहिये। लोगों में झगड़ा खड़ा कर देना, यह तरीका ठीक नहीं है। इसलिये यह मेरा कट मोशन है।

श्री नाथूलाल करोल (लालसोट मु.) : माननीय अध्यक्ष, मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व पर मेरे कटौती प्रस्ताव हैं, तहसीलदारों और पटवारियों द्वारा जो करप्शन किया जाता है उसके बारे में ।

माननीय अध्यक्ष, पटवारियों का जो कन्सर्न होता है वह काश्तकारों से होता है, हर एक.काम काश्तकारों का पटवारियों से पड़ता है। काश्तकारों को अपने काम के लिये यदि लकड़ी काटनी होती है तो वे पहले पटवारी के पास जाते हैं । टीनेन्सी एक्ट के सेक्शन ८४ के सब–सेक्शन एक-दो और तीन में साफ लिखा है कि काश्तकार अपनी जरूरत के लिये लकड़ी काट सकते हैं फिर भी पटवारी उनको परेशान करते हैं । दूसरा काश्तकारों का सम्बन्ध है पटवारियों से तकावी के बारे में । तकावी फॉर्म पर पटवारी की रिपोर्ट होना जरूरी होता है, इसलिये उनसे ताल्लुक होता है । इसके अलावा पटवारी लगान वसूल करते हैं । इस तरह से पटवारी और काश्तकारों का इतना सम्बन्ध जुड़ा हुआ है कि जिसकी हद नहीं, लेकिन ये पटवारी काश्तकारों को परेशान करते हैं और काश्तकार हमेशा उनसे दबे हुए रहते हैं । यह समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है? या तो पटवारियोंकी तनख्वाए कम हैं जिसकी वजह से उनको परेशान करते हैं । खास बात यही समझ में आती है कि उनकी तनख्वाए कम हैं इसलिये वे लोग उनको परेशान करते हैं और नाजायज़ पैसा लेने का काम करते हैं । यदि गिरदावरी की नकल भी पटवारी समय पर नहीं देते हैं ; मंत्रीजी कहेंगे कि अब तो पंचायत है, वार्ड के पंच होते हैं वे शामिल होते हैं लेकिन मैं कहूँगा कि पंच ऐसे हैं जो पढ़े–लिखे नहीं होते इसलिये समझते नहीं हैं और पटवारी लोग उनको दबा देते हैं और जैसा पटवारी चाहते हैं वैसा कर देते हैं । तो आजकल गिरदावरी ऐसी होती है कि जैसे मैं जमीन पर कबिज हूँ और मेरे नाम गश्त गिरदावरी न करके अपना उल्लू सीधा करने के लिये दूसरे के नाम कर देते हैं । मंत्रीजी कहेंगे कि गश्त गिरदावरी की शुरू स्लिप उसी जगह देनी चाहिये, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि दो-दो तीन-तीन साल तक नहीं देते हैं । काश्तकारों के पास इसका कोई इलाज नहीं है ।

थोड़े दिन पहले मैं कलेक्टर साहब और एस. डी. ओ. साहब से इस बारे में मिला था । उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं कि खुद दौरा करें और मौके पर देखें कि पटवारी गिरदावरी को पर्चे देते हैं या नहीं ? लेकिन इसमें भी कोई सुधार नहीं हुआ । इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि गश्त गिरदावरी सही होनी चाहिये । इसमें गलतियां कहां होती हैं ? मैं निवेदन करूं कि गश्त गिरदावरी के नाम पर पटवारी लोग ४२० करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते है । जैसा कि मैंने अभी कहा था कि टीनेन्सी एक्ट में काश्तकारों को सेक्शन ८४ में अपने काम के लिये लकड़ी काटने के लिये छूट दी है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि काश्तकार अपने काम के लिये जलाने के लिये या मूसल, पाट के लिये लकड़ी काटते हैं तब

(१.२५ म. प.)

(श्री विशम्भरनाथ जोशी, सभापति पदासीन)

पटवारो झूठी रिपोर्ट तहसीलदार के सामने पेश करते हैं । सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा

(श्री नाथूलाल करोल)

मंत्री जी से निवेदन करूं कि पाट, मूसल या हल के लिये या जलाने के लिये काश्तकारों को लकड़ी की जरूरत हो तो टीनेन्सी एक्ट के सेक्शन ८४ के सब–सेक्शन (१), (२) और (३) में साफ है कि वे लकड़ी काट सकते हैं। लेकिन पटवारी लोग किसानों को परेशान करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं और इस बात की शिकायत करते हैं कि ये लोग लकड़ी काट कर बेचते हैं और अपने डांड, मूसल, पाट आदि के लिये या जलाने के लिये नहीं काटते हैं। उनसे किसी न किसी तरह से नाजायज़ फायदा उठाने के लिये ऐसी शिकायत कर देते हैं और पैसा नहीं मिलता है तब जुर्माना करवाते हैं। इस तरह से वे काश्तकारों को काफी परेशान करते हैं। किसान पढे–लिखे नहीं हैं, आपकी तरह से एजुकेटेड नहीं हैं आपकी तरह वकील नहीं हैं, जिरह नहीं कर सकते; इसलिये जिस तरह से पटवारी लोग उनको फंसाना चाहते हैं उस तरह से वे फंस जाते हैं। इसलिये माननीय मन्त्रीजी से मैं निवेदन करूं कि अपने रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट के इन पटवारियों के लिये कुछ न कुछ सोचें। इनकी तन्ख्वाएं बढ़ाई जावे ताकि ये काश्तकार को परेशान न करें।

दूसरा निवेदन करूं कि तहसीलदार भी इनसे मिले हुए हैं। तहसीलदार और पटवारी एक तरह का लिन्क होता है। तहसीलदार के बिना पटवारी कुछ नहीं कर सकता........

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): ऊपर से हुक्म होता है तब होता है।

श्री नाथूराम करोल : तहसीलदार और पटवारी दोनों एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं और काश्तकारों को हर तरह से तंग करने में लगे रहते हैं।

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूं कि तहसीलदार से पटवारी जैसा चाहे वैसे करवा देते हैं किसी एक की जमीन किसी दूसरे को दिलवा देते हैं और सरपंच बैठे रहते हैं। सरपंच इतने काबिल नहीं होते हैं। यदि डेमोक्रेसी में ये सरपंच काबिल हों तो तहसीलदार तकावी में गड़बड़ नहीं कर सकते, सही आदमी को जमीन नहीं देकर गलत आदमी को जमीन दे देते हैं। वे कानून में इतने काबिल नहीं हैं, इसलिए जैसा तहसीलदार साहब चाहते हैं उनको उसकी जमीन दे देते हैं। माननीय मन्त्री महोदय कहेंगे कि अलॉटमेंट कमेटी में एम. एल. ए. हैं, सरपंच हैं, प्रधान हैं, बी. डी. ओ. हैं। मैं निवेदन करूं कि अलॉटमेंट कमेटी में सब हैं, लेकिन अलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग का नोटिस एम. एल. एज. के पास पहुँचता नहीं, उनको बुलाया नहीं जाता। तहसीलदार अपने आप रवाना हो जाते हैं और सरपंच को इतला दे देते हैं, एक नॉन आफिशियल मेम्बर भी आ जाता है, तो भी जमीन का अलॉटमेंट हो जाता है। इस तरह से जमीन का अलॉटमेंट हो जाता है। मान लीजिये कि आजकल नॉन आफिशियल मेम्बर प्रधान हो गया है, वह पहुँच जाय तो अलॉटमेंट हो सकता है; चाहे सरपंच न भी पहुँचे ? इसलिए एम. एल. एज़. को नोटिस नहीं देते हैं और जमीन का अलॉटमेंट हो जाता है और वह सही आदमियों को अलॉटमेंट न होकर गलत आदमियों को हो जाता है। अभी माननीय सदस्यों ने बतलाया कि

Page No.58

(श्री नाथूलाल करोल)

जमीन सही आदमियों को नहीं मिलती है, मालदार आदमियों को मिल जाती है। वाकई, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, जो मालदार आदमी होते हैं, उनको जमीन मिलती है, गरीब को नहीं मिलती है, यह बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे निवेदन करूं कि लालसोट तहसील के अन्दर अलॉटमेंट कमेटी के अन्दर तहसीलदार साहब नहीं जाते, नायब तहसीलदार को भेज देते हैं। एक गिरदावर हैं रामजीलाल, वे लालसोट के रहने वाले हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि रामजीलाल जिस आदमी को चाहे उस आदमी को जमीन दिलाने की कोशिश करते हैं। यह नहीं कि जो गरीब आदमी होता है, जो भूमिहीन है, उसको जमीन दिलायें। पहले वे सौदेबाजी तय करते हैं और सौदेबाजी तय करके जमीन दिलवा देते हैं। उस अलॉटमेंट कमेटी का नोटिस मुझे आज तक नहीं मिला है। मेरे मित्र, माननीय सदस्य, श्री प्रभुलाल पुरोहित हैं। उनको नोटिस मिला है। शायद वे गये हों। मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे आज तक नोटिस नहीं दिया है–जमीन का अलॉटमेंट होता रहता है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : आपकी शिकायत लालसोट तहसीलदार के लिए है, या चाकसू के लिए है। चाकसू ने इत्तला दी है?

श्री नाथूलाल करोल : चाकसू ने गत वर्ष नहीं दी। इस साल जरूर दी है। अभी पांच–सात दिन पहले जमीन का अलॉटमेंट करने के लिए मीटिंग की इत्तला मिली है। मैंने कल सुना है कि वहां के तहसीलदार साहब रवाना हो गये बतलाये....

श्री दामोदरलाल व्यास : अच्छा हुआ। आप नाराज़ थे इसलिए वे चले गये।

श्री नाथूलाल करोल : मैं तो नाराज़ नहीं था, आप नाराज हो गये, इसलिए आपने भेज दिया।

माननीय सभापति महोदय, रामजीलाल का क्या हाल है? वह वहां का रहने वाला है। पहले उसका तबादला बस्सी हो गया था, फिर बस्सी से लालसोट वापिस चला गया। इस तरह अलॉटमेंट का सिलसिला बना रखा है, जो कि बहुत बुरा है....

श्री दामोदरलाल व्यास : कौनसा रामजीलाल ?

श्री नाथूलाल करोल : लैंड रेवेन्यू इन्सपेक्टर हैं।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : नोट कर लिया साहब।

श्री नाथूलाल करोल : माननीय सभामहोदय, जब अलॉटमेंट होता है, उस समय चरागाह के लिए साफ तौर पर माना गया है कि चरागाह रखा जाय। सबसे पहले चरागाह के लिए जमीन होनी चाहिए, लेकिन लालसोट तहसील में चरागाह के लिए ध्यान नहीं रखा गया है। मैं निवेदन करूं, माननीय सभापति जी, आपके द्वारा माननीय मन्त्रीजी को कि तहसीलदार को कहा जाय कि चरागाह का ध्यान रखे। इसके अलावा स्कूल के लिए

(श्री नाथूलाल करोल)

अलॉटमेंट रूल्स में है, उसके लिए भी ध्यान रखें, शिड्यूल्ड कास्ट के लिए भी जमीन का ख्याल रखें। इन सबका ध्यान रखते हुए अलॉटमेंट होना चाहिए। अलॉटमेंट में पक्षपात बरता जाता है। मैं निवेदन करूं कि तहसील आमेर के मुताबिक....

डॉ० बहादुरसिंह : कटौती प्रस्ताव में पक्षपात।

श्री नाथूलाल करोल : बिरधाकुमार पुत्र चौंवलाकुमार, बासी, कुम्हारों की ढाणी तहसील आमेर तन जोधपुरा में रहता है। उसके पास जमीन है, फिर भी जमीन अलॉटमेंट कमेटी ने या तहसीलदार साहब ने उसके लड़के के नाम पन्द्रह–बीस बीघा जमीन दी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना अलॉटमेंट किया गया जमीन का, उसमें पक्षपात बरता गया है। यह नहीं कि पक्षपात बरते बिना जमीन का अलॉटमेंट होता है। मैं निवेदन करूं, सभापति महोदय, चाकसू तहसील के अन्दर जो गत वर्ष अलॉटमेंट किया है, तहसीलदार ने या अलॉटमेंट कमेटी ने, उसमें जिससे सौदा हुआ उसको जमीन दे दी गई, जिससे सौदा नहीं हुआ उसको जमीन नहीं दी गई। इसलिए मैं कटौती प्रस्ताव के द्वारा माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करता हूँ कि इस अलॉटमेंट के अन्दर सुधार होना चाहिए। इसके साथ ही आपके डिपार्टमेंट के अन्दर इस भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की जाय क्योंकि ये दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं, पुलिस और रेवेन्यू, जिनका जनता से सीधा सम्पर्क होता है। अगर इनमें भ्रष्टाचार होता रहे तो पब्लिक दिन पर दिन पिसती जायगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी और तहसीलदार, मैं ऊपर के स्टाफ के लिए नहीं कहता, नीचे पटवारी और तहसीलदार में जो करप्शन फैला हुआ है, उसमें जरूर सुधार किया जाय। यह मेरा आपसे अन्तिम निवेदन है।

श्री सभापति : श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

श्री चन्दनमल वैद।

(श्री चन्दनमल वैद बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री नाथूराम।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय सदस्य कह रहे हैं इनको डरा दिया गया है, यह फेक्ट है क्या?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप उनसे ही पूछ लीजिये, पड़ौस में बैठे हैं।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय, तहसील गढ़ी में गत वर्षाभाव के समय खरीफ की फसल को गश्त गिरदावरी की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु; यह मेरा कटौती का प्रस्ताव है। सभापति महोदय, गत वर्षा ऋतु में तहसील गढ़ी में वर्षा बहुत कम होने से आजकल भी दुष्काल है। गत वर्ष जब खरीफ फसल की गश्त गिरदावरी हो रही थी उस वक्त काश्तकार लोग पटवारियों के साथ रहे, जो फसल सूख गई थी, मक्की और साग

(श्री नाथूराम)

वगैरह के डंटल पटवारियों के सामने रखे। पटवारी गश्त गिरदावरी में कहते गये कि हम बराबर लिखेंगे, ज्यादा फसल दर्ज नहीं करेंगे। जब गश्त गिरदावरी के सही आंकड़े तहसील की ओर से मालूम हुए उस वक्त १६८ गांवों में से ३७ गांवों में ज्यादा फसल दर्ज की गई और ३७ गांवों में पूरा का पूरा लगान वसूल किया गया।

माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा माननीय मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर मैं आकर्षित करना चाहता हूँ कि बांसवाड़ा जिले में कई स्थानों पर वर्षा नहीं हुई, वहां दुष्काल है। तहसील गढ़ी में पटवारी लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण मनमानी गश्त गिरदावरी की। वहां के तहसीलदार और उच्च अधिकारी दौरे पर निकले, लेकिन जांच के वक्त इस ओर ध्यान नहीं दिया और गश्त गिरदावरी हुई वह समय पर नहीं हुई। गश्त गिरदावरी, जब फसल खड़ी होती है, उस वक्त होती है। लेकिन मक्की वगैरह की फसल सूख गई थी, फसल काश्तकारों ने काट ली थी, उसके बाद गश्त गिरदावरी हुई। इस तरह जो गश्त गिरदावरी हुई है वह सही नहीं हुई, वह गश्त अन्दाजियायी थी। जब फसल खड़ी हो, उस वक्त गश्त गिरदावरी हो, तो स्थिति सही मालूम होती है। जब खेतों में फसल ही नहीं हो, उस वक्त अन्दाजियायी जमीन पर देख कर पटवारी गश्त गिरदावरी कर लेते हैं। माननीय सभापति महोदय, सरासर तहसील गढ़ी में अन्याय हुआ है। वहां पर १०० में से ६० ऐसे लोग हैं जो खेती करके और मजदूरी करके अपना निर्वाह करते हैं, पेट भरने का और उनके पास साधन नहीं है। ऐसे वक्त में उनके साथ सख्ती करके लगान भी वसूल किया गया है। कई काश्तकारों ने रेवेन्यू विभाग में दरख्वास्तें पेश कीं, तार दिये लेकिन उनका जबाव नहीं आया। निराश होकर उनको लगान देना पड़ा। सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि कई आदिवासी लोग ऐसे हैं जिनके पास पेट भरने का और कोई जरिया नहीं था, ऐसी खराब स्थिति के समय उनको आंसू बहा कर लगान अदा करना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, आज भी वहां दुष्काल की परिस्थिति है, फिर भी वहां कोई रिलीफ कार्य आरम्भ नहीं हुए।

मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय को जो इस वक्त मौजूद नहीं हैं फिर भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां पर तहसीलदार और पटवारियों ने सरासर गलती की है, उसकी रेवेन्यू विभाग से जांच होनी चाहिए और जिन्होंने गल्ती की है उनको सख्त सजा होनी चाहिए ताकि आयन्दा ऐसी गलती नहीं करें। जबकि दुष्काल में जीवन–निर्वाह करना मुश्किल है, ऐसे समय में लोगों के साथ सरासर ज्यादती की जाय, यह सरासर अन्याय है। सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि वहां पर वर्षा लगभग पन्द्रह इन्च हुई, लेकिन एक मील और दो मील दूर पर गश्त गिरदावरी के आंकड़ों में काफी अन्तर रहा है, जो एक मील पर गांव है वह अभावग्रस्त की लिस्ट में आ गया है और दो मील दूर पर गांव है वहां पर पूरा लगान वसूल किया गया है। जब कि वर्षा होती है वह सारे क्षेत्र में एक सी होती है, सारे क्षेत्र में पानी पड़ता है, न कि एक मील

(श्री नाथूलाल)

में पानी नहीं दो मील दूरी पर पानी पड़ा। वैसे बांसवाड़ा जिले में ३५ इंच पानी बरसता है, तब दोनों फसलें पकती हैं। लेकिन इस तहसील में ईस साल पन्द्रह इन्च पानी गिरा, ऐसी स्थिति में दोनों फसलें कैसे हो सकती हैं ?

माननीय सभापति महोदय, गढ़ी तहसील में सरासर गलत गिरदावरी की गई है, गलती करने वालों की शीघ्र जांच हो जानी चाहिये और यह भी मन्त्री महोदय से निवेदन है कि जिन जिन काश्तकारों से पूरा पूरा लगान सख्ती के साथ वसूल किया गया है उनको आधा लगान माफ कर देना चाहिये। यह मेरी प्रार्थना है। मेरी यह भी प्रार्थना है कि जहां रिलीफ कार्य शुरू नहीं हुए हैं, वहां रिलीफ कार्य शीघ्र से शीघ्र आरम्भ किये जाय।

यही मैं इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री शिवनाथसिंह।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, इस मांग पर मेरे ५ कटौती प्रस्ताव हैं। पहला कटौती प्रस्ताव यह है कि पटवारियों को जल्दी पंचायत समितियों के सुपुर्द किया जाय। इस सम्बन्ध में पिछली बार जिला परिषदों और पंचायत समितियों का कानून बना था तो मैंने निवेदन किया था और राजस्व मन्त्रीजी ने आश्वासन भी दिया था कि समय आने पर पटवारियों को पंचायत समितियों को देने में हिचकिचाहट नहीं होगी। तो मैं राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है कि पटवारियों को पंचायत समितियों के अन्दर में दे दिया जाय। वैसे देखा जाय तो पटवारी का काम गिरदावरी करना, इन्तकाल तस्दीक करना और बाउन्डरी डिस्प्यूट्स की जांच करना है। हम आज देखते हैं कि जितने काम पटवारियों के हैं वे पंचायतों को दिये जा चुके हैं, जैसे गिरदावरी का काम है, इसके लिए सरपंच की जिम्मेदारी है इस तरह के आदेश हैं कि गिरदावरी करते समय पटवारी सरपंच को और पंचों को साथ में रखे व अपने साथ ले जाय। दूसरा काम पटवारी का होता है इन्तकाल को तस्दीक करना, यह काम भी सरपंचों को दे दिया है। पहले ये पॉवर्स तहसीलदार के पास थीं, अब तहसीलदार से हटा कर यह कार्य सरपंच को दे दिया है। अभी अभी सर्कुलर निकला है कि बाउन्डरी डिस्प्यूट्स को तहसीलदार सैटल किया करते थे, अब तहसीलदार न करके सरपंच ही करेंगे। रास्ता के झगड़े भी अब सरपंच ही तय करेंगे। आज की स्थिति में पटवारी और पंचायतों का मेल होना आवश्यक है, पर आज इससे उल्टा होता है। इन्तकाल तस्दीक करने के लिये पटवारी को पंचायतों में बुलाया जाता है तो पटवारी वहां नहीं जाते हैं। हालांकि ऐसा सर्कुलर है कि पटवारियों को पंचायतों की मीटिंग्स में जाना चाहिये और पंचायतों की मदद करनी चाहिये। पर आज देखा जाय तो पता चलेगा कि आज तक एक भी पटवारी पंचायतों में बुलाने पर भी हाजिर नहीं हुआ है। जब सरपंचों और पंचों के साथ पटवारी का सहयोग नहीं होता है तो काम निभ नहीं सकता। इसलिये यह जरूरी है कि पटवारियों

(श्री नाथूलाल करोल)

को पंचायतों के नीचे दे दिया जाय ताकि ठीक तरह से काम हो।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है, लगान को समाप्त करने के बारे में। यह लगान का सिस्टम बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। इतिहास को देखते हैं तो पता चलता है कि कई नये नये सिस्टम्स समय समय पर लगे और पुराने सिस्टम्स मिट गये, पर यह लगान का सिस्टम बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। यह एक ऐसा सिस्टम है कि लगान उन काश्तकारों से लेते हैं जो कि काश्त करते हैं, पर लेते समय यह नहीं देखते कि उस जमीन पर काम करने वाले को कितना रिटर्न मिला है। एक साल अच्छी फसल हो गई, अच्छी पैदाइश हो जाय उसी के आधार पर २० साल की दर कायम कर देना उचित नहीं, फिर बाद में चाहे कुछ भी पैदा मत हो, बिना कुछ हुए ही उसको तो उसी रेट से लगान देना पड़ता है। तो यह २० साल का पीरियड बहुत लम्बा पीरियड है। यह बहुत गलत सिस्टम है। आज के साइन्टिफिक जमाने में इस सिस्टम को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि चाहे पैदायश हो या नहीं हो, काश्तकार से वही लगान वसूल किया जाय। इसके लिये दूसरा साइन्टिफिक वे होना चाहिये। यह मैं मानता हूं कि हमारी एक प्लान्ड इकोनोमी है, उसी के ढंग से हमें रुपया खर्च करना है: और इसके लिए रुपया वसूल करना जरूरी है पर वह साइन्टिफिक वे से इन किसानों से वसूल किया जाय। अधिक पैदा होती है तो अधिक वसूल किया जाय और कम पैदा होती है तो उन किसानों से कम वसूल किया जाय। मिल-ओनर और व्यापारी ज्यादा रुपया कमाते हैं उनसे ज्यादा रुपया इन्कम टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है और जो व्यापारी मिल ओनर कम पैसा कमाते हैं उनसे कम पैसा वसूल किया जाता है। ३६०० रुपयों से ऊपर की आमदनी पर इन्कम टैक्स लगाने का बांध रखा है, कि ३६०० से कम जिसकी सालाना आमदनी होगी उससे कुछ भी इन्कम टैक्स वसूल नहीं किया जायगा। पर किसानों से तो जो दर बांध रखी है वही वसूल की जाती है। एक किसान को ५०० रुपये की आमदनी हुई है, उससे भी उतना ही वसूल किया जाता है और दूसरे किसान को अगर ५०० का घाटा हुआ है तो भी उससे वही वसूल किया जाता है। जितना लगान बंधा हुआ है वही वसूल किया जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस रेट के सिस्टम को एबोलिश करके इन्कम टैक्स की तरह का या और कोई दूसरी तरह का तरीका जिससे कि इन्कम के लिहाज़ से रुपया वसूल किया जाय, ऐसा सिस्टम इन्ट्रोड्यूस करना चाहिये। कई किसान हजारों रुपया कमाते हैं उनसे भी वही रेट लेते हैं और कई किसान घाटे में रहते हैं उनसे भी वही वसूल करते हैं। इस सिस्टम के कारण जिन किसानों से ज्यादा रुपया वसूल होना चाहिये था उनसे कम वसूल होता है इससे सरकार को घाटा होता है और जो किसान घाटे में हैं उनसे भी रुपया उसी दर से वसूल किये जाने के कारण उन गरीब किसानों को और अधिक घाटा होता है। इसलिये आमदनी के हिसाब से वसूल कर सकें, इस तरह का सिस्टम लागू करना चाहिये।

तीसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है, नम्बरदारी प्रथा को एबोलिश करने के बारे में। इस

(श्री शिवनाथसिंह)

सम्बन्ध में मैं राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस पर सदन में और बाहर भी काफी वाद-विवाद हो चुका है। आज की वर्तमान सरकार कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस के आदर्शों को मान कर चलती है। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि तीन साल पहले पी० सी० सी० की एग्ज़ीक्युटिव ने तय कर दिया कि नम्बरदारी प्रथा समाप्त होगी, पर आज तीन साल बाद भी वह प्रथा उसी तरह मौजूद है। हो सकता है कि राजस्व मन्त्रीजी को कांग्रेस का वह डिसीजन पसन्द नहीं था, इसलिये नम्बरदारी को अभी तक एबोलिश नहीं किया; पर मैं समझता हूं अगर उन्हें वह पसंद भी नहीं था तो भी या तो उनको कांग्रेस का यह डिसीजन चेंज कराना चाहिये था या नम्बरदारी को एबोलिश करना चाहिये था। नहीं तो आज हम जनता को क्या मुंह दिखायें? जब हमने एक एक बार निश्चय कर लिया कि नम्बरदारी प्रथा को खत्म करना है और गांव वालों को हमने कह दिया कि नम्बरदारी के जो झगड़े रात-दिन होते हैं, इन झगड़ों को खत्म करो, यह सिस्टम एबोलिश किया जा रहा है। सरकार की तरफ से भी एक सर्कुलर निकला था कि नम्बरदारी के केसेज़ को वैसा का वैसा रखें, इस सर्कुलर से लोगों को सांत्वना मिली कि सरकार कुछ करने वाली है। पर अभी सर्कुलर निकला है कि है कि नम्बरदारी के झगड़ों को सुलटाया जाय। कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहां पुराने जमाने से नम्बरदार चले आ रहे हैं, पर जो पहले जागीरी इलाका था उसमें नम्बरदार नहीं थे। वहां भी खालसा होने पर नम्बरदार मुकर्रर किये जाने शुरू हो गये। कई गांव ऐसे हैं जहां पर पचास २, २०, २० और दो दो सौ जागीरदार थे, तो हर जागीरदार ने अपने अपने काश्तकार को लिख दिया कि यह नम्बरदारी का काम करता था, सरकारी अधिकारी नम्बरदार होने का सबूत पूछते हैं तो वे लोग अपने जागीरदार के पास चले जाते हैं और उनसे लिखा कर पेश कर देते हैं कि यह हमारे यहां नम्बरदारी का काम करता था और आज यह स्थिति है कि कई गांव ऐसे हैं जहां १०० नम्बरदारों के पर्चे लिखे हुए हैं। जागीरदार दस-बीस रुपये ले लेकर उन किसानों के लिये लिख देते हैं कि ये हमारे यहां नम्बरदारी का काम करते थे और इस तरह किसान आपस में झगड़ते रहते हैं कि मैं नम्बरदार हूं, दूसरा कहता है मैं नम्बरदार हूं। इससे नये प्रकार के मुकदमे गांवों में शुरू हो गये हैं और इससे गांवों में कटुता पैदा हो गई है।

दूसरा, मैं इसके लिये यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत पुराना और सामन्तवादी तरीका है। बड़े बड़े महाराजाओं के नीचे राजा, राजाओं के नीचे जागीरदार और जागीरदारों के नीचे नम्बरदार होते थे, जागीरदार नम्बरदारों की मार्फत रुपया वसूल करता था और नम्बरदार लोगों के जूते लगाता था।

तो यह सिस्टम जागीरदारी प्रथा को कायम रखने के लिये रखा गया था ताकि जागीरदारों को जागीरदारियें कायम रहे। मगर मैं यह कहूँगा कि आज राजाओं के राज्य गये, जागीरदारों की जागीरदारियें गई, मगर अभी तक यह प्रथा मौजूद है। यह क्यों? जब आप

(श्री शिवनाथसिंह)

किसानों को जागीरदारों आदि के चंगुल से निकाल रहे हैं तो फिर यह प्रथा क्यों कायम रहे ? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस सिस्टम को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जावे और माननीय राजस्व मन्त्री से यह निवेदन करूंगा कि इसके लिये वे कोई समय निश्चित करें ताकि हम यह समझ सकें कि यह प्रथा ६ महीनों में या ८ महीनों में समाप्त हो जावेगी। इससे हमारा काफी नुकसान होता है। उनको ५ प्रतिशत रुपया दिया जाता है। यदि यह ५ प्रतिशत रुपया उनको न देकर यह काम पंचायतों द्वारा करावें तो पंचायतों की आमदनी में बढ़ोत्तरी हो सकती है।

अब यह कहा जा सकता है कि हम नम्बरदार से जमानत लेते हैं और पंच या सरपंच की जमानत नहीं ले सकते हैं। मगर इसके लिये मैं यह कहूँगा कि एक मोजे के ५ हजार या ७ हजार रुपयों से ज्यादा लगान वसूल नहीं होता है। आज हम देखते हैं कि आप विकास के कार्यों के लिये डिविज़न में सब रुपया पंचायत समितियों को देते हैं। जब आप सरपंच पर १० या १५ हजार का विश्वास कर सकते हैं तो चार या पांच हजार की वसूली के लिए आप उसका क्या विश्वास नहीं कर सकते ? आप उसका विश्वास कर सकते हैं। इसलिये मैं यह दलील नहीं मान सकता। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जावे।

दूसरा मेरा कट मोशन है, "झुंझुनू जिले में सेटलमेंट का रिविज़न हो"। समझ में नहीं आता कि इस जिले से हमारे राजस्व मन्त्री क्यों नाराज हैं। वे जानते हैं कि यहां पर जो पहले सेटलमेंट हुआ वह ठीक तरह से नहीं हुआ और हम बराबर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): आप कौन से कट मोशन पर बोल रहे हैं ?

श्री सभापति : ६० पर।

श्री शिवनाथसिंह : मैं ५३ वें कट मोशन पर बोल रहा हूँ।

पिछले चार वर्षों से तो मैं बराबर इसके लिये आपसे निवेदन कर रहा हूँ और जिस समय प्रश्न पूछे जाते हैं तो माननीय मन्त्री यह जवाब देते हैं कि केस एग्ज़ामिन हो रहा है। उसके बाद में काफी समय लग जाता है। आज काफी समय हो गया है लेकिन इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राजस्व मन्त्री का इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इसका सेटलमेंट १९९८ सं० में हुआ था जिस समय राजा-महाराजाओं का युग था और पूरा झुंझुनू जिला एक जागीरी इलाका था। उस समय जिस तरह से चाहा उसी तरह से अपनी पसन्द के अनुसार चार्ज लगाये और रेन्ट कायम किया। उस युग में जब सामन्तों का युग था और जोर था उस समय वहां पर रेट बहुत ऊंचे कायम किये गये और उन्होंने मन-माने तरीके से रेट कायम किये। मन-चाहे नाम लगा दिये आज उस रेकर्ड की दुरुस्ती नहीं हुई है।

Page No.65

(श्री शिवनाथसिंह)

इसके अलावा अभी पिछली साल खुदकाश्त का कानून आया। मैं यह कहूँ कि खुदकाश्त की जो डेफिनिशन रखी है वह इतनी डिफेक्टिव है कि इससे शेखावाटी के काश्तकारों को कोई फायदा नहीं, बल्कि नुकसान हो रहा है। जिस समय १६६८ में वहां पर सेटलमेंट हुआ उस समय जागीरदारों ने आन्दोलन किया। क्योंकि उनके ही भाई बन्द वहां पर राज्य करते थे इसलिये उनके भाई-बन्धों ने किसी के नाम हवाला, सीर, खानगी आदि कई तरह से जमीनें अपने रिश्तेदारों के नाम निकाल दी और कोई जमीन खुदकाश्त की नहीं रही। क्या वे इस तरह से जमीन हवाला आदि में निकाल कर लगान वसूल कर सकते हैं? इसी तरह से हर जगह हुआ। अब नये कानून बनें। आपने इसके लिये पेमेन्ट के लिये १५ गुना लगान लागू कर दिया। एक तरफ तो सवाई लगान देना पड़ता है वह भी अब सवाया न रह कर दुगुना लगान देना पड़ता है। या १५ गुना मुआवजा दे। इससे काश्तकार को तो नुकसान ही नुकसान होगा। जो २५ साल पहले २० रुपये लगान कायम किया गया होता तो उसको उसका मुआवजा १५ गुना बढ़ी हुई रेट का देना पड़ता है। आज शेखावाटी के किसान यह महसूस कर सकेंगे कि राजस्व मन्त्री यह जान-बूझ कर ऐसा कर रहे हैं। आज उनकी नीयत साफ होती तो वे सेटलमेंट कराते। मगर वे यह चाहते हैं कि जागीरदारों को मुआवजा मिल जावे तो उसके बाद सेटलमेंट कराया जावे। इससे शेखावाटी के काश्तकारों की तबाही हो रही है।

अब यह कहा जा सकता है कि अगर सेटलमेंट होगा तो रेट बढ़ी हुई होगी जैसा कि कहा जाता है....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं माननीय सदस्य की एक दलील नहीं समझ सका कि जागीरदारों को क्या मुआवजा कम मिलेगा नये सेटलमेंट रेट से अगर सेटलमेंट करा दिया जाता है तो? लगान कम हो जाता है तो क्या जागीरदारों को मुआवजा कम हो जावेगा?

श्री शिवनाथसिंह : मैंने जागीरदारों के मुआवजे की बात नहीं कही। मेरा यह कहना है कि खुदकाश्त के लिये १५ गुना मुआवजा वसूल किया जाता है। अगर रेट कम आती है तो १५ गुना उस रेट के हिसाब से कम आता है इससे काश्तकारों को लाभ होता है। यह मेरा निवेदन है।

अब यह आर्ग्युमेंट होता है कि कम होगा या नहीं। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे पास ही परसरामपुरा आदि में अभी बन्दोबस्त हुआ है और इलाके हैं उनमें वही रेट करीब करीब फिक्स सी है। यह कहा जा सकता है बन्दोबस्त होने से लगान बढ़ेगा। मैं यह कहूँगा कि हम बढ़े हुए लगान की दरों को देने के लिये तैयार हैं, लेकिन आप वहां पर सेटलमेंट तो करावें।

पिछली बार यह कहा गया था कि सेटलमेंट के ऑर्डर दे दिये गये हैं लेकिन दूसरी ओर बजट नहीं बनाया। कागजी कार्यवाही पूरी होती है लेकिन सेटलमेंट नहीं होता है और वही हाल अब भी होने वाला है। जब तक आप बजट में इसके लिये प्रोविज़न नहीं

(श्री शिवनाथसिंह)

रखेंगे तब तक कहां से प्रबन्ध होगा ? यही डिफिकल्टी पहले आई और अब भी वही डिफिकल्टी आने वाली है। इसलिये मैं तो कम से कम यह चाहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री के कार्यकाल में ही यह काम हो जावे तो अच्छा है, अगर आप करा सकें तो, नहीं तो हमारी तकदीर, हम देखेंगे।

तीसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव पर्चा खतूनी के डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में है। जिस समय यहां सं० १९९८ में बन्दोबस्त हुआ था तो क्या हुआ कि ये छुटभाइयों के गांव थे। उनका सेटलमेंट कैन्सल हो गया। उसके बाद गे डिले करते रहे। अब उनकी रेन्ट रेट कायम हो गयो। इसके पर्चे तैयार हो गये। ये पिछले साल हो गई। लेकिन यह कागजात अभी तक सरकारी दफ्तरों में पड़े हुए हैं। पर्चे बटेंगे। इससे डिफिकल्टी यह आई है कि सं० २०१७ से यह लागू किया गया है। अब लगान वसूली का समय निकल गया। पिछले साल से लगान वसूल करने का ऑर्डर है तो लोगों को बढ़े हुए हिसाब से लगान कम देना पड़ता है और पुराने से अधिक देना होता है। एक तरफ सं० २०१७ से इसको लागू किया और दूसरी ओर सं० २०१७ की साल के लगान वसूल करने के पर्चे बांटे और इसलिये दोनों का लगान बन्द है। लेकिन सरकारी अधिकारी जल्दी कर रहे हैं।

(२.०० म० प०)

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जितना जल्दी हो सके ये पर्चे बट जाय ताकि लगान वसूली में भी दिक्कत न आवे और काश्तकारों को भी बढ़ा हुआ लगान न देना पड़े।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा देवी।

श्रीमती सुमित्रा देवी (पिलानी) : सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है झुंझुनू जिले के बन्दोबस्त में होने वाली देरी के विषय में। वैसे तो गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस विषय में हाउस का ध्यान आकर्षित किया है परन्तु मैं भी माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूँ कि पिछली बार भी इस मांग के कटौती प्रस्तावों पर बहस हुई थी उसके उत्तर में माननीय राजस्व मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष तक झुंझुनू जिले का बन्दोबस्त करा दिया जावेगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वे आज तक उस आश्वासन का पालन नहीं कर सके। अपने दिये गये उस आश्वासन को वे निभा नहीं सके। शायद हाउस से जाने के बाद वे अपने द्वारा दिये गये इस आश्वासन को भूल गये हों।....

श्री भैरोंसिंह : बीच में यदि रिमाइन्डर भेज दिया जाता तो अच्छा होता।

श्रीमती सुमित्रा देवी : माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि संवत् १९९८ में झुंझुनू जिले का बन्दोबस्त हुआ था और वह दस साल के लिए हुआ था, संवत् १९९८ से संवत् २००८ तक का बन्दोबस्त था। एक साल बीता, दो साल बीते। इस तरह से पूरे ९ वर्ष पूरे बीत गये। लेकिन इस बात पर अभी तक राजस्व मंत्रीजी का ध्यान नहीं गया। मैं एक बार पुनः दोहरा देना चाहती हूँ। मैं एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से आती हूँ जिसकी ओर पंजाब की सीमा एक भी है। पंजाब के मुकाबले हमारे यहां की भूमि

(श्रीमती सुमित्रा देवी)

बहुत कम उपजाऊ है और वहां की लगान की दरों के मुकाबले में हमारी लगान की दरें भी ऊंची हैं। जब एक ही सीमा में भेद दिखाई देता है तो अफसोस होता है। पड़ौसी किसान कितना खुशहाल है, कितना अच्छा है और यहां की जमीन कम उपजाऊ है और उसके बावजूद भी वहां के मुकाबले में रेट्स बहुत हाई हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि झुंझुनू जिले का बन्दोबस्त इस वर्ष तो कम से कम करवा दिया जाय।

दूसरी बात यह है कि राजस्थान में भी बाकी और जिलों के मुकाबले में झुंझुनू जिले की लगान की दरें ऊंची हैं। अव्वल दर्जे की जो जमीन है उसके लगान की रेट २) रु० से २॥) रु० की है जब कि उसके समकक्ष भूमि की पैदावार की जमीनों की लगात रेट, चुरू, नागौर जिलों में १) रु० २ आना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि माननीय राजस्व मंत्रीजी कम से कम इस बार तो पहले की तरह से अपने कानों में तेल न डाल लें और हमें पूरा आश्वासन इस बारे में दें कि इस वर्ष तो झुंझुनू जिले का बन्दोबस्त करवा ही देंगे।

श्री सभापति : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : Mr. Sohan Lal has forfeited his right, Sir. He was called to move his motion but he was absent, so he should not be allowed to move it now. This procedure is being followed regarding the cut motions so far and I think it should be strictly adhered to, otherwise there will be no end to it. The members ought to be present during the discussion of the cut motions and they should move their cut motions when called upon by the Speaker. The Speaker has repeatedly held that they should not be given a second chance.

श्री सभापति : Ordinarily this is done, but Shri Sohan Lal Bhatnagar had requested the Hon'ble Speaker to permit him to move his cut motion after his due time, as he had stated that he would be away from the House in connection with some important work, and the Hon'ble Speaker had pemitted him. Therefore, as a special case, he is being allowed.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): ६८ तो अब भी आउटस्टेंडिंग है।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो साथ ही आता है।

श्री सभापति : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदय, मेरे ५ कटमोशन्स हैं, ४४ से लगाकर ४८ तक और दूसरा है ६८। माननीय सभापति जी यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि भूमि सुधारों के सम्बन्ध में राजस्थान प्रगतिशील रहा है। यदि हम दूसरे राज्यों के भूमि सुधारों से इसकी तुलना करें तो हमें यह मालूम होगा कि राजस्थान भूमि

(श्री सोहनलाल भटनागर)

सुधारों में काफी अग्रसर है। सभापति महोदय, मुझे दूसरी स्टेट्स के भूमि सुधारों के कानूनों को भी स्टडी करने का मौका मिला है और जब मैं उनका राजस्थान के भूमि सुधारों के कानूनों से तुलना करता हूँ तो मुझे हर्ष होता है।

माननीय सभापति जी, यदि हम राजस्थान में भूमि सुधारों के इतिहास को देखें और जो यहां की सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसको देखें तो राजस्थान की पीज़ेन्टरी बहुत ही रुग्णावस्था में थी और रुग्णावस्था में जो पीज़ेन्टरी थी उसको ऐसा टॉनिक देना शुरू किया जिसके लिए वह तैयार नहीं थी और इसके कारण आज हम देखते हैं कि भूमि सुधार तो बहुत किये हैं लेकिन पीज़ेन्टरी पर उसका जो सोशियो, इकोनोमिक इफेक्ट होना चाहिये वह नहीं हुआ है और तीव्र गति से उसका जो इम्प्लीमेन्टेशन होना चाहिये था वह भी नहीं हो रहा है। हमने पीज़ेन्टरी को उठाने के लिए भूमि–सुधार के कानून बनाये, उनको वे आज पचाने के लिए तैयार नहीं है। जब पचाने के लिए तैयार नहीं हैं तो राज्य का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जो अधिनियम बनाये हैं और उनके द्वारा जो सोशियो, इकोनोमिक क्रान्ति राजस्थान में लाना चाहते हैं उसके लिए पहले उनको तैयार करते और साथ ही सभापति महोदय, उसके लिए मुख्य सहारा हो सकता है वह स्थायी भूमि आयोग हो सकता है, उसको कायम करते। राजस्थान में लैंड कमीशन कायम किया वह टेम्पोरेरी नेचर का था और उसको कुछ दिनों के लिए ही मुकर्रर किया गया था। उसने पांच–छः वर्ष के बाद तो अपनी रिपोर्ट दी और मैं यह बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि कमीशन इतना अनईल्डी था, बड़े बड़े राजस्थान के उसमें पोलिटिशियन्स थे, बड़े २ ऑफिसर्स थे, जिनको अपने दूसरे कामों से ही समय नहीं मिलता, वे लोग उसके अन्दर थे। इस तरह का एक लैंड कमीशन मुकर्रर किया गया था। भूमि सुधारों को लागू करना, इम्प्लीमेन्टेशन हो रहा था या नहीं और उसको तीव्र गति दे सकें, यह मुख्य उद्देश्य भूमि-सुधार कानूनों का था; उसको निभा न सके। भूमि सुधारों का जो मुख्य ध्येय है, एबोलिशन ऑफ इन्टरमिजियेरीज़, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और सीलिंग। जहां तक इम्प्लीमेन्टेशन के आस्पेक्ट्स हैं, रिव्यू के आस्पेक्टस हैं और पीजेन्टरी के सोशियो, इकोनोमिक इफेक्ट्स के आस्पेक्ट्स हैं उनके लिए हमेशा आगे आने वाले वर्षों के लिए कार्य करने पड़ेंगे और सुझाव देने पड़ेंगे।

इसलिये सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि भूमि सुधारों को तीव्र गति से राजस्थान में लागू करना चाहिये। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। जो जो भूमि सुधार हुए हैं उनके लिये किस तरह कार्य करना चाहिये? लेकिन यह सही है कि न तो पीज़ेन्टरी इसको समझ पायी है और न ही जो इससे सम्बन्धित कर्मचारी वर्ग है वह इसको समझ पाया है और न ही इनको इम्प्लीमेंट कर सके हैं। इस दृष्टिकोण से एक उच्चतर भूमि आयोग, जैसा मेरा विचार है, कायम किया जाना चाहिये, वह स्टेचुटरी होना चाहिये। जिस तरह से टीनेन्सी एक्ट में प्रोविज़न है उसी तरह से भूमि–सुधारों को लागू करना है, रिव्यू करना है, उनका इम्प्लीमेन्टेशन भी करना है और ये जब तक किसी स्थायी आयोग को

(श्री सोहनलाल भटनागर)

नहीं देंगे तब तक भूमि सुधार राजस्थान में ठीक तरह से क्रियान्वित नहीं होंगे। सभापति महोदय, यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि टीनेन्सी एक्ट रायज हुआ, उसको रायज हुए पांच–छः वर्ष हो गये: जितनी सरकारी भूमि है, जो उन पर गैर खातेदार थे, जो १५ अक्टूबर से काबिज हैं, उनको खातेदारी राइट्स मिल जाने चाहिये थे। लेकिन राजस्थान में देखते हैं कि उनको खातेदार दर्ज नहीं किया गया है। गत वर्ष भी राजस्व मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि दफा १५ के अन्तर्गत काश्तकारों को खातेदार दर्ज करने का अधिकार है, उनको दर्ज कर दिया जावेगा। माननीय मंत्री महोदय कई सर्कुलर्स भेजे, नोटिफिकेशन्स निकाले, लेकिन नीचे की मशीनरी इम्पार्शियल नहीं थी, वह पुरानी मशीनरी थी और वे उन भूमि–सुधारों को क्रियान्वित नहीं कर सके। तो जिस तरह से जागीर एबोलिशन के लिये सेपरेट डिपार्टमेंट खोला उसी तरह से जितने भी भूमि सुधार सम्बन्धी प्रोवीज़न्स हैं जिनको हम इम्पलीमेंट कराना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं सोशियो–इकोनॉमी इफेक्ट जिनको देना चाहते हैं उसके लिये एक इन्डिपेन्डेन्ट भूमि आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिये और उसमें केवल चार पांच ही सदस्य हों और वे ऐसे हों जो इसके लिये समय दे सकें और इसका चेयरमैन जो हो वह फुल टाइम वर्क करने वाला हो जिसमें दो तीन नॉन–ऑफिशियल्स हों, एक दो ऑफिशियल्स हों ताकि हमारी जो भूमि सुधार सम्बन्धी जितनी भी चीजें हैं उनका इम्प्लीमेन्टेशन ठीक तरह से हो सके और भविष्य के लिये अच्छे सजेशन्स रिव्यू आदि करने के मिल सकें।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव सलूम्बर तहसील में ठिकाने के समय से काम करते आ रहे लम्बरदारों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है, पर बहस करने के लिये है। सभापति महोदय, सलूम्बर ठिकाना जागीर का ठिकाना था उससे पहले से वहां लम्बरदार चले आ रहे थे, वे अब भी चल रहे हैं माफी-बपौती वगैरह के बारे में सब वे ही कार्य करते हैं लम्बरदारों का चक्कर वैसा ही बना हुआ है। इस सम्बन्ध में लम्बरदारी खत्म करने की बात चल रही थी। न मालूम वह कहां चल रही है लेकिन जो कार्य लम्बरदारों से लिया गया है उसका वेतन तो उनको मिलना चाहिये।

तीसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव, खाते रद्दोबदली समय पर नहीं होती है, पर बहस करने के लिये है। इसका किसानों से सबसे ज्यादा सम्बन्ध है। सभापति महोदय, यह बात सही है कि खाता रद्दोबदली का कार्य पंचायतों को दे दिया गया है। एक एक तहसील के अन्दर कम से कम पांच-पांच और सात-सात पीढ़ियां से खाते चले आ रहे हैं। अभी तक उनको बदला नहीं गया है, उन्हीं के नाम पर जमीन दर्ज है। माननीय सभापति महोदय, इसका मुख्य कारण यह है कि पंचायतों के अन्दर पटवारी का कोई को ऑर्डिनेशन नहीं है। पटवारी पंचायत के पास खाता रद्दोबदली के लिये मेटीरियल नहीं भेजता और न समय पर खाता रद्दोबदली ही करता है। इस दृष्टिकोण से यह बहुत जरूरी हो जाता है कि काफी लोगों की तबाही हो, इसमें काफी भ्रष्टाचार भी पनपता है और यह हमारी सरकार के लिये भी इन-एफीशियेन्सी की द्योतक है। पांच-सात पीढ़ी से खाते नहीं बदलते हैं और वैसे के वैसे चलते रहते हैं, जब कि खास तौर से अलग अलग गांवों में पटवारी मौजूद हैं उस पर भी खाता

Page No.70

(श्री सोहनलाल सुखाड़िया)

रद्दोबदली नहीं होती है और दूसरा मेटेरियल सप्लाई नहीं होता है । वह उसके बिना नहीं हो सकता जब तक कि खाता रद्दोबदल न हो क्योंकि उसमें खेती की तस्दीक करनी पड़ती है, उसमें दिक्कत होती है । मैं इस बारे में यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस बारे में सख्त से सख्त कदम उठाया जाय ।

चौथा कटौती का प्रस्ताव राजस्व अधिकारियों को भूमि–सुधार सम्बन्धी कानूनों की ट्रेनिंग देने पर बहस करने के लिये है । माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया हमारे यहां जो भूमि सुधार के कानून हैं उनका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हो रहा है । इसका मुख्य कारण यह है कि राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं वे फुल्ली ट्रेन्ड नहीं हैं । आज हमारे टीनेन्सी एक्ट और लेन्ड रेवेन्यू एक्ट इतने कॉम्प्लीकेटेड एक्ट हैं, इसमें वेरियस इन्टरेस्ट्स का समावेश है इसलिये कॉम्प्लीकेटेड नेचर के होने भी चाहिये । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस विभाग में कार्य करने वाले लोग हैं, पुराने जमाने से चले आ रहे हैं जो इस प्रकार के भूमि–सुधार कानूनों में रुचि नहीं रखते थे, भूमि–सुधार के लिये तैयार नहीं थे; उनके द्वारा इस प्रकार के कानूनों के इम्प्लीमेन्टेशन में मुश्किलें आती हैं । आज हमारे टीनेन्सी एक्ट की धारा १५–१६ आदि में इस प्रकार के प्रावधान हैं कि जिनको कलेक्टर तक नहीं जानते क्योंकि कलेक्टर जो होते हैं उनका इधर–उधर विभागों में ट्रान्सफर होता रहता है । इसलिये मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ कि भूमि–सुधार के लिये उच्च राज्य कर्मचारियों को; जैसे एस. डी. ओ., ए. डी. एम., कलेक्टर्स आदि रिओरियेन्ट करने के लिये यह जरूरी हो जाता है कि इनको खास प्रकार की ट्रेनिंग दी जाय ; चाहे वह ६ महीने की हो या तीन महीने की हो । दूसरा इस बारे में जनता भी नहीं जानती, वहां यदि अधिकारी भी नहीं जानते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है । इस प्रकार का जो कॉम्प्लीकेटेड ला है उसमें एक्सपर्ट बनाने के लिये रिफ्रेशर कोर्स की तरह उनके माइन्ड को री–ओरियेन्ट करने के लिये कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाय, यह बहुत आवश्यक है ।

इसके अलावा जो मेरा कटौती का प्रस्ताव है वह भी इसके साथ काफी जुड़ा हुआ है । वह है तहसीलों में किसानों के प्रार्थनापत्रों का समय पर निपटारा नहीं किये जाने के सम्बन्ध में । सभापति महोदय, राजस्व विभाग के लिये तहसीलों में पटवारी के पास प्रार्थना-पत्र भेजते हैं, एस. डी. ओ. के पास प्रार्थना-पत्र भेजते हैं, उसमें यह देखा गया है कि उन प्रार्थनापत्रों का निकाल साल–साल, दो–दो साल तक नहीं होता है । वे प्रार्थना-पत्र इधर–उधर डोलते रहते हैं । मैं कोई यह टीका करने के लिये निवेदन नहीं करता, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ किसानों को न आपके द्वारा खोले जाने वाले औषधालयों से फायदा हो सकता है, न स्कूलों से हो सकता है और न विकास के अन्य कार्यों से, लेकिन उसका जो धन्धा है उसके सम्बन्ध में जितने भी प्रार्थना–पत्र हैं उनका निपटारा वह चाहता है और जल्दी से जल्दी चाहता है । तहसीलों के अन्दर सब डिवीज़न्स के अन्दर प्रार्थना पत्रों की हालत देखकर आश्चर्य होता है । इसलिये हमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को

Page No.71

(श्री सोहनलाल भटनागर)

टोन–अप करना पड़ेगा इस प्रकार के सिस्टम में तब्दीली लानी पड़ेगी। राजस्व विभाग को कम से कम इसके लिये रूल बनाना पड़ेगा कि तीन महीने या छ: महीने के अन्दर अन्दर ऐसे प्रार्थनापत्रों के बारे में मुकम्मिल डिसीज़न हो जाना चाहिये। आज हम देखते हैं तहसीलदारों के पास, पटवारियों के पास साल भर पहले के कागज़ात पड़े रहते हैं। उच्च अधिकारी इन्स्पेक्शन करने को जाते हैं वे इसको देखते नहीं हैं कि कितने अर्से से किसका प्रार्थनापत्र पड़ा है। वे तो यह देखते हैं कि किसमें राजस्व की आय बाकी है और वह वसूल क्यों नहीं हुई? उसके साथ उनको यह भी देखना चाहिये कि जो प्रार्थना–पत्र पड़े हुए हैं उनका भी समय पर निपटारा हो जाय। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेच्यूट के मेटर्स थोड़े ही होते हैं, जिनमें इतना विलम्ब हो। इसलिये यह बहुत जरूरी है कि उन लोगों की तकलीफात कम हों वे ठीक प्रकार से कार्य कर सकें। इस, लिये उनको जितनी भी छोटी–मोटी दिक्कतें हैं रुकावटें हैं उनको शीघ्र निपटाने की कोशिश की जानी चाहिये।

आखिरी मेरा कटौती का प्रस्ताव है :

"To discuss the failure of the Government to establish machinery for making publicity of land reforms."

यह प्रस्ताव भी मेरे पहले प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है। आज हमारे यहां खास तौर से सत्तर प्रतिशत किसान हैं जिनका संबन्ध भूमि से रहता है। उनके लिये हमने कई अधिनियम निकाले हैं। उसके लिये प्रोविज़न्स निकाले हैं। हमेशा किसान और दूसरे लोग इस बात के लिये इच्छुक रहते हैं कि सीलिंग के अनुसार कितनी जमीन उनके पास रहने वाली है, जमीन का सब-लेटिंग कितने साल के लिये कर सकते हैं, बांटा कितना ले सकते हैं, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनका इम्पलीमेन्टेशन न होने के कारण उन चीजों की पब्लिसिटी नहीं हो रही है। आज विकास के जितने काम होते हैं जिनका संबन्ध हमारी पंचवर्षीय योजनाओं से होता है उनकी पब्लिसिटी और उनके फीगर्स की जानकारी काफी लोगों को होती है। इसमें पब्लिसिटी भी काफी की है लेकिन जहां भूमि–सुधार सम्बन्धी कानूनों का सवाल है, जिसके जरिये हम सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति कर रहे हैं उसकी हम इतनी पब्लिसिटी नहीं कर सके हैं। इसीलिये मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये यह प्रस्ताव रखा है। अगर हम चाहते हैं कि समाज के अन्दर जो विरोधी तत्व हैं, उससे बचे रहने के लिये, उनका विरोध सहन नहीं कर सकते इसलिये आप पब्लिसिटी नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ यह उचित नहीं। जब कि हमने समाजवादी समाज की व्यवस्था को माना है तो उसके साथ यह भी जुड़ा हुआ है कि प्रजातन्त्र के अन्दर जितने भी रिफॉर्म्स हों उनकी ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी हो।

लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो कॉन्फ्रेन्स हुई थी उसमें भी यह निर्णय किया गया था कि पंचायतों की मार्फत रिफॉर्म्स का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जावे। तो मेरा कहना यह है कि ऐसे रिफॉर्म्स का ठीक तरह से पालन करवा सकें तो पास करावें, वरना नहीं और एक बार अगर करा लिया तो फिर कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो उसे इम्प्लीमेंट कराना

(श्री सोहनलाल भटनागर)

ही चाहिये। इस दृष्टि से मैंने इसे पेश किया है।

श्री सभापति : श्री मोतीलाल चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री लादूराम सुलाणिया।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : माननीय सभापतिजी, मेरे कटौती के प्रस्ताव नम्बर ५७ में तहसील दूदू और फागी के जो काश्तकार काश्त करके अपनी उदर-पूर्ति करते हैं, अपने बाल बच्चों को बड़ी मुश्किल से पालते–पोसते हैं और अगर दुष्काल पड़ गया तो शहरों में आकर मजदूरी करके अपना भरण–पोषण करते हैं, जो एक साल भी दुष्काल के प्रभाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इस तरह की उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये कि उनकी उस भूमि से जितना लगान वसूल करते हैं वह अधिक है, उसे कम किया जाना चाहिये।

अगर इसका सही माने में हिसाब लगाकर देखा जावे तो निवेदन करना चाहूँगा कि ये दरें उनको इतनी भारी पड़ती हैं कि कभी कभी तो इन दरों को चुकाने के लिये इनको कर्जा लेना पड़ता है और थोड़ी सी भी अकाल की हालत में शहरों में मजदूरी कर करके वह लगान चुकाना पड़ता है। तो इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह लगान उनकी भूमि की उपज की कीमत के हिसाब से होना चाहिये। आज एक बीघा पर सात रुपया दर वसूल की जाती है जब कि १४) रु. का अनाज भी उसमें पैदा नहीं होता। उनके खेतों को आप देखेंगे तो जंगल के जंगल से मालूम पड़ते हैं। तो निवेदन करूंगा कि जिस तरह रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने सन् ५७ के अन्दर अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके काश्तकारों के साथ लगान में रियायत की थी और वाजिब दरें उनकी स्थिर की थीं, वैसी इनकी भी वे करने की कृपा करेंगे। इसके लिये जो उन्होंने पहले किया उससे फायदा हुआ है किसानों को। इस बार भी कहूँगा कि इस स्थिति में इनकी हालत की जांच करने के लिये एक जांच कमेटी बिठाएं। सर्वे कराएं कि किस तहसील में किस किस्म की भूमि में किस तरह की उपज होती है।

मैं निवेदन करूं, खास कर दो प्रकार की जमीनें गांवों में होती हैं, कुछ हिस्सा उपजाऊ होता है और कुछ नहीं। पर दरें दोनों की एक तरह की होने से गरीबों पर बुरा असर पड़ता है।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है परिगणित जाति के काश्तकारों के लिये १२॥ प्रतिशत हिस्से से लगान में कमी करने के लिये। सरकार कहती है, हम परिगणित जाति के लिए विशेष सुविधा प्रदान करते हैं जबकि मेरा कहना है कि अगर इसकी जांच के लिये कमेटी बिठाई जावे तो तथ्य कुछ नहीं निकलेगा। संविधान में भी प्रोवीज़न है, रिज़र्वेशन देने का, विशेषाधिकारों का; ताकि आर्थिक स्थिति इस तबके की सुधरे।

राजस्थान में मुख्य धन्धा इनका कृषि है। पर इसके लिए सरकार ने कोई सुविधा

श्री लादूराम मुलाणिया)

नहीं दी। शहरों में हर जगह कुछ न कुछ सहूलियतें दी जाती हैं, तब गांवों में बसने वाले परिगणित जाति के लोगों को क्यों नहीं देते ? कुछ न कुछ उनको भी तो आप दीजिये। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि इन लोगों को भी जो देहातों में रहते हैं और मुख्य धन्धा जिनका काश्त करना ही है और जिनको और किसी तरह सरकार मदद नहीं कर सकती, उनको सरकार काश्त में लगान में १२॥ प्रतिशत की रियायत दे दे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ सुधरेगी और संविधान की महत्वपूर्ण धाराओं में जो रियायत करने की बात कही गई है, उनका भी पालन होगा। इन धाराओं में साफ तौर से कहा गया है कि पिछड़ी जाति के लोगों को प्रोत्साहन दिया जाय।

पर इन पिछड़ी जाति के काश्तकार लोगों को एक भी कौड़ी का फायदा नहीं हुआ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि जब तक रिज़र्वेशन है उनके लिए संविधान में संरक्षण देने की बात है तब तक तो कम से कम १२॥ प्रतिशत की कमी की जानी चाहिये।

तीसरा मेरा कट मोशन है तहसीलदारों द्वारा बरती जाने वाली अनियमितताओं के बारे में। सरकार चाहती है कुछ रियायत करना, फायदा देना, पर सरकार की मशीनरी वह फायदा नहीं होने देती। इन तहसीलदारों के द्वारा ही हम लोगों को नुकसान और फायदा होता है। १९५८ में यहां से एक बिल पास किया गया कि जितने भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि दी जावे। एक तहसीलवाइज़ भूमि अलॉटमेंट कमेटी का गठन भी किया गया। माननीय सभापतिजी मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि जो भूमिहीन थे वे इससे बड़े उत्साहित हुए और वे अपने घरों से धोती कन्धों पर डालकर वहां गये और कहा कि हमें जमीन दो, हमारे पास जमीन नहीं है। तहसीलदार ने ऑर्डर दिया कि आप लोग दरख्वास्त दीजिये। मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि तहसील के दरवाजों पर कमीशन एजेन्टस बिठा दिये गये और उन कमीशन एजेन्ट्स ने जब तक दो–दो और तीन तीन रुपया नहीं ले लिया तब तक एक दरख्वास्त नहीं लिखी, जो दरख्वास्त कि जलेबी चौक में दो आने में लिखी जाती है। उसकी शिकायत तहसीलदार को की गई तो तहसीलदार साहब कहते हैं कि ये किसी के बाप के मजदूर थोड़े ही हैं। तो इसका मतलब यह था कि दो-तीन आने की दरख्वास्त के दो-दो और तीन-तीन रुपये ले लें। बेचारे लोगों ने जो कि परिगणित जाति के थे और दूसरे गरीब लोग थे उन्होंने तीन–तीन रुपये देकर दरख्वास्तें तैयार करवाई। फिर तहसीलदार कहता है कि जो जो जमीन के नम्बर हैं उनको भी उसमें लिखो। तो जमीन के नम्बर लेने के लिए पटवारी के पास पहुँचे और पटवारी ने उन लोगों से नम्बर बताने के बीस बीस और तीस–तीस रुपये लिए। उसकी शिकायत राज्य सरकार के पास की गई। उसमें कई पटवारी अरेस्ट हुए, जिनमें से कुछ का आज भी एन्टीकरप्शन में केस चल रहा है; लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। एक नम्बर निकालने में पटवारी इतनी रिश्वत ले और सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे, यह तो बहुत बुरी बात है। मैं सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस

(श्री लादूराम सुलाणिया)

दौरान में दरख्वास्तों की बाढ़ आई और एक एक तहसील में तीन-तीन और चार-चार हजार दरख्वास्तें जमा हुई, अगर उनका हिसाब लगाया जाये तो लोगों का उन दरख्वास्तों पर करीब १०–१५ हजार रुपये का नुकसान हुआ।

राजस्व विभाग की ओर से एक परिपत्र निकला कि जब तक भूमिहीन जागीरदारों को जमीन नहीं दे दी जायेगी तब तक भूमिहीनों को कोई जमीन नहीं दी जायेगी। मैं माननीय सभापतिजी, बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि उन लोगों को कह दिया गया कि भूमिहीन जगीरदारों को जमीन देने के बाद हमारे पास कोई जमीन नहीं बच रही। ऐसी स्थिति में उन लोगों की आत्मा के ऊपर कितना भारी इफेक्ट पड़ा होगा, कितनी बड़ी दुआयें दी होंगी, यह या तो वे जानते हैं या फिर वे लोग जानते हैं जो उनमें घूमते–फिरते रहते हैं। उनकी आत्मा पर इतना धक्का लगा और उनके बच्चे, औरतें जो इस बात के लिए उत्सुक थे कि हमें भी जमीन मिलेगी और हम भी काश्त करेंगे उनकी आशाओं पर पानी फिर गया और उनको जमीन नहीं मिल पाई। उसके बाद में दूसरी साल फिर आॅर्डर्स निकाले कि भूमि अलाॅटमेंट कमेटी भूमि अलाॅट करेगी और वह भूमि अलाॅट होगी सहकारी समितियों को और जो लोग सहकारी समिति में नहीं होंगे उनको भूमि अलाॅट नहीं होगी। सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि सहकारी समितियों का बहुत जोरदार ढिंढोरा पीटा गया, लोग भागे कि हम सहकारी समितियां बनाकर जमीन लेंगे और वे सहकारी समितियां बनाने के चक्कर में आये और इसके लिये वे विकास अधिकारियों के पास गये। तो सहकारी समितियां बनती हैं। उनमें क्या घोटाले होते हैं कि उनसे फीस ले ली जाती है, उनका रुपया बैंक में जमा करवाते हैं जिसकी चैक बुक आज तक सहकारी समितियों को वापिस नहीं मिली और विकास अधिकारियों के अण्डर में काम करने वाले लोगों के पास वह रकम जमा रहती है। रुपया होता है सहकारी समितियों का और चैक बुक होती है बी. डी. ओज. के पास। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे इलाके में भूमिहीन लोग कौन थे और किनको वह जमीन सहकारी समितियों द्वारा मिलीं। राजस्थान में अधिकतर लोग परिगणित जाति के हैं। लेकिन यहां विशेषकर ५–७ जातियां ऐसी हैं कि जो बिल्कुल निरन्तर काश्तकारी का पेशा करती हैं और काश्त से ही अपनी जीविका चलाती हैं। लेकिन उनके पास भूमि नहीं होने की वजह से वे भूमिहीन ही रहे। जब जागीरें थीं तो वे लोग जगीरदारों की भूमि जोतते थे और जब जागीरदारी एबोलिश हो गई तो उन लोगों ने जमींदारों की जमीनें जोतीं और जब जमींदारों ने सुना कि इस प्रकार का कानून आने वाला है कि जिसने तीन-चार साल जमीन बो ली तो उसी के नाम गश्त गिरदावरी हो जायेगी तो जमींदारों ने उनको हटा दिया।

तो ऐसे लोग पांच-सात जाति के हैं राजस्थान में जिनका धंधा काश्त का ही था। इसके साथ ही साथ परिगणित जाति के ऐसे लोग भी थे जो दूसरा धंधा करते थे और उनका मुख्य धंधा था सूत कातना और असली खादी बुनना और जो जाति यह काम करती थी, उसका नाम बलाई जाति था। यह आजकल

(श्री लादूराम सुलाणिया)

की नकली खादी नहीं, बल्कि रेजा बुनते थे, जिसकी आज कोई कीमत नहीं है। आज तो उसकी कीमत है जैसी कि पहले डिमाण्ड आई थी मिल का सूत मिली हुई खादी। राजस्थान में वे लाखों लोग थे। कोली जाति के लोग भी यही काम करते थे। वह जमीन के लिए भागे तो उनको जमीन नहीं मिली। दिल्ली के अन्दर ऐसे ७० हजार लोग बसे हुए हैं। मैंने एक दफा पहले भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि राजस्थान से निकले हुए ७० हजार लोग एक शहर में रहें और उसके लिए सरकार सर्वे नहीं करे और जांच नहीं करे और फिर ढिंढोरा पीटें कि भूमिहीनों को भूमि देंगे। उनको रहने के लिये ही जमीन नहीं मिलती तो काश्त के लिए भूमि तो दूर रही। तो मैं निवेदन करूंगा कि सहकारी समिति में भूमि किसको मिली : जो लोग इस बात की दुहाई देते थे कि हमारे पास बहुत जमीन है, हम जमीदार हैं, इस गांव के मुखिया हैं, उनके बेटे और पोते जिनके बुजुर्गों के पास हजारों बीघा जमीन हैं वे कहते हैं कि हमारे पास कोई जमीन नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए वह बिल्कुल कारीगर उतरे। बनाने वाले, परोसने वाले और जीमने वाले सब घर के हुए तो फिर क्या बात है। तहसीलदार उनका, सरपंच उनके और जमीन वाले पोते उनके। तो मैं बताऊं कि सहकारी समितियां बनाई गई, आज उनकी हालत देखें और उनका सर्वे कराया जाये कि कौन कौन सी सहकारी समिति में किस किस ने भूमि प्राप्त की है, तो एक भी हरिजन और परिगणित जाति का आदमी नहीं मिलेगा जिसको ऐसी जमीन मिली हो कि जो काबिले काश्त हो और जो अपनी कारीगरी में निपुण कारीगर थे, उनको मिली। तो तहसीलदारों ने इस प्रकार की अनियमिततायें बरतीं।

उसके बाद में मैं बताऊं कि अलग अलग तहसीलों में भूमि अलॉटमेन्ट कमेटी है। मैं खुद भी तीन-चार तहसीलों की भूमि अलॉटमेन्ट कमेटी का सदस्य हूँ। मैं उनके अन्दर अधिकतर घोटाला देखता हूँ। मेरा तहसीलदार से झगड़ा भी हुआ। वे क्या करते हैं और क्या कहते हैं कि हरिजनों के लिए जमीन है वह २५ पर्सेन्ट अलग रिज़र्व है और बाकी की ७५ प्रतिशत सवर्णों को दी जायेगी। ऐसे तहसीलदार जिनको इस बात की तमीज़ नहीं कि रिजर्व क्या है और जनरल क्या है इसका ज्ञान नहीं और वे यह कहें कि इस गांव में २५ पर्सेंट परिगणित जाति के लोगों के लिए है और ७५ प्रतिशत सवर्णों के लिए है। यह बहुत अफसोस की बात है। एक तहसीलदार से मेरा झगड़ा हुआ। वह कहता है कि नहीं ऐसा ही है कि २५ पर्सेंट परिगणित जाति के लोगों के लिए है और ७५ पर्सेंट सवर्णों के लिए है। सही माने में देखा जाये तो इसका सही मतलब यह है कि जो औरों को मिले वह तो उनके बराबर मिले हो, पर २५ पर्सेंट और विशेष मिले। मैं यह सभापति महोदय, कहना चाहूँगा कि रिज़र्वेशन का मतलब होता है कि कुछ अधिक दें जितनी औरों को दें, उससे कुछ विशेष दें। बराबर तो हिस्सा है ही। १०० में से १०० तो है ही और उसके अलावा और विशेष देते हैं तो हम मानेंगे कि हमारे लिए कुछ हिस्सा है

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मेरे तो अभी पांच-सात मिनट ही हुए हैं....

श्री सभापति : आप २० मिनट बोल चुके हैं ।

श्री लादूराम सुलाणिया : तो मैं पांच सात मिनट में ही समाप्त कर दूंगा । तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार से जिसके लिए हम झगड़ा करते हैं कि हमारा रिज़र्वेशन होना चाहिए वह तो खा गए । मैं आपको एक अच्छी सी मिसाल देता हूँ कि एक रसोईघर में ५ आदमी खाना खाते हैं और ५ आदमियों के अन्दर दो आदमी दुबले पतले हैं और ३ आदमी हट्टे कट्टे । उन्होंने सोचा कि हमारे अन्दर से ३ आदमी तो हट्टे कट्टे हैं और २ दुबले पतले हैं तो ये दो भी हमारे जैसे ही मोटे हो जायें तो इसके लिए सब ने एक दिन बैठकर निर्णय किया कि जो दो दुबले-पतले हैं उनको अधिक खाना दिया जाये यानी इनको अधिक पौष्टिक चीजें; घी, मक्खन वगैरह दिये जायें । इसमें सभी ने मिलकर यह तय कर लिया कि जो घी हम खाते हैं हर आदमी एक एक पैसा भर घी उनके लिए दे जो कि कम खाते हैं । इसका मतलब यह हुआ कि उनको पांच पैसा भर घी दिया जाये । एक पैसा भर घी इनके लिए रिज़र्व रखा जाये । हमारे संविधान में यह निर्णय लिया गया है कि पिछड़े हुए लोग जो हरिजन कहलाते हैं अगर वे दुबले हैं, अगर वे पीछे रह गये हैं तो उनके लिए कोटा फिक्स किया जाये, उन लोगों के लिए रिज़र्वेशन कर दिया जाय, उन लोगों के लिए अधिक व्यवस्था कर दी जाय ताकि ५–१० साल में वे बराबर के अधिकार प्राप्त कर सकें । उनकी नीति यह थी । मैं यह कहना चाहूँगा, माननीय सभापतिजी, कि बिल्ली को जलेबी की रखवाली पर बिठा दिया जाय तो रखवाली के बजाय वह उसको हड़प कर जाय, तो एक पैसे भर शुद्ध घी का जो सदुपयोग था, उसका यह सदुपयोग हुआ । दूसरे दिन खाने के लिए बैठते हैं तो तीन आदमियों को तो छटांक छटांक भर घी मिलता है और उस दुबले को एक पैसे भर ही मिलता है....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : दस्त लग जायेंगे ज्यादा घी खायेगा तो ।

श्री लादूराम सुलाणिया : पैसे भर घी रिज़र्व हुआ है तो खाये क्या ? आप की राख खाये क्या ?

श्री सभापति : Order ! Order please !! Don't use unparliamentary expression.

श्री लादूराम सुलाणिया : तो माननीय सभापतिजी, यह मैं बता देना चाहता हूँ कि पैसे भर घी खाकर मोटा तो नहीं उल्टा दुबला हो सकता है ।

तहसीलदारों द्वारा अनियमितताएं बरती जा रही हैं । भूमिहीन काश्तकार को जिनको जमीन देना चाहिए, जिनको तगड़ा बनाना चाहिए जिससे देश की उपज बढ़ सके, और यदि हम यह चाहते हैं कि खाद्य पदार्थ अधिक पैदा हों, तो उसके अमन में खलल डालने वाले है तो वे तहसीलदार हैं । वे जमीन के मूल मंत्र हैं तो तहसीलदार अगर वे जमीन देंगे तो कहां देंगे ? जहां पर नाले, खाड़ी, खड्डे होंगे वहां देंगे । अगर आप सर्वे करायें राजस्थान का तो मैं गारन्टी से कह सकता हूँ कि अगर मेरी बात सच निकले तो मेरी बात मान लें और झूठ निकले तो

(श्री लादूराम सुलाणिया)

कमेटी मुझको सजा दे । मैं सुबूत देना चाहता हूँ, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार की आखें बन्द हैं, कान भी बन्द है, सुनते नहीं है....

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री सभापति : Two minutes more.

श्री भैरोंसिह (श्रीमाधोपुर) : जो सरकार नहीं सुनती है वह दो मिनट में भी नहीं सुनेगी । इसलिए इनको ज्यादा समय दिया जाये तो शायद सुन लें ।

श्री सभापति : You have to finish within the time. Two minutes more allowed.

श्री लादूराम सुलाणिया : मैंने ज्यादा समय नहीं लिया है । मैं ज्यादे से ज्यादा ७ मिनट बोला हूँ ।

श्री सभापति : २. २० पर आपने आरम्भ किया था और २. ४० हो चुके हैं ।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा ।

तो, माननीय सभापतिजी, इस प्रकार से इस बात की दुहाई देते हैं कि सबको बराबर स्तर पर लायेंगे, एक लेवल पर लायेंगे और बराबर के हक देंगे, वह देते नहीं जा रहे हैं, छीन रहे हैं । छटांक भर घी के बजाय एक पैसे भर घी देने की कोशिश करते हैं, पर उस घी से हमें संतोष नहीं होने वाला है ।

तो मैं बताना चाहूँ कि अधिकार दिये है कानून के दायरे में तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाय । उसका काम सिर्फ यह हो कि वह तमाम राजस्थान का सर्वे करे कि किस किस प्रकार की केटेगरी के लोग काश्तकार हैं, और वे भूमिहीन हैं, और उनको भूमि किस प्रकार से प्राप्त हो । यह आप तहसीलदारों पर नहीं छोड़े । तहसीलदार अनियमितताएं बरतते हैं । उनसे इस बात का अधिकार ले लिया जाय । मैं विशेषकर निवेदन करूंगा कि इस बारे में जब तक सरकार सतर्कता नहीं बरतेगी तब तक किसी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है और न इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हो सकते हैं ।

तो इसके अलावा, माननीय सभापतिजी, मेरा एक कट मोशन जहां नहरी पानी नहीं मिलता है और नहर का लगान वसूल हो जाता है उसके बारे में हैं । तो, माननीय सभापतिजी, मैं यह बताना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान में नहरें बहुत ज्यादा हैं और उनमें पानी भी २४ घन्टे बहता रहता है । इस बात की कमी नहीं है । परन्तु उसके बावजूद कितनी ही जमीनें ऐसी हैं जो नहरों के पास में पड़ती हैं, लेकिन बान्ध में पानी नहीं पड़ने के कारण या अकाल पड़ने के कारण या किसी प्रकार से कम वर्षा होने के कारण बन्धों में पानी आता है और आता है तो इतना आता है कि पड़ौस के जो खेत हैं, बन्धों के जो नज़दीक के खेत हैं उनको कुछ पानी मिल जाता है । मैं, माननीय सभापति, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री लादूराम मुलाणिया)

यहां एक कालिक बांध है और उसके बंधे को माधोराजपुरा तक वे ले आये हैं ५०–६० मील तक, लेकिन वहां तक उसका पानी नहीं आता है। अपनी उम्र में तो मैं यह कहूंगा कि बड़ी मुश्किल से आयेगा। पिछले साल पहुंचा और एक साल के बाद पहुंचेगा, ऐसी भावना रखकर हम काश्तकारों से नहर का लगान प्राप्त करें तो उससे किसानों को बहुत नुकसान होता है और इसका फायदा नहीं होता है। छावड़ा बांध इस साल भरा नहीं है और वहां लोगों से नहर का लगान वसूल हो गया। यह हर साल होता है। विशेषकर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कितनी ही जमीनें ऐसी हैं कि जमीनों का जिस वक्त सर्वे किया था उनका लगान नहरी का करके आये, अगर आज तक बंधा बना नहीं है, पानी पहुंचता नहीं है, लेकिन वे नहर का लगान देते चले जायं, यह सबसे बड़ा जुल्म है। मैं तो यह कहूंगा कि जांच करा लें। लगान कम नहीं किया जाय तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करेंगी ।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

तो, माननीय सभापतिजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उसके लिए एक ऐसी कमेटी मुकर्रर की जाय जो यह देखे कि कहां कहां पानी कब २ मिला और कब कब मिल सकेगा। ऐसी स्थिति में वह जमीन नहरी लगान में रहे, और बाकी लोगों को इस आशा पर देना पड़ता है कि हमारी जमीन पर नहर आयेगी और हमें नहर का पानी मिलेगा, तो उनका लगान कम कर दिया जाय, और उन्हें इस बात की रियायत दी जाय। मेरी बात को मान लें।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे दोनों कटमोशन्स पर विचार करें और तहसीलदारों के बारे में अर्ज करूंगा कि जब कमेटी में बैठते हैं तो भूमिहीन किसानों को, जो हरिजन हैं उन लोगों को जमीन नहीं मिलती है, और इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं कि उनको जमीन मिलती है।

(समय-समाप्ति–सूचक घन्टी)

उनको जमीनें मिलती हैं तो कहां मिलती हैं ? जहां कि खाली, खड्डे और नाले होते हैं वहां की जमीन उनको मिलती है, जिस पर कि वे आसानी से काश्त नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने गलत बातों से जमीन ले ली है। बाप और दादा के नाम पर खातेदारी में हजारों बीघा जमीन है उनको केन्सल करके अच्छी जमीन उनको दिलाई जाय जिस पर कि अच्छी मेहनत करके काश्त कर सकें।

श्री सभापति : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, इस भू–राजस्व की मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–के सम्बन्ध में मैंने भी एक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

"मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(गश्त गिरदावरियों में हो रही धांधली पर विचार करने हेतु)"

सभापति महोदय, मैंने कटौती प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की चेष्टा की है कि आज राजस्थान में जो गश्त गिरदावरियां होती हैं, जो काश्त के मौके पर इन्द्राज किये जाते हैं उनमें पटवारियों द्वारा जो धांधली की जाती है। उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि यदि माननीय राजस्व मंत्री महोदय राजस्व की अदालतों में चलने वाले मुकदमों के आंकड़े एकत्रित करें और इस सम्बन्ध में सही जानकारी प्राप्त करें तो उनको मालूम होगा कि आज राजस्थान के राजस्व न्यायालयों में जितने भी मुकदमें चले रहे है उन मुकदमों का मुख्य सम्बन्ध इस बात से होता है कि गांवों में काश्तकार जो काश्त करते हैं उसके इन्द्राज को काटकर दूसरे आदमी के नाम काश्त चढ़ा देते हैं। जो आदमी २० साल से काश्त कर रहा है कागजातों में उसके नाम इन्द्राज चले आ रहे हैं, लेकिन किसी अमुक साल में पटवारीजी नाराज़ हो गये या और कोई कारण हुआ तो उस व्यक्ति की काश्त काटकर, उसका इन्द्राज काटकर दूसरे आदमी के नाम इन्द्राज कर दिया जाता है और नतीजा यह होता है कि जो २० साल पुराने काश्तकार होते हैं उनको भी अदालत की शरण लेनी पड़ती है। सभापति महोदय, मैं कह सकता हूँ कि एक नहीं, सैकड़ों इस प्रकार के मुकदमें रेवेन्यू बोर्ड तक से फैसल हुए हैं जिनमें उन्होंने यह माना है कि इन सारे मामलात में पटवारियों ने गल्ती की और गलत इन्द्राज किये। पटवारियों ने रेवेन्यू कोड के खिलाफ काम किया, पटवारियों ने रेवेन्यू मेन्युअल के खिलाफ काम किया, पटवारियों को गिरदावरी वगैरह के जिस प्रकार से इन्द्राज करने चाहिये थे उस प्रकार से इन्द्राज नहीं किये, उन्होंने मौके पर जाकर इन्द्राज नहीं किये, चौपाल पर बैठ कर इन्द्राज कर दिये, नम्बरदार के घर पर बैठ कर इन्द्राज कर दिये, अपनी कुटिया में बैठ कर इन्द्राज कर दिये। एक नहीं अनेक दरख्वास्तें राजस्थान के काश्तकारों द्वारा चाहे, एम० एल० एज० के पास भेजी जाती हों, चाहे राजस्व मंत्रीजी को देते हों, लेकिन अन्ततोगत्वा उनको अदालत की शरण लेनी पड़ती है और आपको इस पर आपत्ति होती है। उनको रिलीफ चाहिये तो रेवेन्यू कोड की धारा ३३६ में दावा करें।

सभापति महोदय, मैं समझता हूँ आज राजस्थान में जितने रेवेन्यू कोर्ट्स के डिसीज़न्स होते हैं, यदि राज्य सरकार उनको इकठा करे और यदि रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू कोर्ट्स को हिदायत दे कि जिन मुकदमे में साफ जाहिर हो जाय कि अमुक पटवारी ने गड़बड़ की है इस प्रकार की सूचना सारे मुकदमों की इकट्ठी की जाय और पटवारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में जितने रेवेन्यू के मुकदमे खड़े होते हैं वे सब पटवारियों की मेहरबानी से खड़े होते हैं। यह बात सही है कि हम पटवारियों को तनख्वाह कम देते है, उनको जो कुछ देते हैं वह उनके गुजर के लिये पर्याप्त नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि उनको इस बात की छूट रहे। यह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आम शिकायत है राजस्थान में। मैं समझता हूँ यदि राजस्व मंत्रीजी के पास शिकायतें आती होंगी तो उनको मालूम होगा कि जहां तक पटवारी का सम्बन्ध है, उनके दो–चार मामले तो उनके सामने आये होंगे, उनके सामने प्रस्तुत हुए होंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही भी की होगी। लेकिन मैं मांग करना चाहता हूँ कि कोई तरीका इस प्रकार का निकालना चाहिये कि इस तरह की गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सके। जिन लोगों के कारण से कई बार रेवेन्यू बोर्ड ने फाइन्डिंग्ज़ दी हैं, लेकिन जरूरत नहीं कि रेवेन्यू अदालतें कोई कार्यवाही कर सकें, वे काम्पीटेन्ट नहीं होतीं। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि जहां तक काश्तकारों का सवाल है, यह अहम मसला है और इसका कारण यह है कि आज कई कारणों से हमारे किसान पैदावार में ध्यान नहीं लगाते। मुकदमों के कारण नीचे से ऊपर तक परेशान होते हैं। जब पटवारी उनसे नाराज होते हैं तो एक इन्द्राज दूसरे के नाम पर कर देते हैं झूठा इन्द्राज कर देते हैं। इस प्रकार से मुकदमेबाजी में इनको पड़ना पड़ता है।

मैं समझता हूँ, यदि राज्य सरकार पटवारियों पर सही नियंत्रण लाना चाहे तो ला सकती है। इसके लिये तहसीलदारों को टोन-अप करना पड़ेगा। रेवेन्यू कोड या रेवेन्यू मेन्युअल के खिलाफ गलत इन्द्राज किया जायेगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय तो काफी सुधार हो सकता है।

तहसीलदारों के खिलाफ भी कई उदाहरण आये हैं। मैं यह नहीं कहता कि सेन्ट–पर्सेन्ट तहसीलदार बेईमानी करते हैं, लेकिन जहां तहसीलदार और पटवारी दोनों ही बेईमानी करने को तुले हों वहां का हाल ही दूसरा है। कहीं कहीं पटवारी भी ऐसे मिलते हैं जो ईमानदारी से इन्द्राज करना चाहते हैं, गड़बड़ी नहीं करना चाहते। वे फैक्ट्स के खिलाफ या एक्चुअल पोज़ीशन के खिलाफ नहीं आना चाहते। लेकिन तहसीलदार उन पर इस बात के लिये जोर डालते हैं कि तुमको अमुक आदमी का इन्द्राज करना पड़ेगा। उसका नाम कागजात में दिखाना होगा। यदि किसी का नाम कागजात में लिखा जाता है तो बहुत बड़ा अधिकार उसको कोर्ट्स में लड़ने के लिए मिल जाता है। मैं सदन की जानकारी के लिये इस प्रकार की घटना प्रस्तुत करूंगा जिसमें पटवारी ने कहा कि मैं इस प्रकार का इन्द्राज नहीं करूंगा। उसने इन्द्राज करने से साफ इन्कार कर दिया, चूंकि गिरदावरी का समय खत्म हो चुका था। उसने कहा कि इन्द्राज हो नहीं सकता क्योंकि उसका जमीन पर कब्जा नहीं था। पिछली बार दूसरी तरह का इन्द्राज था, ८ साल बाद उस पर यह दबाव डाला गया कि तुम इसकी टीप चढ़ा दो। मैं जानना चाहूँगा कि इस प्रकार के दबाव डालने वाले तहसीलदार के खिलाफ सरकार क्या करती है? मैं सदन को जानकारी के लिये एक पटवारी की ईमानदारी का नमूना पेश करूंगा, जिसको किसी गिरदावर ने नहीं कहा, किसी इन्सपेक्टर लैंड रेवेन्यू ने नहीं कहा, किसी नायब तहसीलदार ने नहीं कहा लेकिन उसको कहने वाला तहसीलदार होता है जिसके हाथ में सारे इन्द्राज करने के पॉवर्स होते हैं। आज किस प्रकार से ये लोग पटवारियों पर नाजायज़ दबाव डालते

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं, इसका एक नमूना में सदन के सामने पेश करूंगा। यह एक पटवारी की घटना—बही का इन्द्राज है उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगा। यह घटना—बही हल्का नं. १८, तहसील सांगानेर की है और वाकया है १६.३.५८ का....

श्री सभापति (श्री विशम्भरनाथ जोशी) : Will you be placing a copy of it on the Table of the House ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : If you wish, Sir, I have no objection.

श्री सभापति : Is it a certified copy or the original document ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, ओरीजिनल डॉक्युमेन्ट यहां प्रोड्यूस हो नहीं सकता क्योंकि पटवारी की जो घटना बही होती है वह उसके पास होती है,'मैं उसकी ट्रू कॉपी ला नहीं सकता, लेकिन इसकी ऑथेन्टिसिटी के बारे में कह सकता हूं ....

श्री सभापति : You will please clarify whether it is a certified copy or an original document. Is it a certified copy ?

श्री सतीचशन्द्र अग्रवाल : सर्टिफाइड कॉपी तो मेरे पास हो नहीं सकती, लेकिन इसकी ऑथेन्टिसिटी के बारे में आश्वासन दिला सकता हूं....

श्री सभापति : I would like to know whether the document, to which the Hon'ble member is referring, is a document which will be admissible under the law in any court of law.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेन्स के लिए या यदि सदन जानकारी चाहे तो उस पटवारी को तलब किया जा सकता है। यदि सदन चाहे तो पटवारी को तलब करे और जानकारी करे तो की जा सकती है। यदि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करेंगे तो सारा तथ्य सामने आ जायगा। जो कुछ मैं जानकारी दे रहा हूँ उसके लिए मैं जिम्मेवारी लेने को तैयार हूँ।

श्री सभापति : Hon'ble member has not replied to my question. The question simply was whether the document, which he is referring to, is one which would be admissible in evidence in any court of law under the existing law of evidence.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन में अनसर्टिफाइड कॉपीज़, अन ऑथेन्टिकेटेड यदि किसी सदस्य ने विश्वास दिलाया है उसकी ऑथेन्टिसिटी के बारे में, तो प्रस्तुत की गई हैं, पढ़ने की इजाजत दी गई है। इस आधार पर मैं निवेदन करूंगा कि मेरे पास ट्रू कॉपी नहीं है, ट्रू कॉपी मिलने का कायदा भी नहीं है क्योंकि पटवारी की घटना-बही होती है जो रेवेन्यु ऑथोरिटीज़ के पास सबमिट की जाती है। लेकिन यह बिल्कुल ट्रू कॉपी के समान है। मैं इसकी ऑथेन्टिसिटी के लिये जिम्मेदार हो सकता हूँ।

श्री सभापति : You personally vouchsafe the authenticity of this document ?

Page No.82

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Yes, Sir.

मैं निवेदन कर रहा था पटवारी की घटना-वही दिनांक १६–३–१६५८, हल्का नं० १८, तहसील सांगानेर "१२८) बाद श्रीमान् तहसीलदार साहब ने मकान पर बुलाकर जबानी आॅर्डर दिया कि जो जमीनें अभी ठिकाना शिवपुर में एलॉट कीं उनका पर्त रकबे पर कब्जे का इन्द्रज़ खसरे के करू दो तो मैंने इन्कार किया। जब उनका जमीन पर कब्जा ही नहीं है और सन् १६५० से ठिकाना शिवपुरवालों से पट्टे बन गये हैं तो सन् ५१ से इनका इन्द्र कराते और इस फसल में भी करवाते तो गिरदावरी की टाइम से पहले कहते। अब गिरदावरी टाइम खत्म हो गया है। मगर मकान पर बैठ कर रूबरी कामदार ठिकाना के जबरदस्ती डांट दिलाकर पर्त कर के आनन्दप्रकाश, चन्द्रप्रकाश, सत्यनारायन, सूर्यकुमार, श्यामसुन्दर, कैलाशचन्द्र, ओमप्रकाश, ग्रीवाकुमार, हनुमानप्रसाद पर्त रकबे पर इन्दराज करवा कर प्रार्थी से यह रसीद लिखवाई गई कि यह इन्दराज़ मैंने गश्त के टाइम किया, मगर यह इन्द्राज़ इसी तारीख १६–३–५८ को घर पर करवाया गया।"

दस्तखत. कायमसिंह, कामदार,
ठिकाना शोपुर"

मैं यह समझता हूँ कि यह बात सही है कि यह इन्द्राज़ उसको दबा कर करवाया गया। पटवारी ने इस पर आपत्ति की, इसका विरोध किया। चाहिये यह था कि ऐसे पटवारी को राज्य सरकार शाबाशी देती और यह कहती कि तुम ईमानदार आदमी निकले हो जो गिरदावरी के समय से बाहर इन्द्राज़ करवाना चाहते थे उसके खिलाफ आपत्ति की, झूठा इन्द्राज़ करने पर इन्कार करते हो। मैं समझता हूँ, इस पटवारी को राज्य सरकार को इनाम देना चाहिये था,

(३.०० म० प०)

लेकिन, सभापति महोदय, इस हुकूमत में इनाम ऐसे पटवारियों को, ऐसे आदमियों को नहीं मिलता है, जिस आदमी ने एस. डी. ओ. को और कलेक्टर को तार द्वारा सूचना दी कि तहसीलदार ने घर पर बैठा कर, डांट देकर, कायदे के खिलाफ, नियमों के विरुद्ध गश्त गिरदावरी के इन्द्राज़ करवाये हैं, इसकी जांच करवाई जाय। लेकिन इस मामले में जांच नहीं की जाती, बल्कि पटवारी को हैरेस किया जाता है, उसका ट्रान्सफर कर दिया जाता है, उसके खिलाफ इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट की जाती है। मैं समझता हूँ कि कोई ईमानदार पटवारी इस राज्य में है, तो उसको राज्य सरकार को संरक्षण देना चाहिए। लेकिन हो सकता है माननीय राजस्व मंत्रीजी उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। मैं कहना चाहूँगा कि यह हो सकता है कि इस मामले में बहुत बड़े आदमी इन्ट्रेस्टेड हों। हो सकता है कि यह जो नाजायज़ एन्ट्री की गई, उसके द्वारा एक ऐसे आदमी का कब्जा दिखाना था, एक ऐसे आदमी को फेवर करना था, जो केन्द्रीय सरकार के कॉम्युनिटी डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, मिस्टर एस० के० डे, उसके बारे में इन्द्राज करवाया जाय। यह और भी आश्चर्य, अचम्भे और ताज्जुब की बात है

(विराम)

मैं समझता हूँ कि आज के बड़े अधिकारी को, जो केन्द्रीय सरकार के मंत्रि-मंडल के सदस्य हैं,

Page No.83

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जिनके हाथ में आज देश की हुकूमत है, जो प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं. मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की गलत कार्यवाही उनके लिए की जाय, तो यह राज्य सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है, शर्म की बात है। यह मैंने उदाहरण पेश किया है, जो आज ताकतवर है, जिनके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में बल है, जिसके हाथ में आज पॉवर है, उनको फेवर करने के लिए कानून के खिलाफ, नियम के खिलाफ, वस्तु स्थिति के खिलाफ गलत कार्यवाही करें, जब कि वस्तु–स्थिति यह है कि मौके पर कब्ज़ा नहीं है, मौके पर सेटलमेंट में लिखी हुई है, मैं समझता हूँ कि इन परिस्थितियों के अन्दर आज पटवारी पर तहसीलदार का दबाव डलवा कर इन्द्राज़ करायें, यह शर्म की बात है।

ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हो सकते हैं। मैंने निवेदन किया कि इस प्रकार के गिरदावरी के सम्बन्ध में जो जिम्मेदार आदमी है, वह गलत इन्द्राज़ कराता है, तो नतीजा यह होता है कि जो राजस्थान के गरीब काश्तकार हैं, शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, भूमिहीन काश्तकार हैं, जिनका घर और जमीन नहीं है, जिनका पौवा नहीं है, उनको जमीन देने के बारे में इस प्रकार की परिस्थिति हो जाय, सभापति महोदय, यह सोचने की बात है।

इस सम्बन्ध में और कुछ न कह कर, आपकी अनुमति से एक बात और कहना चाहूँगा और वह यह है कि लैंड रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, इसके एरियर्स बढ़ते जा रहे हैं, इसके आउटस्टैंडिंग्ज़ हैं वे बढ़ते जा रहे हैं। १–४–५६ को इस डिपार्टमेंट के आउटस्टैंडिंग्ज़ ६ करोड़ ३४ लाख ११ हजार....

श्री सभापति : This is not within the purview of your cut motion.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस विभाग के बारे में कट मोशन्स हैं, उनके बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा, बाकी कुछ नहीं कहना चाहता। एक बात और कहना चाहता हूँ और वह यह है कि इस बात का जिक्र भाषणों में आया है और राजस्व मंत्रीजी ने भी घोषणा की थी, पिछले वर्ष सीलिंग कानून पास किया, राज्य सरकार ने वाहवाह ली और इस सदन में और चारों तरफ राज्य सरकार की तारीफ की गई, माननीय राजस्व मंत्री....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): This is not within the purview of his cut motion and he cannot speak on it.

श्री सभापति : Certainly, there would be no end to it if every member speaks on cut motions of someone else.

श्री दामोदरलाल व्यास : He should not be permitted.

श्री सभापति : Yes, please.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, मैंने पहले निवेदन कर दिया कि मेरे कटौती प्रस्ताव पर बोल कर मैं जो दो कटौती प्रस्ताव हैं, उनका केवल समर्थन करना चाहता हूँ, मैं हर एक कटौती प्रस्ताव पर नहीं बोलना चाहता, एक सीलिंग के बारे में कटौती प्रस्ताव रखा है और एक कोई कटौती का प्रस्ताव भरतपुर और अलवर के बारे में रखा है, उनके ऊपर मैं अपने विचार दो मिनिट में रखना चाहता हूँ, और कटौती प्रस्तावों पर नहीं बोलाना चाहता....

Page No.84

श्री सभापति : You have already taken about three times the time permitted for one cut motion. Therefore, I will request you kindly to wind up your speech within two minutes.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि सीलिंग कानून पास कर दिया, सीलिंग कानून पास करने के बाद उसको राजस्थान में सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। अखबारों में लेखमाला छपवाई गई राजस्व मंत्री महोदय द्वारा, राजस्थान में भूमि–सुधार का एण्ड हो गया, सब कुछ हो गया, इन्टरमीयजिरीज़ को मिटा दिया, काश्तकारों को रिलीफ देना था, वह दे दी। मैं पूछना चाहूँगा, कौनसी ऐसी चीज है, जो इसकानून को लागू करने में अड़चन डालती है? क्या इलेक्शन के कारण इसे लागू नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है, क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? समझ में नहीं आता, डेढ़ साल हो गया कानून को पास हुए, इसको लागू नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ कानून को बनाने के लिए, उसकी एक एक धारा को लागू करने के लिए ऑर्डिनेन्स पास करते हैं। लेकिन जो कानून पास कर दिया, जिस पर सहमति हो गई राष्ट्रपति की, उसको आप लागू नहीं करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ यह राजस्थान सरकार के लिए शर्म की बात है।

इसके साथ–साथ अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव रखा था, मैं उसके सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूँगा राजस्व मंत्री जी को कि अलवर और भरतपुर की बहुत बड़ी प्रोब्लम है....

श्री दामोदरलाल व्यास : That cut motion has not been moved.

श्री सभापति : That cut motion has not been moved. You were not here in the House and perhaps you don't know it. There cannot be any debate on a cut motion which is not before the House. I believe you have concluded.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ठीक है, साहब।

श्री सभापति : श्री अनूपसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रावतमल पारीख।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सभापति महोदय, मेरे इस मांग के सम्बन्ध में दो कटौती के प्रस्ताव हैं। सबसे पहला मेरा कटौती का प्रस्ताव है मुआवजा चुकाने में विलम्ब होने पर बहस करने हेतु। सभापति महोदय, मुआवजे से मेरा मतलब उन किसानों के मुआवजे से है, जिनकी कृषि योग्य भूमि को सरकार कितने ही प्रकार के सार्वजनिक कामों के लिए ले लेती है और उसके बदले में उनको फिर कई–कई वर्ष तक मुआवजे का भुगतान नहीं होता है। सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि प्राय: हर सत्र में, जब कभी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

हमारे यहां अधिवेशन होता है, कितने ही प्रश्न और प्रस्ताव इस विषय के इस सदन में रखे जाते हैं कि भिन्न–भिन्न स्थानों में किसानों के अन्दर इस बात पर रोष है कि उनकी जमीन को लिए कहीं पांच वर्ष, कहीं सात वर्ष, कहीं आठ वर्ष, दस-दस वर्ष तक हो गये हैं लेकिन उनको मुआवजा अभी तक नहीं दिया है। वे लिखते-पढ़ते हैं, याददिहानी कराते हैं लेकिन फिर भी उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है। सभापति महोदय, वह समस्या इस युग में, इस वर्तमान युग में कुछ अधिक उग्र होती जा रही है, इस कारण कि हमारी सरकारें, क्या केन्द्रीय सरकार, क्या राज्य सरकारें, आजकल विकास की ओर बहुत कुछ बढ़ती जा रही हैं। विकास के कामों में अधिकतर हमारे राज्यों के अन्दर, देश के अन्दर बड़ी–बड़ी नहरें निकाली जाती हैं, बड़े–बड़े बांध बनाये जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं और कितने ही सार्वजनिक भवन भी बनाते हैं। इन सभी के लिए यह तो निश्चित है कि भूमि की आवश्यकता है....

श्री जयसिंह राणावत (आसींद): कोरम नहीं है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : (सचिव महोदय से) Let the Quorum Bell be sounded.

(गण–पूरक घंटी)

Yes please, resume.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि विकासोन्मुख हमारा राज्य कितने ही प्रकार के विकास कार्य करता है और उन विकास कार्यों के लिए उनको भूमि की आवश्यकता पड़ती है और वह भूमि भी इन किसानों से ही ली जाती है। यह बात एक बड़े संतोष और खुशी की है, आज का हमारा किसान उतना पुराना, दकियानूसी विचार का अब नहीं रहा है जैसा पहले का किसान होता था। किसान को जमीन अपनी जिन्दगी से प्यारी होती है, उसका बड़ा मोह होता है उस प्यारी भूमि के प्रति और किसी भी कीमत पर उस भूमि को दूसरे को देने को तैयार नहीं होता है, लेकिन आज हर विकास कार्य के लिए वह किसान खुशी खुशी अपनी भूमि को दे देता है और इस आशा के साथ कि हमारी प्रगतिशील और लोकप्रिय सरकार और हमारे मन्त्री महोदय, जो सम्बन्धित हैं, वे हमारी इन कठिनाइयों से भलीभांति परिचित हैं और इसलिए हमको जल्दी मुआवजा मिलेगा, लेकिन उनको यह अनुभव करके दुःख होता है कि बराबर इस सम्बन्ध में प्रयत्न करने पर भी वे प्रायः असफल ही होते हैं। मैं अभी यह कह रहा था कि हमारे सदन में इस प्रकार के प्रश्न उठाये जाते हैं, प्रत्येक स्थान से आये हुए सदस्य अपने अपने क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रश्न उठाते हैं कि वहां के किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया है और हमारी सरकारी बैंच की तरफ से कुछ न कुछ उत्तर दे दिया जाता है और इस प्रकार के प्रसंग में कभी कभी इतनी गम्भीरता आ जाती है कि स्वयं अध्यक्ष महोदय को भी राज्य सरकार के लिए वह कहने को बाध्य होना पड़ता है कि इस पर राज्य सरकार को कुछ विशेष ध्यान देना चाहिए, उनको कोई न कोई ऐसे यन्त्र का निर्माण करना चाहिये जिससे विभिन्न कार्यों के लिये राज्य सरकार किसानों की भूमि का उपयोग करती है, उस

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

भूमि का उन्हें शीघ्र ही मुआवजा चुका दिया जाय। पर आज यह अभी तक उसी तरह की समस्या बनी हुई है । चाहे राज्य सरकार आश्वासन दिलाती है कि हम इस सम्बन्ध में प्रयत्न करेंगे, पर ऐसा महसूस होता है कि राज्य सरकार यह अनुभव ही नहीं करती। विभिन्न कार्यों के लिये उपयोग में लेने के लिये, इतनी भूमि लेने के बाद भी न केवल यह है कि उस भूमि का किसानों को मुआवजा ही नहीं दिया जाता अपितु किसानों से उस जमीन के लिये जाने के बाद भी चार २, पांच २ साल तक उस जमीन की उन किसानों से मालगुजारी वसूल की जाती है और इस तरह डबल मार किसानों पर पड़ती है । तो इस प्रकार के किसानों के प्रति यह घोर अन्याय है । इस ओर राज्य सरकार को सक्रिय होने की आवश्यकता है। इससे किसान कुछ सचेत होता जा रहा है और वह अनुभव करने लगा है कि हम कितने उदार हो रहे हैं राष्ट्र के विकास के लिये, उतनी सरकार उदार नहीं होती। तो वे कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि इस प्रकार तंग आया हुआ किसान मांगने पर भी राज्य सरकार को भूमि देने से इन्कार कर दे। राज्य सरकार के पास शक्ति है और भूमि एक्वायर करने का कानून भी है, लेकिन यदि किसानों की इच्छा के प्रतिकूल भूमि एक्वायर करेगी तो वर्तमान सरकार के लिये, लोक प्रिय सरकार के लिये अच्छी बात नहीं होगी। तो आवश्यकता इस बात की है कि जब किसान राज्य की प्रत्येक आवश्यकता के लिये भूमि देने को तैयार हो जाते हैं तो राज्य सरकार को भी शीघ्र से शीघ्र इस प्रकार की मशीनरी इवॉल्व करनी चाहिये कि उन्हें जल्दी से जल्दी मुआवजा दे दिया जाय।

अलग–अलग विभाग अपने–अपने काम के लिये भूमि एक्वायर करता है, पी. डब्लू. डी. अपने लिये भूमि लेता है, सिंचाई विभाग अपने काम के लिये भूमि लेता है। कोई भी विभाग अपने लिये भूमि लेता है तो देखा जाता है कि वह विभाग अपनी ओर से राजस्व विभाग को लिख कर भेज देता है कि भूमि का मूल्य असेस करें । भूमि का मूल्य असेस करने का काम राजस्व विभाग पर होता है। तो सबसे ज्यादा देर राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा लगाई जाती है । राजस्व विभाग समझता है कि हमारा काम तो राजस्व वसूल करना है और दूसरे केस वर्क को करना है और भिन्न–भिन्न विभागों से आने वाले मुआवजे सम्बन्धी मामलों पर विशेष ध्यान नहीं देता है। देरी उन विभागों की ओर से नहीं होती जो कि अपने–अपने काम के लिये भूमि लेते हैं बल्कि देर होती है राजस्व विभाग की तरफ से। राजस्व विभाग के अधिकारी ठीक तरह से असेस करके उस जमीन की कीमत आंक कर उन विभागों को नहीं भेजते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि मन्त्री महोदय अपने विभाग के अधिकारियों को आदेश इस प्रकार के दें, सम्बन्धित अधिकारियों को बुला कर या किसी भी तरह से एक अवधि निश्चित करें कि तीन महीने के अन्दर–अन्दर और अधिक से अधिक ६ महीने के अन्दर अन्दर इस प्रकार के मुआवजों का भुगतान करा दें। मैं समझता हूँ इतनी न्यायसंगत मांग के लिये राजस्व मंत्रीजी और राज्य सरकार इसे स्वीकार करेगी कि यह आवश्यक मामला है और इस सम्बन्ध में कोई न कोई कारगर उपाय निकालें।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है भूमि संधनितकरण की प्रगति पर बहस करने के

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

सम्बन्ध में। यह जो हमारे राज्य के अन्दर संघनितकरण की, भूमि के एकीकरण की नीति है यह भू-क्रान्ति की ओर कदम है। यदि हमको भूमि सुधार करना है तो खण्ड २ में दूर पड़ी भूमि है उसको एकीकृत करना आवश्यक है और इस बात की प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने इस ओर कुछ कदम उठाये हैं। पर यहां अभी तक कभी सार्वजनिक रूप से सरकार ने नहीं बताया कि इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हो रही है, किन–किन जिलों में, किन किन तहसीलों में कहां–कहां कितना कितना काम हो गया है और कितना–कितना काम बाकी है। एक समय था जब यह आशंका की जाती थी कि शायद राज्य सरकार की इस नीति को किसान पसन्द नहीं करें, पर जिस इलाके से मैं आ रहा हूँ वह इलाका यू. पी. से लगा हुआ इलाका है, वहां के इलाके में छोटे–छोटे भूमि–खण्डों को एक करने का कार्य बहुत समय से चल रहा है। वहां के किसानों से पूछते हैं तो किसान कहते हैं कि हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अधिकारी हमको बिठा कर इस तरह बात करते हैं कि हम खुशी-खुशी मान लेते हैं, यदि हमें कोई निर्णय मान्य नहीं भी होता है तो अपील भी पास ही हो जाती है और जैसी जैसी भूमि हमारी जाती है वैसी ही एकीकृत हो जाने से हमें हानि भी नहीं उठानी पड़ती है और एक जगह हो जाने से देख-भाल में सहूलियत होती है और परिश्रम करने में, भूमि के उन्नत करने में ज्यादा सफल सिद्ध हो रहे हैं। तो इस दृष्टि से इतना उपयोगी कदम है तो इस ओर राज्य सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये।

यह बतलाया जाता है कि हमारे यहां इस प्रकार के प्रशिक्षित लोगों की कमी है जो इस प्रकार के कार्य को कर सकें। तो इसके लिये जिस प्रकार हर प्रकार के प्रशिक्षण के लिये शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, पंचों तक का प्रशिक्षण होता है, हर विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध है, इसका है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर इस प्रकार के अधिकारियों की शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिये और जहां तर्क हो इस कार्य को द्रुत गति देनी चाहिये, क्योंकि यह एक बहुत उपयोगी कार्य है।

इस सम्बन्ध में मेरा कटौती प्रस्ताव सिर्फ यह है कि इसकी प्रगति क्या हो रही है, यह राज्य सरकार बताये और साथ ही साथ यह भी बताये कि क्या वह अनुभव करती है कि किसानों की ओर से रुकावट आती है या राज्य सरकार के साधनों में कमी है, विलम्ब क्यों हो रहा है? जयपुर जिले में या एक दो जगह और ऐसा कुछ कार्य हुआ है पर दूसरी जगहों पर सर्वे भी हुआ है, लोग देख गये हैं, पर कहीं पर क्रियात्मक कदम उठाया हो, इसकी सूचना नहीं।

तो, सभापति महोदय, इस प्रगति को जानने के लिये मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखा है और मैं आशा करता हूं कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय, इस सम्बन्ध में जो भी कार्य–वाही हुई है उसके सम्बन्ध में उत्तर देंगे।

श्री सभापति : श्री देवीलाल।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

(गण–पूरक घंटी)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सभापति महोदय, पार्टी के को व्हिप हैं। उनसे कहा जाय कि वे सदन में बैठे रहें और कोरम मेन्टेन रखें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस है कि दोनों व्हिप्स को बैठना चाहिये और कोरम का ध्यान रखना चाहिये।

श्री देवीलाल (सराड़ा–सु०) : सभापति महोदय, मेरे दो कट मोशन्स हैं। इसके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तहसील सराड़ा में गश्त गिरदावरी में अव्यवस्था हो रही है। इस वर्ष वर्षा के अभाव से कई गांवों में फसलें सूख गई। मगर पटवारियों ने गश्त गिरदावरी कर दी है। यह उन्होंने गलत की है। उन्होंने यह गश्त गिरदावरी कैसे की है वह मैं आपको बताना चाहता हूं। एक स्थान पर बैठ कर उन्होंने गश्त गिरदावरी लिख ली है। इसके अलावा किसी को साथ नहीं रखा। इस तरह से करके रिपोर्ट गलत दी जाती है। इसके बारे में तहसीलदार की तरफ से कोई देख–रेख नहीं कि ये लोग गलत करते हैं या सही करते हैं। इसके बारे में, सभापति महोदय, आपके जरिये मैं माननीय मन्त्री को निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की गड़बड़ियां चलती हैं, इसके लिये व्यवस्था होनी चाहिये।

अभी तीन–तीन सालों से जो लोग काश्तकारी करते हैं और आबाद हैं उनके भी नाम गश्त गिरदावरी में गलत हैं जो हासिल लेते वक्त भी कोई रेकार्ड नहीं। अभी नमूने के तौर पर बेजड़ गांव है उसकी सारी की सारी १॥ हजार बीघा जमीन दे दी गई है। वे काश्तकार करीबन १५ वर्षों से काश्त करते आ रहे हैं और जागीरदारों के समय से वे लगान देते आ रहे हैं। ऐसी जमीनें हैं जिसकी तरफ तहसील और स्टाफ की तरफ से कोई दिलचस्पी नहीं है और इस वर्ष जो जल्दी के बारे में मैंने आपसे फर्माया था कि वह गलती कैसे हुई। वह इसलिये हुई कि अगर गांव अकाल ग्रस्त घोषित हो जावेंगे तो पटवारियों को खतौनी लिखनी पड़ेगी। इसको टालने के लिये यह किया गया है। उनको यह मालूम नहीं कि उससे काश्तकारों को क्या नुकसान हुआ? इसकी वजह से वहां पर कोई रिलीफ वर्क्स या रेमिशन देने का कार्य चालू नहीं है। इसलिये गलती करते हैं। इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा मेरा कट मोशन काश्तकारों को खातेदारी राइट्स देने के लिये है। कई काश्तकार लोग आज १५ वर्षों से गैर खातेदार चले आ रहे हैं। उनको पूर्णरूप से खातेदारी राइट्स नहीं दिये गये हैं। इसके बारे में मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं ताकि इसके बारे में भी वे व्यवस्था करें। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री रावतराम।

श्री रावतराम (चुरू-सु०) : सभापति महोदय, मेरा इस मांग पर एक कटौती का प्रस्ताव नम्बरदारी एवं चौधर प्रथा को समाप्त करने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने पर बहस करने के सम्बन्ध में है।

सभापति महोदय, यह नम्बरदारी और चौधर प्रथा काफी अर्से से चली आ रही

(श्री रावतराम)

है और इस प्रथा का उस समय में कोई महत्व हो सकता था, लेकिन अब इस समय में सरकार को कोई फायदा नहीं है; न कोई इससे पब्लिक को फायदा है। कुछ अर्से पहले यह मामला सरकार के सामने विचाराधीन था कि इस प्रथा को समाप्त किया जावे, लेकिन काफी अर्सा निकल गया अभी तक सरकार ने इसे समाप्त नहीं की है और मेरे ख्याल से अभी इस पर कोई विचार भी नहीं किया है। उस जमाने में जब राजाओं के राज्य थे और गांवों में जागीरदार लगान वसूल करते थे उस समय उनको इसकी जरूरत थी कि दो चौधरी गांव में ऐसे होने चाहिये जो लगान वसूली में उनकी मदद करें। इसलिये उनको ये प्रोत्साहन देते थे। इसके बदले में वे उनको जमीन देते थे और लगान में भी छूट देते थे। लेकिन धीरे धीरे जब जागीरदारी प्रथा समाप्त की गई तो इसके साथ साथ सरकार ने भी जैसा लगान वसूली का कार्य पहले किया जाता था वही तरीका रखा और चौधरियों को वैसा के वैसा ही कायम रखा। यह थोड़ा बहुत देखा जाता है कि कौन लोग हैं जिनका ज्यादा गांव में असर पड़ता है। जिसका ज्यादा गांव में प्रभाव होता है उसको चौधरी मुकर्रर करते हैं। यह सारी बातें सरकार ने देखी है। लेकिन उनके पास कोई हिसाब नहीं था। इसलिये गांव के लोगों से सरकार ने जानकारी की कि पहले लगान की वसूली कौन करता था और पहले राजा लोग किसके द्वारा लगान वसूल कराते थे। ऐसे लोगों से लगान वसूली का कार्य कराया गया। उसका नतीजा यह हुआ की पार्टी बाजी हो गई और सारे के सारे लोग चौधरी बनने के लिये राज्य की तरफ दौड़े। एक ने कहा कि हम चौधरी हैं और दूसरे ने कहा की मैं हूं। इससे यह हुआ कि लगान वसूल हुआ और गांवों में आपस में झगड़े–फिसाद बहुत हुए और किसानों को काफी तकलीफ हुई और आये दिन हम यह सुनते हैं कि १५ या २० आदमियों को लेकर एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं और आपस में झगड़े करते हैं। इस तरह से कई झगड़े आपस में हुए हैं। इसलिये मेरा कटौती का प्रस्ताव है और मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस कटौती के प्रस्ताव द्वारा आकर्षित करना चाहता हूं कि गांवों में इसके लिये चौधरी की कोई जरूरत नहीं है। मैं यह कहूंगा कि जो पर्सेन्ट चौधरी या नम्बरदारों को लगान वसूली में दिया जाता है वह अगर पंचायतों को दिया जावे तो वे लगान वसूल कर देंगी और अच्छी तरह से काम होगा और पंचायतों की आय भी बढ़ेगी। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि उनको दूर किया जावे और उसके बदले में जो कुछ चौधरियों को उसके लिये मिलता है वह पंचायतों को मिले। इससे एक तरफ पंचायतों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी और दूसरी तरफ चौधरियों के मामलों में जो झगड़े आये दिन होते हैं वे भी ठीक हो जावेंगे। इसलिये माननीय मन्त्री इस प्रथा को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश करेंगे और आश्वासन देंगे। यही मेरा कट मोशन है और मैंने आपके द्वारा निवेदन किया है कि इस प्रथा को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जावे।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह।

Page No.90

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, इस मांग के सम्बन्ध में मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। एक प्रस्ताव जिसका सम्बन्ध भूतपूर्व जागीरदारों के जमाने में खुदकाश्त की भूमि एलॉटमेंट में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन के विपरीत की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में है। सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने यह प्रस्ताव किया है।

सभापति महोदय, इस सदन को याद होगा, जिस समय राजस्थान में जागीरदारी पुनर्ग्रहण का कानून बनने लगा था और उसके भूमि कर में सरकार की ओर से तैयारी की जाने लगी थी उस समय इस बात की आवश्यकता महसूस की गई थी कि जिन जागीरदारों को जागीरें इस कानून के अन्तर्गत ली जावेंगी उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिये। कानून के अन्तर्गत हमने उनको रिहेबिलिटेट करने की बात स्वीकार की और इसलिये हमने रिहेबिलिटेशन एलाउन्स, रिहेबिलिटेशन के नाम पर कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था की और साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की कि यह काश्त की भूमि में देना चाहिये। उस सम्बन्ध में खुदकाश्त के लिये एन्क्वायरी कमेटी को एपॉइन्ट किया। उस खुदकाश्त कमेटी ने सरकार के सामने सुझाव रखा और उन सुझावों के आधार पर हमारी सरकार ने उसके पश्चात् राजस्थान में जागीरदारों की प्रतिनिधि सभाएँ हैं, जैसे राजस्थान क्षत्रीय महासभा या भूस्वामी संघ उनसे विचार–विमर्ष करके निर्णय लिया है और उस निर्णय के आधार पर सरकार ने यह निश्चय किया था कि जिन जागीरदारों की जागीरों का पुनर्ग्रहण होता है और जिनके पास काश्त की भूमि नहीं है ऐसे जागीरदारों को या तो जागीर एरिया में पड़त भूमि मिल जाय या ऐसी भूमि जिन पर किसानों का अधिकार नहीं है वह भूमि उन जागीरदारों को खुदकाश्त के रूप में अलॉट कर दी जाय और साथ ही साथ यह भी आश्वासन दिया गया था कि राजस्थान में जिस जागीर क्षेत्र में पुनर्ग्रहण हो रहा है उस क्षेत्र में भूमि नहीं मिलती है और यदि राजस्थान के बाकी जिलों में भूमि मिलती है तो उनको ऐसे जागीरदारों को अलॉट कर दिया जाय और उसके उपरान्त यह भी व्यवस्था की गई थी कि राजस्थान के अन्य जिलों में यदि इस प्रकार की भूमि उपलब्ध नहीं है तो उनको गंगानगर जिले में या भाखरा क्षेत्र में या राजस्थान केनाल में आने वाली भूमि उन लोगों को अलॉट कर दी जाय। कुछ दिनों बाद जब इस प्रकार का अलॉटमेन्ट शुरू होने वाला था तो राजस्थान में एक भूस्वामी आन्दोलन शुरु किया गया था। जब भूस्वामी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ था तो सरकार को कई चिन्ताएं हुईं और उस आन्दोलन के कारण सरकार ने यह निश्चय किया कि इस आन्दोलन को किस प्रकार से कुचला जाय। इस प्रकार से उस आन्दोलन को कुचलने की बात हुई तो राजस्थान सरकार ने उनको आश्वासन दिया, सरकार की ओर से सर्कुलर इश्यू किया गया और सरकार की ओर से लिखित आश्वासन भी उन जागीरदारों को दिया गया कि राजस्थान केनाल और भाखरा क्षेत्र में यदि यहां के जागीरदार जाकर भूमि प्राप्त करना चाहें तो उनको इस प्रकार की भूमि दी जा सकती है।

सभापति महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी को याद होगा कि जिस समय आन्दोलन चल रहा था उस समय यहां के लोगों को वहां

(श्री भैरोंसिंह)

पर भेजा, इस कारण उनको गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में भेजा कि अपनी भूमि के हिस्से में वे खुद काश्त को भूमि अलॉट करा लें। उन जागीरदारों को वहां पर मुरब्बा जमीन कितनी अलाट की जा सकती है? उन लोगों ने अपनी संख्या दी। परिवारों की संख्या देकर जितनी भूमि आनी चाहिये थी उसके अनुपात में जितनी भूमि उनको वहां मिलनी चाहिये थी उस अनुपात में उन लोगों ने दरख्वास्तें दीं। हमारी सरकार ने तहसीलदारों को भेजा, एस. डी. ओज. को भेजा और कलेक्टर को भेजा। रेवेन्यू एजेन्सीज़ हो सकती हैं उनको भेजा, और इसलिए कि उन सबसे तस्दीक करवाये कि अमुक व्यक्ति को कितनी जमीन कानून के अनुसार या खुद–काश्त के नियम जो सरकार ने बनाये उनके अनुसार मिलनी चाहिये और जब इन्क्वायरी हो गई तो उन लोगों को जमीन अलॉट की।

आप सब जानते हैं, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं और सदन के वे माननीय सदस्य जिन्होंने गंगानगर क्षेत्र का दौरा किया है वे भी जानते हैं कि जो मुरब्बा जमीन अलॉट की गई थी उसमें काश्त नहीं होती थी, उनमें पानी नहीं गया था, वहां रहने वाले लोग भी नहीं थे, राजस्थान का विकास करने की दृष्टि से, सरकार के आश्वासन के ऊपर कि वहां पर नहर का पानी आवेगा, वह क्षेत्र हरा भरा होगा, भाखरा से सिंचाई होगी, उनको वे मुरब्बे दिये जावेंगे, इस आश्वासन को देकर, किसी को दो मुरब्बा दिया गया, किसी को चार मुरब्बा दिया गया और किसी को एक मुरब्बा दिया गया और बाकी की भूमि कम थी, एक मुरब्बे में चार–चार, पांच–पांच आदमियों को हिस्सेदार बनाकर उन लोगों को वहां पर जमीन अलॉट की। अब कुछ दिनों से चल कर सरकार ने किस कानून के अन्तर्गत, किस व्यवस्था के अन्तर्गत उसके विपरीत आचरण करने की चेष्टा की? जगह जगह सरकार जागीरदारों को नोटिस दे रही है कि तुमको तीन मुरब्बा भूमि अलॉट की थी वह टेम्पोरेरी बेसिस पर की गई थी। कोई प्रमाण–पत्र राज्य सरकार पेश कर दे, जिसमें ऐसा लिखा हुआ हो कि तुमको इतना मुरब्बा जमीन अलॉट की थी वह टेम्पोरेरी बेसिस पर की गई थी। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जिन जागीरदारों ने जंगल काटे, जिन जागीरदारों ने जमीनों में से डंठल निकाले, उस पड़त जमीन को उपजाऊ बनाये जाने के लिए जो कुछ भी उनके पास बची हुई पूंजी थी उन्होंने उसको उसमें खर्च किया, इस विश्वास के साथ कि जब जिस समय इसका डेवलपमेन्ट होगा, यह काबिल काश्त जब हो जायगी, जब इसकी पैदावार बढ़नी शुरु हो जायगी, हमारी सरकार यह कह कर कि यह सारा अलॉटमेन्ट टेम्पोरेरी बेसिस पर किया गया था, तीन मुरब्बा या दो मुरब्बा जमीन सरकार किसी व्यक्ति के पास नहीं रहने देगी। यदि उसके पास दो मुरब्बा या तीन मुरब्बा जमीन है, सरकार अपनी इच्छा के अनुसार जितनी जमीन छोड़ना चाहेगी छोड़ेगी; तो मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि केवल जागीरदार ही नहीं किसी व्यक्ति को भी यदि इस प्रकार का आश्वासन दे दिया जाय और वह उस भूमि का डेवलपमेन्ट करे, उसको काबिल काश्त बनाये, उस कारण से कि मेरे राइट्स एक्रू हो गये हैं, काश्त करूंगा इसकी सिक्योरिटी है और वह उस आधार पर उस पर इन्वेस्टमेन्ट करता है। अब सरकार यह कहे कि लोगों ने जमीन उस

(श्री भैरोंसिंह)

समय ली थी, उसको सरकार ने टेम्पोरेरी बेसिस पर ही माना था, कम्पलेन्ट नहीं की थी, जमीन देने में किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है।

मैं मानता हूँ, गंगानगर जिले की राजनैतिक समस्यायें हैं। उसमें उन जागीरदारों ने जाकर प्रवेश किया, जिससे गंगानगर डिविज़न के लोग ऐसा कुछ समझने लगे कि फॉरेन पोलिटिकल एलीमेंट हमारी पोलिटिक्स में इन्फिल्ट्रेट करके डिस्टर्ब करना चाहते हैं और उनके दिमाग में यह भावना आयी कि वे इस प्रकार की चेष्टा करना शुरू करें कि जिससे वे जागीरदार वापिस अपनी जगहों से उखड़ जाय। घर बार छोड़ कर गंगानगर जिले से वे किसी तरह से उखड़ जांय और उनको उखाड़ने की तैयारी भी उन्होंने कर दी है। सरकार ने भी उसका समर्थन कर दिया है। सरकार की ओर से सब जागीरदारों को यह नोटिस मिला कि तुम्हारे पास दो मुरब्बा जमीन है, तुमको दो मुरब्बा जमीन नहीं मिलेगी, किसी को यह नोटिस मिला कि तुम्हारे पास एक मुरब्बा जमीन है, उस एक मुरब्बा जमीन में पांच व्यक्ति आ सकते हैं। किसी को कह दिया कि औरत के नाम पर जो जमीन ली गई है वह अब नहीं रहेगी।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार यह कहे कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दीजिये, राजस्थान के बाकी हिस्से से किसी ने बचने के लिए अपने लड़के के नाम से जमीन रख छोड़ी है, किसी ने अपनी औरत के नाम से जमीन रख छोड़ी है, किसी ने अपनी लड़की के नाम से जमीन रख छोड़ी है, किसी ने अपने पिता के नाम से जमीन रख छोड़ी है, पूरे राजस्थान में इस प्रकार की समस्या है। उसको केवल जागीरदारों पर ही लागू करना चाहते हैं और ऐसे जागीरदारों के ऊपर आप लागू करना चाहते हैं जिनको रिहेबिलिटेट करने के लिए जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ली है और जिनको रिहेबिलिटेट करने जा रहे हैं। सरकार उनके पास जमीन ज्यादा है इसलिए लेना चाहती है तो सरकार के सामने सीलिंग का कानून है, परिवार की जो परिभाषा है उसने उसमें रखी है, यदि बच्चे के नाम पर जमीन है, अपनी स्त्री के नाम पर जमीन है, वृद्ध के नाम पर जमीन है और वह उस कानून के अन्तर्गत आती है तो निश्चित रूप से उस आदमी को जमीन सीलिंग के कानून के अनुसार छोड़नी होगी। यदि सीलिंग बाकी राजस्थान में लागू न करके उसको केवल उन छोटे २ जागीरदारों पर ही वहां पर लागू किया जाता है तो यह उनके साथ एक विश्वासघात होगा, उनके साथ एक अन्याय होगा जिन्होंने अपने पास जो कुछ बचा था, अपने जेवर को बेच कर विकास के काम में लगाया, जो उसके लिए बरबाद हो गये। माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में यदि वे कोई निर्णय लें तो सीलिंग एक्ट के मातहत सामूहिक रूप से लें, जो उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उसको डिस्टर्ब करने की चेष्टा न करें।....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूँ कि जैसी वे शिकायत कर रहे हैं कि उनको नोटिस मिल गये हैं कि उनको अलॉटमेंट टेम्पोरेरी अलॉटमेंट हुआ था किसी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

एरिया का। अलॉटमेंट खुद-काश्त कमिश्नर ने किया था या किसने किया था? जागीर रिजम्पशन एक्ट के तहत भाखरा केनाल में जो रूल्स हैं अलॉटमेंट के, एक जागीरदारों को जमीन का अलॉटमेंट कितना किया जा सकता है, यह भी उनके ध्यान में है या नहीं?

श्री भैरोंसिह : मेरे सब ध्यान में है। जितने नियम बने हैं उनकी भी जानकारी करने की चेष्टा की है। एक बात सरकार से पूछता हूँ, राजस्व मन्त्रीजी ने तो पूछ लिया कि जितने प्रकार के कानून थे ध्यान में हैं या नहीं, लेकिन एक बात मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जागीरदार, ऐसा कोई भी नाम वे बता दें, सरकार के ऑर्डर के बिना गंगानगर की भूमि के मालिक बन गये? एक का भी नाम बता दें तो मैं मानूंगा कि उन्होंने अनधिकृत रूप से उस पर कब्जा किया और यदि नाम नहीं बता सकते हैं तो आपके कानून का इन्टरप्रिटेशन मेरी गलती से नहीं हो रहा है, सरकार की गलती के कारण से जो इन्टरप्रिटेशन हुआ है उनको नोटिस मिले हैं। एक जागीरदार का भी नाम बता दें कि अनधिकृत रूप से कब्जा किया है तो मैं मानूंगा कि मेरी गलती है। आज कहा जाय, कानून बताया जाय, भाखरा में केनाल अलॉटमेंट रूल्स थे उसको देखने की आज जरूरत नहीं थी, किन्तु जब उनको जमीन अलॉट की गई थी यह तो उस वक्त ही देखने की आवश्यकता थी।

जहां उन लोगों को भूमि अलॉट कर दी गई है उसके बाद रूल्स के इन्टरप्रेट करने की आवश्यकता नहीं। हजारों रुपया जिन लोगों ने इनवेस्ट कर दिया है उस समय जो आपके रूल्स थे उनका इन्टरप्रिटेशन गलत हो सकता है लेकिन उससे यह तो नहीं हो सकता कि आप गरीबों को नुकसान पहुँचायें। सरकार के गलत इन्टरप्रिटेशन के कारण गलत ऑर्डर्स या सर्कुलर्स के कारण जिन लोगों को जमीन दी गई है उनको नुकसान देने का सवाल नहीं। अगर उसमें किसी प्रकार की बोनाफाइड गलती होती है तो जहां उन्होंने इनवेस्टमेंट किया है उसके लिये सरकार उनको दोषी ठहराये यह नहीं हो सकता। सभापति महोदय, हमारी सरकार पिछले तीन वर्षों के अन्दर जो उस समय एजीटेशन चल रहा था और जिन लोगों को भूमि काश्त के लिये दे दी गई जितनी भी एप्लीकेशनें खुदकाश्त कमिश्नर के पास बरसायें खामोशी में पड़ी हैं उनके डिस्पोज़ ऑफ करने के लिये सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये। केवल एजीटेशन को दबाकर, कुछ व्यक्तियों को चुनकर जमीन दी जा सकती है; चाहे उन्हें जागीरदार समझ कर या वांछित लोगों को उस समय प्रलोभन देकर जमीन देने की व्यवस्था की थी और वह भी एजीटेशन के गर्ज से व्यवस्था की थी, नहीं तो सरकार द्वारा जिन लोगों के लिये कानून बनाया है और जिन लोगों की जागीरें ले ली गईं उन लोगों के पास आज खाने के लिये अनाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी जमीन देने की व्यवस्था की जाय, ऐसी व्यवस्था हमें करनी होगी।

जिस तरह से फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, जागीरदारों के लिये कुछ जमीन रिज़र्व की गई है लेकिन उस रिजर्वेशन से न हरिजनों को फायदा हो सकता

(श्री भैरोंसिंह)

है और न उस जमीन को जागीरदार ही डिजर्व करते हैं। इस प्रकार की जमीन तो न मालूम किन लोगों को मिलेगी और रिजर्वेशन किस प्रकार किया गया है और वह किस समय काम आने वाली है इस बारे में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने इस प्रकार का हुक्म दिया उसको बदल दिया होगा, जिस समय जागीरों का रिज़म्प्शन हुआ था उस समय सरकार द्वारा आश्वासन दिलाया गया था कि जितने भी छोटे जागीरदार हैं जिनका मुआवजा पांच हजार से कम है उन व्यक्तियों का लगान अपनी खुदकाश्त की जमीन का जिस समय तक उनको मुआवजा न मिल जाय नहीं देना पड़ेगा। इस प्रकार से सरकार द्वारा सर्कुलर निकला कि जो जागीरदार मुआवजा लेना चाहें ले लें। उस मुआवजे के अनुकूल लगान होता है तो उस लगान की बनौती उसमें से हो जायगी। इस प्रकार के फॉर्म्स छपवा कर गांवों में बांटे गये। कई लोगों ने उस बारे में दरख्वास्तें भी दी होंगी। लेकिन आज उनके सामने एक स्थिति पैदा हो गई है वह स्थिति यह है कि अभी अभी आपके विभाग से एक सर्कुलर निकला है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जिन लोगों को अन्तरिम मुआवजा मिला है जिनके मुआवजे के क्लेम्स फाइनल हो गये हैं उन लोगों से लगान की वसूली ब्याज सहित कर ली जाय।

सभापति महोदय, जिस समय सरकार द्वारा यह विश्वास दिलाया गया था उस समय ब्याज का कोई प्रश्न नहीं था और जिनको मुआवजा मिल जायगा बॉन्ड्स के रूप में पेमेंट हो जायगा उसमें से लगान वसूल कर लिया जाय। मैं खुद ही जो ढाई–तीन रुपया सालाना लगान देता हूँ वह सरकार के इस विश्वास पर कि बॉन्ड्स जिस समय दिये जायेंगे उस समय ले लिया जायगा। उस समय ब्याज का कोई सवाल नहीं था उस समय यह बात नहीं थी। हर साल ढाई तीन रुपया जमा करा दिया करता था। इस प्रकार से जो छोटे लगान देने वाले व्यक्ति हैं उन सब व्यक्तियों को विश्वास दिलाया गया था बिना ब्याज के जिस समय बॉन्ड्स मिल जायेंगे एक मुश्त रकम जमा कर ली जायगी। जब तक अन्तरिम मुआवजा नहीं लिया गया रकम वसूल न की जाय। इस प्रकार का जो सर्कुलर इश्यू हुआ है उसकी आड़ लेकर सब तहसीलों में तहसीलदार कुर्कियां ला रहे हैं; किसी के अनाज के ढेर पर कब्जा करके उनसे लगान लेने की चेष्टा कर रहे हैं, इस तरह की भीषण समस्या लोगों के सामने पैदा कर दी है। लोगों को मुआवजे का पैसा नहीं मिला, सन् ५५ में जागीरदारियां खत्म हो गईं, उसके इतने साल बाद अभी तक मुआवजा नहीं मिला और अब सरकार उन सारे सालों का लगान वसूल करना चाहती है और वह भी ब्याज सहित। सभापति महोदय, इसलिये मेरा राजस्व मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि जो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है उससे जनता का, खास तौर से किसानों का बड़ा नुकसान हो रहा है, इससे वे मुक्ति दिलायेंगे। सरकार का बकाया लगान किसी भी हालत में रह नहीं सकता। बॉन्ड्स के समय भी वह मिल सकता है। अगर उस समय भी नहीं मिलता है तो सरकार के बहुत लम्बे हाथ हैं, वह किसी भी समय कुर्की लाकर सरकारी बकाया को वसूल कर सकती है। उसका लगान कहीं जा नहीं सकता, किसी

(श्री भैरोंसिंह)

भी समय वह वसूल किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में ज्यादा न कह कर राजस्व मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा अभी जो सरकार ने सर्कुलर निकाला है जिसमें 'मुआवजा' शब्द आया है उसको स्पष्ट कर दे, जब तक बॉन्ड्स न मिलें लगान वसूल नहीं किया जाय।

इसके अलावा सभापति महोदय, दूसरे माननीय सदस्यों ने जो कट मोशन्स रखे हैं उनमें से एक का समर्थन करता हुआ इतना कहूँगा कि सदन में जो पटवारियों की आलोचना हुई उस बारे में तो मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन सरकार से यह जरूर कहना चाहता हूँ कि राजस्थान का पटवारी वर्ग ऐसा वर्ग है जिसके पास रेवेन्यू रेकॉर्ड सारे रेवेन्यू की वसूली, राजस्थान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के फूड प्रोडक्शन के आंकड़े राजस्थान के भूमि सम्बन्धी सभी कानूनों का पालन केवल पटवारी को करना पड़ता है, तहसीलदार नहीं करता, और कोई नहीं करता; ये सब चीजें पटवारी को करनी पड़ती हैं और डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं वे भी पटवारी की मार्फत होते हैं। पंचायत समिति में जो काम होता है वह पटवारी के मार्फत होता है। इस तरह से जहां पटवारी अपने कामों से ओवर बर्डन्ड है वहां उनको सब काम समय पर करने पड़ते हैं, लेकिन जहां उनका हम वेतन देखते हैं तो राजस्थान का पटवारी वर्ग राज्य के अन्य कर्मचारियों से बहुत लो पेड है। उसको ५०–६० रुपये देकर हम उनसे यह चाहें कि वह पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जितने भी काम हैं उनको करे और ईमानदारी से करे। जहां आप चाहते हैं कि वे ईमानदारी से कार्य करें वहां आपको भी चाहिये कि ईमानदारी से उनको उनके काम का वेतन दें, और भी सहूलियतें दें ताकि वे अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकें। आज हम देखते है कि बाकी के अन्य कर्मचारियों को जितनी सुविधायें हैं वे भी सुविधाएं इन पटवारियों को प्राप्त नहीं हैं। मैं राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज से तीन साल पहले फुलेरा के अन्दर राजस्थान के पटवारियों का एक सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता था उस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए माननीय राजस्व मंत्री ने पटवारियों को यह आश्वासन दिया था कि उनकी जो मांगे है उनके बारे में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायगा। लेकिन अभी तक सरकार उनके प्रति अपनी सिम्पेथी को इम्पलीमेंट नहीं कर पाई है। सरकार अगर यह चाहती है कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को जो पटवारी मशीनरी है उसको सुदृढ़ बनाया जाय इसको ईमानदार बनाया जाये तो उसी हिसाब से उनका वेतन निर्धारित करना होगा।

सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक कट मोशन रखा था और उसके द्वारा सरकार से मांग की थी कि लैंड कमीशन अपॉइन्ट किया जाय इस बारे में भी मैं दो तीन शब्दों में अर्ज करना चाहूँगा। यह बड़ा अहम मसला है। राजस्थान के भूमि सम्बन्धी जितने भी प्रोग्रेसिव लॉज़ है लैंड रिफॉर्म्स हमने लागू किये हैं उनके अन्तर्गत जो नियमादि हैं उनका पालन हम करवाना चाहते हैं, जो कि आज सब के लिये एक मुश्किल समस्या बनी हुई है। न उनको काश्तकार ही समझते हैं और न आपका

(श्री भैरोंसिंह)

अधिकारी वर्ग। वैसी हालत में उनको समझने वाली सरकारी एजेन्सी की आवश्यकता है। आज कलेक्टर नहीं समझ पाता, एस. डी. ओ. समझ नहीं पाता; हरएक कानून को अलग अलग इन्टरप्रेट करते हैं। जंगल से लकड़ी काटने के बारे में कहीं तो इजाजत मिल जाती है कहीं पर सरपंच परमिट दे देता है और कहीं पर बिल्कुल भी लकड़ी काटने नहीं देते। इसी प्रकार से रेवेन्यू सम्बन्धी मसले हैं। इस बारे में न अधिकारी स्पष्ट हैं और न किसान। इसलिये मैं सरकार से यह मांग करता हूं जैसा कि सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा एक लैंड कमीशन की नियुक्ति की जाय; मैं भी चाहता हूं कि उनका कहना उचित है और लैंड कमीशन की नियुक्ति होनी चाहिये जो सारी चीजों को इम्पलीमेंट कराने के बारे में प्रत्यक्ष जो भी मुश्किलातें आदि हैं उनका अनुभव करते हुए किस प्रकार से इनको इम्पलीमेंट किया जा सकता है, इस बारे में सुझाव देंगे। इस सम्बन्धी जितने भी नियम–उपनियम आदि हैं, उनके बारे में वह सरकार को सलाह दे सकता है; इसलिये आवश्यक है कि हमारे यहां लैंड कमीशन की नियुक्ति की जाय।

अन्त में सभापति महोदय, एक कट मोशन जिसका सम्बन्ध सम्पूर्ण राजस्थान से है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। १९५२ से लेकर आज तक की विधान सभा की प्रोसीडिंग्ज़ देख ली जावे। तो सरकारी पक्ष की ओर से और विरोधी पक्ष की ओर से हमेशा एक एक बात कही जाती रही है कि इस समय लगान ज्यादा है, कम किया जावे और जिस समय लगान कम–ज्यादा करने का प्रश्न आता था हमारी सरकार की ओर से आश्वासन दिया जाता रहा कि जल्दी ही अलग अलग किस्मों के लगान को मिटाकर जिस प्रकार की भूमि राजस्थान के चाहे किसी भी हिस्से में हो उस भूमि पर एक सा लगान लगाने की व्यवस्था करेंगे। सेटलमेंट, रिसेटलमेंट, समरी सेटलमेंट भी हुआ और उनके साथ-साथ जितने कानून बने हमारी सरकार की ओर से इस प्रकार का विश्वास दिलाने की चेष्टा की गई कि कुछ समय बाद यह होगा; समेरी सेटलमेंट सम्पूर्ण होने के बाद होगा।

मैं समझता हूं कि इस समय प्रायः सारा सेटलमेंट का काम समाप्त हो गया है। जहां इस प्रकार का सेटलमेंट समाप्त हो गया वहां मुख्य प्रश्न पैदा होता है कि यदि जयपुर के एक इलाके में ६) रु. लगान का है, तो दूसरी जगह आपकी केटेगरी के अनुसार १) रु. नहीं हो सकता। या तो वहां भी वही ६) रु. होगा या १) रु. होगा। इस स्थिति में राजस्थान में रेट्स के वेरिएशन को दूर करने के लिये पूरे राजस्थान की भूमि को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिये और प्रत्येक के लिये एक सी रेट निर्धारित करनी चाहिये ताकि उसी के आधार पर सम्पूर्ण राजस्थान में वे रेटें लागू की जाकर लगान वसूल किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी भी जिले में राजनैतिक आधार पर फायदा उठाया जा सकता है। झूंझुनू जिले में उसी लगान को जीवित रखा जा सकता है, विशेष पर्पज़ के लिये, किसी जिले में ज्यादा है तो किसी पर्पज़ के लिये कम किया जा सकता है। दोनों में भेदभाव बरता जा सकता है और

(श्री भैरोंसिंह)

दोनों को आगे जाकर राजनैतिक लाभ उठाने की दृष्टि से भी कम या अधिक किया जा सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सारे काम को अपने हाथ में न रखकर सरकार को घोषणा करनी चाहिये कि राजस्थान की पूरी जमीन को अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड करके यूनीफाइड लगान की रेट सारे राजस्थान में एक सी लागू की जा सकेगी ताकि किसानों को शिकायत न रहे। यह मांग बिल्कुल उचित है और इन सारी मांगों के सम्बन्ध में जो विचार उपस्थित किये हैं राजस्व मन्त्री को चाहिये वे अपने डिपार्टमेंट से कन्सीडर करके सरकारी पक्ष को सदन में रखकर काश्तकारों को राहत दिलाने की चेष्टा करें।

श्री सभापति : Hon'ble Minister to reply.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : सभापति महोदय, इस मांग पर....

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : थोड़ा हमें और बोलने का अवसर दीजिये।

श्री सभापति : I think the Hon'ble Minister will take at least one hour.

श्री दयाकृष्ण विजय : अभी दस मिनट और हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास : जितने कट मोशन्स पेश किये हैं....

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं निवेदन करूंगा कि काफी समय है अभी....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : वह तो ठीक है, पर रेवेन्यू मिनिस्टर साहब आधे घण्टे में जवाब देकर बैठ जावेंगे।

श्री सभापति : In view of the large number of cut motions, the Hon'ble Minister will require at least one hour to reply. Then the cut motions are to be put to vote also. He has commenced his reply.

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा था कि यहां माननीय सदस्यों ने कुछ खास मुद्दों पर अपने विचार प्रकट किये हैं।

सब से पहले मैं, खास तौर से, लैण्ड पॉलिसी पर कुछ बातें बताना चाहूँगा। कुछ माननीय सदस्यों ने पटवारी वर्ग को लेकर यह बताने की कोशिश की है कि अलॉटमेंट जितने होते हैं उनमें इनके द्वारा बड़ी अनियमितताएं और गड़बड़ियां होती हैं और अलॉटमेंट भी इस तरह सही आदमी को नहीं होता। लैण्डलेस को नहीं होता, दूसरों को हो जाता है। मैं इसको डिस्प्यूट नहीं करता। हो सकता है किसी जगह गड़बड़ी हुई हो, पर अलॉटमेंट की नीति की बारीकी को अगर आप गौर से देखेंगे तो पता लगेगा कि उसमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बशर्ते कि हमारी अलॉटमेंट कमेटी के मेम्बर वक्त पर पहुंच जावें, सतर्क रहें और अगर अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के साथ अदा करने की कोशिश करें तो कोई वजह नहीं कि सारा काम अलॉटमेंट का सही और ठीक ठीक न हो। सदन के माननीय सदस्य उन अलॉटमेंट

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कमेटियों के सदस्य होते हैं, सरपंच, प्रधान और प्रमुख उसके सदस्य हैं, बी० डी० ओ० और तहसीलदार उसके सदस्य हैं। फिर एक कायदा बना हुआ है। दफ्तर में बैठकर कोई अलॉटमेंट नहीं किया जाता, गांव की पंचायत हैड क्वार्टर में सारी कमेटी पब्लिक मीटिंग में मजमे आम में बैठकर जितनी जमीन अवेलेबल है उसकी पहले लिस्ट लगा दी जाती है और उसके लिये जितनी दरख्वास्तें आती हैं उन सबको सरे आम पब्लिक मीटिंग में पढ़कर सुनाया जाता है। फिर मजमे आम से ही ऐतराज मांगे जाते हैं। जिस किसी को शिकायत हो कि अमुक लैंडलेस नहीं है उसे क्यों दी जाती है, अमुक जमीन इतनी है, अमुक के पास तो जमीन है, इतनी है, तो इन सारी बातों को सुन कर उनका फैसला भी वहीं किया जाता है। तो मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर माननीय सदस्य इस सारे मामले में हर वक्त अलॉटमेंट के पहुंच कर ध्यान रक्खें तो कोई गुंजाइश गड़बड़ी की नहीं हो सकती है। हो सकता है या तो माननीय सदस्य अलॉटमेन्ट के वक्त पहुँचते नहीं होंगे या जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि उनको सूचना नहीं मिलती, यह ठीक होगा। मैं इसकी जानकारी करूंगा कि तहसीलदार ने कैसे समय पर इतला नहीं दी ? जब जब मुझे इस तरह की बातें मालूम हुई हैं मैंने फौरन एक्शन लिया है। इसमें भी लूंगा और आगे भी कोई शिकायत इस तरह की आई तो एक्शन लूंगा। तो जितने भी मेम्बर इस कमेटी के हैं वे अगर सतर्क रहें तो यह गड़बड़ी नहीं हो सकती।

मैं सुनते वक्त यह सोच रहा था कि जो प्रोसीजर इसका है उसमें कोई नया सुझाव आवे तो उससे इसमें इनकॉर्पोरेट कर लूं। पर ऐसा कोई सुझाव नहीं आया। अब भी कोई माननीय सदस्य सुझाव और फूल प्रूफ बनाने का दे तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

अब रहा सवाल यह कि कोई आदमी, हो सकता है आप, अपने भाई, खानदान मुश्तरका का मेम्बर हो तो उसके किसी सदस्य के नाम पर अलॉटमेन्ट ले ले। वह बात तो ऐसी है कि बहरहाल किसी गांव में कोई भी सही बात कहने वाला होगा तो यह बात भी नहीं चल सकेगी। इसमें पटवारी तो कोई मिस-चीफ कर नहीं सकता।

दूसरी बात चरागाह के लिये कही गई। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि रूल्स स्पष्ट हैं इस बारे में भी कि अलॉटमेन्ट करने से पहले गायों का चरागाह जहां नहीं है वहां जमीन पहले इसके लिये निकाल ली जावे।

इसके साथ साथ कुछ माननीय सदस्यों ने शिड्यूल्ड कॉस्टस और ट्राइब्स के अलाटमेन्ट के लिये शिकायत की कि रिज़र्वेशन का उनको सही तौर से फायदा नहीं मिलता। इसमें यह है कि २५ पर्सेन्ट कम से कम हरिजनों को मिलनी चाहिये। इसका यह मतलब नहीं कि उससे अधिक नहीं मिल सकती। अगर किसी तहसीलदार के दिमाग में इस तरह की गलत–फहमी है तो इसे मेरे नोटिस में लाया जाय। पर आज भी किसी ने इस तरह की डिटेल्ज़ नहीं बताई। इस तरह की गलतफहमी होने की कोई गुंजाइश नहीं है, २५ पर्सेन्ट कम से कम तो होनी ही चाहिये।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अब रहा सवाल कि हरिजनों को खराब जमीन अलॉट होती है, तो मैं बहुत अदब से अर्ज करूंगा कि जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हैं जो कि ज्यादातर जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही ऐसी कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हैं जो कि ज्यादातर हरिजनों की हैं, तो यह कहना कि हरिजनों को जमीन नहीं मिलती यह वाजिब नहीं है। मेरे पास फीगर्स तो नहीं हैं कि हरिजनों को एक्सक्लुज़िवली कितनी ज़मीन मिली है लेकिन मैं कुछ ही दिनों में आंकड़े इकठे करके माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए रख सकूंगा कि पिछले तीन चार सालों में, जब से यह कानून बना है, जो अलॉटमेन्टस हुए हैं, उनमें हरिजन एक्सक्लुजिवली कितनों को एलॉट हुई और कितनी दूसरों को....

श्री रामचन्द्र (डग–मु): उसकी अपेक्षा १० पर्सेन्ट को भी नहीं मिली है।

श्री दामोदरलाल व्यास ; मैं आपके कहने को डिस्प्यूट नहीं कर सकता । मैं कह रहा हूँ कि आपकी सूचना के लिए ऐसे फीगर्स दे सकूंगा कि एक्सक्लुजिवली हरिजनों को कितनी जमीन अलॉट हुई है । आपके पास माननीय सदस्य बैठे हैं वे बता सकेंगे कि कितने हरिजनों को अलॉट हुई है। आपके बराबर में बैठे हैं इनसे ही पूछ लीजिए....

श्री भैरोंसिंह : वह आपका टोंक का डिस्ट्रिक्ट है।

श्री दामोदरलाल व्यास : वे अलॉटमेन्ट कमेटी में जाते हैं, इन्टरेस्ट लेते हैं। तो मेरा अर्ज करना यह है कि यह तो इन्डीविजुअल दिलचस्पी की बात है कि कौन दिलचस्पी रखता है, यह उसके ऊपर निर्भर करता है।

दूसरी बात खास तौर से श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, उसके लिए पहले इसलिए कहना चाहूँगा कि वह बहुत अहम मसला है और जितनी फिक्र उनको है उतनी ही मुझे भी है कि कहीं किसी प्रकार की दिक्कत किसी जागीरदार को नहीं होनी चाहिए । परन्तु मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं उनकी बात को बिल्कुल नहीं समझ पाया हूँ कि उनके कहने का मतलब क्या है ? ३ मुरब्बा जमीन किसको मिल गई है जो टेम्पोरेरी है ? यह मामला पहली मर्तबा मैंने सुना है, वर्ना ऐसी शिकायत मेरे पास नहीं आई है। सवाल यह है कि अगर इस प्रकार की कोई शिकायत है तो यह हो सकता है कि वहां पर जागीरदार गये हों और उनको टेम्पोरेरी अलॉटमेन्ट वहां पर हो गया हो क्योंकि पर्मानेन्ट अलॉटमेन्ट के लिए जागीरदारों के लिए जो रूल्स बने हुए हैं उनमें तीन चार मुरब्बा देने का रूल ही नहीं है। जब ऐसा रूल ही नहीं है और वह भी उनके एलॉटमेंट करने का अधिकार खुद काश्त कमिश्नर को है और जब ऐसा है तो आपको नहीं भूलना चाहिए कि भाखरा के कोलोनाइजेशन एरिया के अन्दर एक अलॉटमेन्ट का तरीका है कि जिसमें वहां के लोगों को आरजी अलॉटमेंट होता है और अगर कोई जागीरदार वहां पर चला गया और उसको आरजी अलॉटमेंट कर दिया गया है तो ऐसे तो जितने भी लोग हैं, दस बीस साल से वहां काश्त करने वाले, वे भी बराबर टेम्पोरेरी अलॉटीज हैं और जब पर्मानेन्ट अलॉटमेंट करते हैं तो रूल्स में जितनी लेण्ड कवर होती है उतनी ही लैण्ड

(श्री दामोदरलाल व्यास)

दी जाती है। अगर आपकी मन्शा यह है कि लोकल आथोरिटीज ने उनको अलॉटमेंट किया....

श्री भैंरोसिंह : खुदकाश्त कमिश्नर का अलॉटमेन्ट है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर ऐसा है तो आप मेहरबानी करके मुझे सूचना दें, देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। बहरहाल जो रूल्स हैं अगर उनके मुताबिक नहीं है और आप मुझे बतायेंगे तो वाकयात को मंगाकर मैं कुछ निर्णय ले सकूंगा। बहरहाल अभी मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। दूसरी बात में यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जहां तक खुदकाश्त का सवाल है यह कहना कि खुदकाश्त के लोग वहां गए और उनको जमीन अच्छी नहीं मिली या गये तो पानी नहीं था, तो मैं अर्ज करूंगा, बड़े अदब से, कि आप उन लोगों से पूछ लें जिनको कि जमीन मिली है। भाखरा कोलोनाइजेशन की बेहतरीन जमीन उन लोगों को मिली है और अच्छी से अच्छी पैदावार की जमीन मिली है और हनुमानगढ़....

श्री भैंरोसिंह : जहां नाले में रोजाना बाढ़ आती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो एक टेम्पोरेरी फेज़ था। उसी नाले से एक बीघा में ४० मन पैदावार भी होती है। एक साल बाढ़ आ गई तो इसका मतलब यह थोड़े ही है। जिन लोगों को जमीन नहीं मिली उनसे पूछें कि उनको इसके लिए कितना दर्द हो रहा है? यह बात दूसरी है। आप राजनैतिक दृष्टि से किसी बात को इधर से उधर रखें क्योंकि हर पहलू पर आपका दृष्टिकोण एक बात को लेकर चलता है। आप खुद समझते हैं उन लोगों को और लोग भी आपको खूब समझते हैं, मुझे कोई उज्र नहीं है। मेरा कन्सर्न तो सिर्फ इतना ही है कि गलत तरीके से उनका केस रिप्रेजेन्ट न हो और उनको तकलीफ न हो। मेहरबानी करके आपने बात बताई है। आप मुझे और जानकारी देंगे तो मैं उसे ले लूंगा और उस पर उचित कार्यवाही करूंगा। जहां तक खुदकाश्त का ताल्लुक है मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि यह बात नहीं है कि खुदकाश्त की एप्लीकेशन बस्तेखामोशी में रखी गई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि खुदकाश्त के लिए कुल एप्लीकेशन्स १४६६७ पेश हुई....

श्री भैंरोसिंह : आप तो लास्ट थ्री ईयर्स की बता दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास साल साल का नहीं है। केवल जागीरदारों की बता रहा हूँ।

श्री भैंरोसिंह : वह तो संख्या बहुत ज्यादा हो जायेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : १४,६६७ एप्लीकेन्स पेश हुई उसके अन्दर से अण्डर कन्सीडरेशन १३५० हैं, बाकी सब डिस्पोज़ आफ हो गई। जिनको अलॉटमेन्ट होना था उनको अलॉटमेन्ट हो गया और जिनकी एप्लीकेशन्स रिजेक्ट होने को थीं उनकी रिजेक्ट हो गई। अब रहा सवाल पेंडिंग मैटर का तो उनकी संख्या मैंने बता दी। एक हजार फैमिली के लिए है जिनको राजस्थान कैनाल में अलॉट की जायेगी....

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : उनमें से खारिज कितनी हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह मेरे पास रेकार्ड नहीं है। अगर कोई गलत तरीके से देता है तो खारिज भी होती हैं। आप इसके लिए प्रश्न पूछ लें तो उसका जवाब आ जायेगा। जैसा मैंने कहा कि कैनाल एरिया में उनको अलॉटमेन्ट किया गया है और वह राजस्थान कैनाल में किया गया है। आॅर्डर के जरिये से जागीरदार के हर गांव में इस बात की मुमानियत कर दी गयी है कि जब तक जागीरदार की खुदकाश्त का फैसला नहीं हो जाये तब तक सिवाय चक की जमीन के कोई भी जमीन अलॉट नहीं की जाये। आपने कहा वह सही नहीं है और आपने कहीं वैसे ही उड़ती हुई खबर सुन ली है। खुदकाश्त कमिश्नर केवल अलॉटमेन्ट राजस्थान कैनाल एरिया में करता है और चूंकि जब तक खुदकाश्त जागीरदार की जमीन के बारे में फाइनल नहीं हो जाता तब तक यह अलॉटमेंट बन्द था इसलिए उसने अलॉट नहीं किया बाकी और जगह के अलॉटमेंट का अधिकार डिप्टी कमिश्नर, जागीर, को फुल राइट्स हैं। इसलिए अगर पिछले कुछ दिनों से अलॉटमेन्ट नहीं किया तो वह राजस्थान कैनाल एरिया की जमीन थी जिसका अलॉटमेंट करना पड़ता था....

श्री लक्ष्मीचन्द : डिप्टी कलेक्टर जागीर को ऑर्डर्स कब दे दिए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप नहीं जानते हैं तो महरबानी करके जान लें। मैं डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि उनको पॉवर्स हैं। कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर जागीर को पॉवर्स हैं। उन्होंने अलॉटमेन्ट हजारों और लाखों बीघा कर दिया। इसलिए बस्ते-खामोशी की बात आपकी वाजिब नहीं है। इसी सिलसिले में एक कटौती का प्रस्ताव आपका और है।

(विराम)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : फुलेरा से आने वाले का।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : जयपुर से गाड़ी रवाना होकर फुलेरा ही रुकती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : I will definitely deal with Phulera.

दूसरी बात जागीरदारों के लगान के बारे में है। जागीरदारों के साथ लगान की वसूली में ज्यादती हो रही है। कुछ दिन पहले की एक बात बताई थी कि गवर्नमेन्ट का एक ऑर्डर है कि जागीरदारों से खुदकाश्त का लगान उस समय तक वसूल नहीं किया जाये जब तक कि या तो इन्टेरिम कम्पेन्सेशन की एक किश्त भी न मिले या उसकी स्कीम फाइनेलाइज़ नहीं हो जाये। मतलब इसका यह है कि उसकी पेइंग कैपेसिटी हो जाये। या तो इन्टेरिम कम्पन्सेशन मिल जाये और अगर इन्टेरिम कम्पन्सेशन नहीं मिले और उसका दावा अगर फाइनल हो जाता है तो उसकी कैपेसिटी हो जाती है। आपकी दिक्कत यह थी कि फाइनल तो हो गया लेकिन उसके बाद जब तक उसको बॉण्ड नहीं मिले तब तक उससे वसूली नहीं होनी मेरे ख्याल से इस ऑर्डर के इश्यू होने से उनकी दिक्कत तो रफा हो गई होगी और उसके लिए शिकायत नहीं होनी चाहिए....

श्री भैरोंसिंह : मैं केवल इतना चाहता था कि उसको आप पूरे राजस्थान के लिए लागू कर दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि जहां तक कहीं लैसेज़ हुए हैं और तहसीलदार ने इस तरह से वसूली की है जागीर कमिश्नर ने उसको रोकने की कोशिश बराबर की है। बाड़मेर की तरफ से ऐसी शिकायत आई थी। वहां जागीर कमिश्नर ने उस पर कार्यवाही की है और राजस्थान के लिए यह है कि जब तक उनको बॉण्ड नहीं मिल जायें उस समय तक उनसे वसूली नहीं हो। अब रहा सवाल सूद का। पर वास्तव में मैं समझ नहीं पाया हूं कि सूद से उनकी क्या मन्शा है, मगर मैं जानकारी करूंगा कि सूद का क्या सवाल है? किस तरह से वसूल हुआ है या नहीं? कहां वसूल होता है? यह आप जानते हैं कि लगान वसूली के लिए कानून भी है, रूल्स भी हैं। सूद उन कानूनों के तहत लेते हैं, मगर जहां यह सवाल पैदा होता है जागीरदारी कानून में तो इस बात की छूट दे दी थी कि अमुक समय तक लगान अदा नहीं करें तो मैं समझता हूं कि उस समय तक सूद लेना कहां तक उचित है, उसको देखना पड़ेगा, और मैं माननीय सदस्य को उसकी जानकारी करके कुछ बता सकूंगा कि क्या बात है।

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य इस बात के लिए बड़े आतुर हैं कि फुलेरा की बात बताऊं, लेकिन इसके पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं जिसको एक नहीं कई माननीय सदस्यों ने रेफर किया है कि जमीन की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है। जब सदन ने कानून बना लिया है तो सीलिंग को लागू क्यों नहीं किया है? उसका एनफोर्समेंट क्यों नहीं हुआ है? खास तौर से बीकानेर से आने वाले और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने इस बात को बतलाने की कोशिश की है कि इस कानून को लागू नहीं करने का कारण यह है कि कांग्रेस अपनी कमजोरी महसूस करती है और चुनाव तक राजस्थान में वह लागू नहीं करना चाहती है। लेकिन चीज यह नहीं है। चुनाव के अन्दर हम यह बात कह कर चलेंगे कि अधिकतम सीमा जो निर्धारित की है उसके लिहाज़ से सीलिंग के लॉज़ में जितनी जमीन लेनी है उतनी जमीन लेंगे। उसमें डरने या हिचकिचाने की बात नहीं है। हम इस सिद्धान्त पर हिचकिचाने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। पिछले चुनाव-पत्र में भी हमने कहा था! कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में यह बात आपको मिलेगी और आयन्दा चुनाव के लिए यह नहीं समझा जाय। अगले चुनाव घोषणापत्र में भी यह बात होगी कि अधिकतम सीमा निर्धारित की है उसको लागू करके जमीन लेकर भूमिहीन किसानों को देंगे। इसलिए चुनाव की बात कहना बिल्कुल गलत है। चुनाव की बात लेकर आप अपने चुनाव का प्रोपेगेण्डा करना चाहते हैं। आप इसको ठीक समझ लें कि आपका यह सही तरीका है या नहीं? मगर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कानून लागू नहीं करेंगे, यह बात नहीं है। सरकार की तरफ से किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जा रही है। हम कोशिश बराबर कर रहे हैं। परन्तु माननीय सदस्य यदि चाहें तो यह देख सकते हैं, मैं उनको दिखा सकता हूं कि एक स्पेशल स्टाफ इसके लिए काम कर रहा है। माननीय सदस्य को मालूम होगा कि आपने सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड पास की है, उसके अन्दर पास किया है। सीलिंग को वर्क आउट करने में एरिया टू एरिया और फील्ड टू फील्ड सीलिंग वर्क आउट करेंगे। यह एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस हो गया है, इसका केलक्यूलेशन इतना डिफिकल्ट हो गया है कि उसके अन्दर टाइम लगता है और पूरा स्टाफ इसके लिए अलग

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बैठा हुआ है। इसलिए यह कहना कि हम ढिलाई कर रहे हैं, उसको लागू नहीं करना चाहते हैं, यह बिल्कुल गलत है और जिस माननीय सदस्य को इस बात का शक हो कि ढिलाई हो रही है तो वे दफ्तर के अन्दर जा सकते हैं। मैं उनको सहूलियत इस बात की दूंगा कि वे देख लें कि सीमा निर्धारित करने में कितनी दिक्कतें पेश आ रही हैं। खाली यह कह देना कि ढिलाई हो रही है, ठीक नहीं है। जो फॉर्मुला इस विधान सभा में रखा है उस फॉर्मुले से विलेज टू विलेज और फील्ड टू फील्ड वर्क आउट करने में बहुत दिक्कत आती है। उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वर्किंग के अन्दर दिक्कतें हो रही हैं। मैं कह सकता हूं कि काफी तहसीलें वर्क आउट हो गई हैं। जब तक कि वह वर्क आउट नहीं हो जाता है तब तक उसका एनफोर्समेंट नहीं हो सकता है। एनफोर्समेंट के आधार पर हमको चलना पड़ेगा कि अमुक एरिया के अन्दर सीलिंग फिगर्स ये हैं....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : एक साल और है। एक साल के अन्दर कर दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप चिन्ता नहीं करें। चुनाव के पहले ही घोषणा करने की कोशिश की जायगी, बशर्ते कि वह हो जाय। आने वाले चुनावों के अन्दर यह कहते नहीं सुनेंगे कि सीलिंग नहीं लगायेंगे। कांग्रेसमेन यह कह कर जायगा कि सीलिंग के लिए हम कटिबद्ध हैं जिन लोगों के पास ज्यादा है उनसे लेंगे।

अब रहा सवाल कि इस बात की चर्चा की है कि जितनी देर लगती है सीलिंग लाने में उतनी ही जमीन का मिलना कठिन हो जायगा। एक माननीय सदस्य ने कहा कि सब मैकेनाइज्ड फार्म्स हो जायेंगे, क्योंकि इनको हमने एक्जेम्प्ट कर रखा है। माननीय सदस्य को संभवतया याद होगा कि हमने इस कानून के अन्दर अलग अलग बात के लिए अलग तारीखें निश्चित कर रखी हैं। जिस तरह की जमीनों को एक्जेम्पशन दिया है उनकी तारीखें निश्चित कर रखी हैं और वे तारीखें कानून पास होने के पहले की कर रखी हैं। मैकेनाइज्ड फार्म बनने के लिए कहा गया है तो मैकेनाइज्ड फार्म के लिए मुश्किल नहीं आयेगी। उसमें मैकेनाइज्ड फार्म को एक्जेम्प्ट नहीं किया है। हमने वैल मेनेज्ड फार्म को एक्जेम्प्ट किया है। वेल मेनेज्ड फार्म में शूगर केन फार्म आदि जो भी थे उनके लिए तारीख निश्चित कर दी है कि जो उस तारीख को एग्जिस्टेन्स में थे उनको एक्जेम्प्ट किया है। इसलिए अब इस बात की कोई गुंजायश नहीं है कि कोई उसको सरकम्वेन्ट करे। उस कानून से निकलने के लिए इस तरह की कार्यवाही करे कि अपने कुछ फार्म बना लिये फर्जी, और फर्जी फार्म बता कर सरकम्वेन्ट करें, इसको गुन्जायश नहीं है। ट्रान्सफर पर जिस तारीख से रेस्ट्रिक्शन लगाई है उसके बाद में म्यूटेशन बंद कर रखा है। उसके बाद ट्रान्सफर नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जनरल ट्रान्सफर पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। सीलिंग एरिया को सरकम्वेन्ट करने के लिए ट्रान्सफर करते हैं तो रिकगनाइज़ नहीं करेंगे। इससे पोज़ीशन में फर्क नहीं होने वाला है। जमीन को हम आगे ट्रान्सफर करते हैं तो रिकगनाइज़ नहीं करेंगे। बराबर कानून पास होने के बाद तमाम कलेक्टर्स, एस. डी. ओ. और तहसीलदारों को इस कानून से परिचित करा दिया है और इस बात के लिए तैयार कर दिया

(श्री दामोदरलाल व्यास)

है कि वे इस बात की निगरानी रखें। अगर कोई ट्रान्सफर करेगा तो रजिस्टर्ड डीड के बगैर नहीं हो सकता है और उसके रेकॉर्ड में जिस तारीख से यह लॉ फोर्स में आया है उस तारीख के बाद इस कानून के अन्दर ट्रान्सफर होंगे तो रिकगनाइज नहीं करेंगे और सीलिंग एप्लाई करके जमीन को ले लेंगे। इसलिए हम यह मौका कोई नहीं देने वाले हैं कि कोई सरकम्वेन्ट करके सरकार को जमीन नहीं दे। तो यह चीज़ सीलिंग के लिए कुछ माननीय सदस्यों ने कही है उसके लिए मैंने कहा है।

अब रही फुलेरा की बात उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि माननीय सदस्य ने फुलेरा की बात के पहले यह बात कही थी। सैक्शन १६ और सैक्शन १५ यह दोनों सैक्शन ऐसे हैं कि भूमि सुधार कानूनों से सब से अगर बेस्ट रिलीफ भूमि सुधार में मिल सकेगा टीनेन्ट्स और सब टीनेन्ट्स को, तो इन दोनों सैक्शन्स के अन्दर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सैक्शन १६ और १५ का दरअसल में कोई इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ है। इम्प्लीमेन्टेशन के लिए माननीय सदस्य ने कहा। पिछले वक्त में मैंने कहा था कि इम्प्लीमेन्टेशन करने की कोशिश करते हैं और पर्सनल लेवल पर मैंने कोशिश की है कलेक्टर्स और तहसीलदारों से कहने की अपने टूर्स के टाइम में और यहां से लिख लिख कर भी इस बात की कोशिश की है कि वे इम्प्लीमेंट करें। मैं अर्ज करूंगा कि इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया है। हरीडली जब यह कट मोशन आया तो मैंने कुछ जगहों के फीगर्स मंगाये हैं। ८ जिलों के फीगर्स मेरे पास आये हैं। वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि जयपुर में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कुल ११,१४० को सैक्शन १६ में टीनेन्सी राइट्स दिये गये हैं। ६६,८१८ बीघा जमीन है जिसके ऊपर कि राइट्स दिये गये हैं। सीकर, अलवर, उदयपुर, चुरू, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर; इस तरह से ८ जिलों के फीगर्स तो मैंने हरीडली मंगाये हैं....

श्री पी० के० चौधरी : मेरी बात स्पष्ट नहीं हुई है, कटमोशन की।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, मैं फुलेरा के लिए अर्ज करता हूं। I am just coming to that. जो ८ जिलों के फीगर्स आये हैं उनसे ऐसी बात नहीं लगती कि इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि मैं कह सकता हूं कि इसको इम्प्लीमेंट वास्तव में किया गया है और ऐसा है कि ८ जिलों के जो फीगर्स आये हैं उनमें १,६३,८४७ काश्तकारों को राइट्स मिले हैं, सैक्शन १६ के अन्दर। जिन जिलों के फीगर्स नहीं आये हैं वे फीगर्स जल्दी ही मंगाकर जहां तक हो सकेगा, किसी रोज इसकी जानकारी सदन को देना पसन्द करूंगा। इसी प्रकार से सैक्शन १५ के ऊपर जो खातेदारी मिली है वह बराबर मिली है। मगर जहां तक फुलेरा का सम्बन्ध है तो बपौतीदार के सम्बन्ध की बात को जानते हैं तो मैंने स्वीकार किया है कि बपौतीदारी को जमींदारी एक्ट के अन्दर टीनेन्ट्स माना है। टीनेन्ट्स जब माना गया है तो बाकायदा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और लीगल राय लेने के बाद में ही हुआ है, मगर वे काश्त करते थे तो सब–टीनेन्ट थे। मैंने जैसा कि अर्ज किया है जो रेकॉर्डेड सब टीनेन्ट्स थे उनको एक्चुअली दर्ज किया है। हम अदालत में जाने से रोक नहीं सकते हैं बपौतीदारों को; कोर्ट ऑफ लॉ में चाहे क्रिमिनल केस चलायें, रेवेन्यू केस चलायें

(श्री दामोदरलाल व्यास)

या डिक्लेरेटरी सूट चलायें। फिलहाल अड़चनें पैदा कर रखी हैं। जब तक उनका निर्णय नहीं हो जाता है, इधर या उधर, तब तक फेक्ट्स का इन्द्राज होना मुश्किल है क्योंकि आखिर कोर्ट में डिक्लेरेशन का मुकदमा चल जाय तो subject to that decision होगा, वह रेकॉर्डेड सब टीनेन्ट होगा कि नहीं, आज नहीं कह सकते कि क्या पोजीशन हो। पुराने केस से वाकिफ हूं, मुकदमेबाजी की वजह से रुके हुए हैं।

श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सारे राजस्थान के हित की बात कही। वे इस समय सदन से चले गये हैं। उनमें आजकल इस तरह की सूझ-बूझ पैदा हुई है कि वे सारे राजस्थान की बात को सोचते हैं; हालांकि उनका कट मोशन झुन्झुनू के बारे में था, किन्तु उन्होंने कहा कि सन् ५२ से आज तक की एसेम्बली की प्रोसिडिंग्स को देख लिया जाय, यह बार बार कहा गया है कि रेन्ट रेट्स रेशनलाइज़ की जायगी। मैं अदब से कहूँगा कि कभी हमने यहां यह नहीं कहा कि रेन्ट रेट्स रेशनलाइज़ हो सकती हैं। मैंने वक्त वक्त पर यह कहा है कि रेन्ट रेट्स को रेशनलाइज करना मुमकिन नहीं है। यहा जमीन की इतनी मुख्तलिफ किस्में हैं कि रेट्स को एक करना कभी पोसिबल नहीं हो सकता। सारे राजस्थान की रेट्स एक नहीं कर सकते, यह मैंने वक्त वक्त पर जाहिर की है, आज भी यह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ तरीका कायम करके एक रेट किया जाय। यह पोसिबल नहीं है, फिज़ीबल नहीं है और साइन्टिफिक नहीं है और न इससे रिलीफ मिल सकता है।

दूसरा सवाल झुन्झुनू का है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि झुन्झुनू से क्या नाराजगी है, उनियारे के माननीय सदस्य चले गये हैं, आपके कहने के अनुसार झुन्झुनू से मुझे नाराजगी है। झुन्झुनू का बन्दोबस्त सन् १९१९ में हुआ होगा, समय खत्म हो गया। एक माननीय सदस्या जो झुन्झुनू डिस्ट्रिक्ट से हैं, उन्होंने इस वक्त और उस वक्त भी जोर दिया था और यह कहा था कि इसका खतरनाक नतीजा निकलेगा यदि वहां का रीसैटलमेंट नहीं हुआ तो। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि रीसैटलमेंट की कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है। मैंने कभी इन्कार नहीं किया कि रीसैटलमेंट कब हो। इसके लिये बजट में प्रोविजन नहीं है। बहरहाल सैटलमेंट डिपार्टमेंट वर्क करता है, उसके लिये बजट में प्रोविजन है। जब निर्णय हो जायगा तब री–सैटलमेंट का कार्य भी होगा। यह निश्चय मानकर चलिये कि झुन्झुनू में लगान ज्यादा लगा रहे, यह किसी की मंशा नहीं है।

परसरामपुर और थोई के बारे में उदयपुरवाटी के माननीय सदस्य ने पर्चे चकबंदी के बारे में कहा। मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि कागज बस्ते-खामोशी में दबे नहो है बकौल श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य के तकिया कलाम बन गया है, लेकिन यह बात नहीं है। असल में निर्णय हो चुका है, सरकार के पास बन्दोबस्त की रिपोर्ट आ चुकी है, सरकार ने उसे मंजूर कर लिया है। अब पर्चे चकबंदी के बारे में आपकी शिकायत नहीं रहेगी....

श्री भैरोंसिंह : बस्ताए–खामोशी से बाहर आ गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप यदि रखते हैं।....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उनियारे के माननीय सदस्य आ गये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं उनकी बात पहले कहना चाहूंगा क्योंकि उनको बहुत शिकायत है। शिकायत इस बात की है कि उनके यहां ओले पड़ जाय तो कोई रिलीफ नहीं मिलती। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ओले पड़ जाय या किसी तरह से फसल को नुकसान हो, उसके लिये कायदे–कानून बना रखे हैं, मेरे और आपके हाथ की बात नहीं है। ओले पड़े हैं, ठीक है, मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता, फसल को नुकसान हुआ लेकिन रेमिशन रूल्स बने हुए हैं, उतना डेमेज हो तो मिल सकता है। इतना यदि डेमेज नहीं हुआ है पटवारी की रिपोर्ट या और अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार तो रेमिशन मिलना मुश्किल है। वे कहते हैं कि मैं मन्जूर करता हूं, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं करता हूं। रेमिशन देने का एक तरीका है।

जहां तक गलत इन्द्राज करने का ताल्लुक है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्द्राज करने के ऊपर एक के बाद एक इतनी पाबन्दी है कि यदि आदमी सतर्क रहे तो गलत इन्द्राज़ नहीं हो सकता....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : मैं एक बात कह दूं ? ओले पड़ने के बारे में तो आप मानते हैं ?....

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य जोश में नहीं आवें।

श्री सभापति : Have patience.

श्री दामोदरलाल व्यास : इस मामले में कई माननीय सदस्यों ने इस बात को बताने की कोशिश की, खास कर गश्त गिरदावरी के बारे में जयपुर के सदस्य ने कटौती प्रस्ताव भी रखा....

श्री चन्दनमल बैद : जयपुर में गश्त गिरदावरी होती है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : होती है, जयपुर सिटी सर्कल है जिसमें काश्तकारी होती है।

मैं अर्ज कर रहा था कि जहां तक गश्त गिरदावरी का सम्बन्ध है, पटवारी की गल्ती के लिये प्रावधान रखा है, जहां तक हो सके वह मनमानी नहीं कर सके। उसको इस प्रकार के अधिकार नहीं दिये हैं कि किसी पेड़ के नीचे बैठ कर दे। उसको फील्ड टू फील्ड जाना पड़ता है। उसके साथ पंच या सरपंच और नम्बरदार होगा। यदि पंच और सरपंच के आपस में इख्तलाफ होगा तो फाइनल ऑथॉरिटी दे रखी है वहां तक जाना पड़ेगा।

जहां तक लगान के नुकसान का सवाल है, डेमेज टू क्रोप का सवाल है उसमें हमने और भी इन्तजाम कर रखा है। जहां डेमेज होने का सवाल है, वहां कितना डेमेज रेकॉर्ड करते हैं गश्त गिरदावरी में उसका पब्लिक नोटिस गांवों में दिया जायगा कि तुम्हारे यहां इतना नुकसान है; चाहे अतिवृष्टि से हो, अनावृष्टि से हो, चाहे किसी और कारण से हो, उसके बाद हरेक को अधिकार है कि तीन दिन में तहसीलदार के पास जावे और तहसील-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

दार के लिये लाजमी है कि वह सात दिन में जांच करके फाइनल कर दे कि उजरदार सही है या पटवारी का इन्द्राज सही है। इसलिये जो हानि होती है उसकी जांच करके सही बात का पता लगाने के लिये पूरा पूरा प्रोसीजर एडॉप्ट कर रखा है। उसके साथ साथ खाली पटवारी ही नहीं बल्कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार भी देखते हैं और १० या २० पर्सेन्ट केसेज़ में जांच करने के लिये एस. डी. ओ. को भी पाबन्द किया गया है कि वे खुद जांच करें कि गलत गिरदावरी तो नहीं हुई है। मैं इससे इन्कार नहीं करता कि गल्तियां नहीं होती हैं। लेकिन जयपुर शहर से आने वाले माननीय सदस्य स्वयं वकील हैं, उन्होंने अपने भाषण में कौन से रचनात्मक सुझाव दिये हैं कि जिनके अनुसार अमुक कानून बनाया जाय या अमुक रूल्स में संशोधन किया जाय, यह उन्होंने नहीं बताया है। पटवारी गश्त गिरदावरी के लिये जाते हैं, तब मान लीजिये दो आदमी खड़े हैं और दोनों अपना अपना क्लेम करते हैं। एक कहता है कि मैंने किया है, दूसरा कहता है मैंने किया है। पटवारी अपने स्वयं के ऊपर इन बातों को नहीं ले सकता, उसको रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वह अपनी ओर से लिख देता होगा, लेकिन contested डिस्प्यूटेड केसेज़ में लिखना पड़ता है और naturally litigation is thre. आपसी झगड़ों के लिये केवल पटवारी को दोषी ठहराना न्यायसंगत नहीं है। कुछ लोग टिनेन्ट्स हैं, कुछ सब–टिनेन्ट्स हैं और कुछ लोग आपस में एक दूसरे को लड़ा कर वातावरण बनाने वाले भी होते हैं। हर गांव में आपस में लड़ाने में और एक दूसरे की जमीन छीनने में दिलचस्पी लेने वाले होते हैं। इसलिये केवल पटवारी के लिये कहना ठीक नहीं है। वह चीज रुक नहीं सकती जब तक कि इन्सान मौजूद है और प्रोपर्टी मौजूद है। प्रोपर्टी में डिस्प्यूट्स चलेंगे, एक दूसरे का स्वार्थ टकराता है तो झगड़े होते ही हैं। गश्त गिरदावरी के बारे में स्टेप स्टेप पर चैक लगा रखे हैं।

मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को हमसे बोरो करके अपने यहां एडॉप्ट किया और इस सिस्टम को पसन्द किया। इसके अलावा आप और कोई सुझाव दें कि और कोई बात इन्ट्रोड्यूस करें जिससे मिनिमाइज़ हो जाय। To minimise the evil, I will welcome the suggestion whenever it is made and I will try to get it incorporated in the rules or by any order that you like.

मगर आप कुछ देवें तब तो काम चले, बाकी इससे काम होता नहीं है पटवारी के सम्बन्ध में और गश्त गिरदावरी के सम्बन्ध में। माननीय सदस्य, जो उनियारा से आने वाले हैं, मेरे ऊपर नाराज न हों, उनके यहां ओले पड़े, उसमें ऐसी बात....

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने नुकसान का अन्दाज कैसे लगाया?....

श्री पी० के० चौधरी : ओले क्यों पड़े ?

श्री सभापति : One at a time, one at a time.

श्री दामोदरलाल व्यास : ओले पड़ने के लिए नहीं कह सकता; क्यों पड़े, यह तो कुदरत का सवाल है।

राव राजा श्री सरदारसिंह : नुकसान का अन्दाजा कैसे लगाया ? देखा नहीं, कोई....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा था, पटवारी के लिए यह कहना कि पटवारी बहुत गड़बड़ी करते हैं, बहुत बेईमान हैं, यह कहना कि पटवारी सारे के सारे बेईमान हैं, यह कहना ठीक नहीं है। इसी तरह से कई माननीय सदस्यों ने तहसीलदार के लिए कहा। मैं समझता हूँ कि ज्यादातर लोग ईमानदार हैं, मुश्तेदी से, नेक नीयति से काम करते हैं। कुछ गड़बड़ी करते हैं, कुछ बेईमान हो सकते हैं, मैं इससे इन्कार नहीं करता। लेकिन पटवारी का काम इतना मुश्किल है कि उनके लिए कह देना कि गड़बड़ी करते हैं, मेरे ख्याल में वाजिब नहीं होगा। उस सिलसिले में एक माननीय सदस्य, जो उदयपुर बाड़ी से आये हैं, उन्होंने एक कट मोशन पेश किया है कि पटवारी सिस्टम अबॉलिश कर दिया जाय। उन्होंने यह भी बताने की कोशिश की है कि सारा काम पंचायतों को ट्रान्सफर हो चुका है, इसलिए पटवारियों की आवश्यकता क्या है ?

श्री सभापति : He wanted transfer of patwaris to panchayats.

श्री दामोदरलाल व्यास : पंचायतों को ट्रान्सफर करने की बात कही क्योंकि सारा काम हो चुका है। मेरे ख्याल से लैंड रिकॉर्ड्स आज तक पंचायत समिति को नहीं दिया गया है। यह इतना इम्पोर्टेन्ट है, लैंड के ऊपर व्यक्तिगत सम्पत्ति और राइट है, उसका पता लगता है, इसलिए इसका अप-टू-डेट होना जरूरी है। पंचायतों को, जहां तक पटवारी का सम्बन्ध है, ट्रान्सफर नहीं हुए हैं, वे बदस्तूर हैं, और पंचायतों के सुपुर्द करने का, उनके नीचे रखने का प्रश्न पैदा नहीं होता। जहां तक म्यूटेशन का सवाल है, उसमें पंचायतों का नियंत्रण ठहराया है, तो म्यूटेशन में देरी होती है तो वह पंचायतों की वजह से होती है। वैसे अगर पंचायतों के मुताबिक पटवारी नहीं जाते हैं तो उनको शिकायत करने का हक है। म्यूटेशन का काम पंचायतों को दे दिया गया, तो उसको एक्सपीडाइट करना उनके लिए जरूरी है। पटवारी, हो सकता है, इस प्रकार की गड़बड़ी करता है, तो उस पर एक्शन होता है। अगर किसी के सम्बन्ध में माननीय सदस्य बतलायेंगे तो अलग से एक्शन ले सकते हैं। पटवारियों को अभी पंचायतों को ट्रान्सफर करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

लगान की वसूली का सवाल है, उसकी वसूली करने के राइट्स दे रहे हैं, वह पंचायतों को दे रहे हैं। टू स्टार्ट विथ इनको लगान वसूली करने का दे रहे हैं। इसके अलावा मेन्टिनेन्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है, पटवारी को मल्टीफेरियस ड्यूटीज़ हैं, लैंड रिकॉर्ड्स के सम्बन्ध में ड्यूटीज़ हैं, कागज बनाना पड़ता है और ड्यूटी है, ऐसी ड्यूटीज़ का पंचायतों से सम्बन्ध नहीं हो सकता है। धीरे धीरे हम डीसेन्ट्रलाइज़ करते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम उस स्थिति में पहुंच जाय कि पंचायत, पंचायत समिति को और पॉवर्स डिसेन्ट्रलाइज़ करनी पड़े। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर

[श्री दामोदरलाल व्यास

सकता कि एक वक्त आ सकता है जब पटवारी को पंचायत के हाथ में देना पड़े, यह भी दिन आ सकता है कि तहसीलों को रखने की आवश्यकता न पड़े। लेकिन आज वह दिन दूर है, यह कब्लअज़ वक्त है कि इस बात पर विचार करें कि पटवारी को उनको सुपुर्द कर दें।

दूसरे माननीय सदस्य ने लगान प्रथा के ऊपर कट मोशन रखते हुए उसके लिए कहा था कि लगान प्रथा आउट डेटेड हो गई है। रेट्स का सिस्टम गलत है; इन्कम टैक्स या सुपर टैक्स इस प्रकार का कुछ होना चाहिए। यह आउट डेटेड है, यह बड़ा डिस्प्यूटेड पोइन्ट है। आज के कुछ लोग हैं जो इस विचारधारा के हैं कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम चैंज होना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम को चैंज करके, जो स्टेट का बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इन्कम है उसको रिप्लेस किससे करें, इसके सम्बन्ध में किसी ने रचनात्मक या प्रेक्टिकल सुझाव नहीं दिया है। मैं निवेदन करूं कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगाया, लेकिन लगाकर वापिस बन्द किया, क्योंकि उसके सम्बन्ध में उधर बैठने वाले, इधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने जोर दिया था कि इससे काश्तकारों को ज्यादा असुविधा हुई है और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसलिए मौजूदा स्थिति में देश के अन्दर जो तरीका है लगान का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है, इसलिए अभी उसका प्रश्न पैदा नहीं होता। कुछ....

डॉ० बहादुरसिंह : जो मूव नहीं हुए हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य अपनी अपनी बातों को जल्दी कहलाना चाहते हैं।

राजस्थान केनाल का लिफ्ट एरिया है, उसके लिए कहा, जिन माननीय सदस्य ने कट मोशन पेश किया था कि कमिश्नर ने ड्राफ्ट नोटीफिकेशन भेजा लिफ्ट एरिया से निकालने के लिए, उस पर सरकार द्वारा तीन चार महीने में कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं कहना चाहता था कि कमिश्नर को सुझाव भेजने का अधिकार है, वह सुझाव भेजे, लेकिन सरकार को भी अधिकार है कि वह स्वीकार करे या नहीं करें।

(विराम)

यह जरूरी नहीं है कि कमिश्नर साहब ने भेज दिया तो उसे मन्जूर कर लें। आप जानना चाहते हैं कि लिफ्ट एरिया के बारे में सरकार क्या फैसला कर रही है तो ठीक है, मैं इतना आपसे कह सकता हूँ, यह अन्सर्टेन्टी में नहीं कि कौनसी जमीन फ्लो में आयेगी, कौनसी जमीन लिफ्ट एरिया में आयेगी। जो जमीन लिफ्ट एरिया में आती है, उसके ऊपर इरिगेशन होगा केनाल से, चाहे लिफ्ट से, इसमें दस साल का समय लग सकता है, बारह वर्ष का समय लग सकता है, उसमें अभी से खातेदारी के अधिकार दे देने की मेरी बिल्कुल मर्जी नहीं है, मैं साफ तरीके से कह देना चाहता हूँ....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): खातेदारी अधिकार नहीं चाहिए....

Page No.110

श्री दामोदरलाल व्यास : I am just coming to you. I will tell what you want.

इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि उस नोटीफिकेशन को मुझे लागू करने की अभी आवश्यकता महसूस नहीं होती । बहरहाल, उसकी जानकारी मैं कर रहा हूँ कि लिफ्ट एरिया में कब तक इर्रिगेशन चालू हो जायगा । किसानों को असहूलियत तो नहीं हो रही है । तब फाइनल होगा, अभी तो जो सरसरी तौर पर विचार बना रखा है, वह अर्ज किया है । हां, कोई दिक्कत की बात आती है, लिफ्ट एरिया में आपका कहना है कि हर साल टेम्पोरेरी अलॉटमेंट कराना पड़ता है । मैंने खुद ने कहा है कि आप चार साल के लिए कहें तो चार साल कर दूं, तीन साल के लिए कहें तो तीन साल कर दूं । चार साल, पांच साल कर दूं । यह मेरी नीयत नहीं है कि काश्तकार को दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़े, बट टेम्पोरेरी अलॉटमेंट टेम्पोरेरी अलॉटमेंट ही रहेगा। वैसे उनको पूरे अधिकार हैं, जमीन काश्त करने का अधिकार है और भी दूसरे अधिकार हैं, मैं अधिकारों में दखल नहीं करना चाहता । जहां भी दिक्कत है, उनको पहले रफा करने के लिए तैयार हूँ, माइन्स कि वहां दफा १५ के अधिकार नहीं मिल सकते क्योंकि केनाल एरिया की युनीफॉर्मिटी की पॉलिसी को फोलो किया है । राजस्थान केनाल एरिया में चाहे लिफ्ट से हो, चाहे फ्लो से हो, लेकिन मैं आज इस स्थिति में नहीं हूँ कि लिफ्ट एरिया को एक्सक्लूड कर दूं और न यह वाजिब होगा, जो दिक्कतें बताई, वे रफा हो सकती हैं।

इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने, राजस्थान की लैंड पॉलिसी के बहाने जो कुछ वे कह सकते हैं, वह कहा । खास तौर से बीकानेर से आये हुए माननीय सदस्य, क्योंकि वे अपने आपको प्रगतिशील बताते हैं, प्रगतिशील नीति की बात करते हैं । बहरहाल मैं यह बात कहूँगा कि जहां सीलिंग की बात करते हैं और यह कहते हैं कि राजस्थान में चुनाव के कारण सीलिंग लागू नहीं करना चाहते । कांग्रेसमैन, कांग्रेस सरकार किसी भी प्रतिक्रियावादी तत्व से समझौता करके नहीं जीतने वाली है, जो एक नीति रखी है, उस पर चल कर ही जीतती है । फिर आप देखेंगे कि कौन जीतता है, कौन आता है,

(विराम)

मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है ।

इसके अलावा लैंड ऑक्शन का सवाल है । मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यह बताने की कोशिश की कि रिवर वेली प्रॉजेक्ट की जमीन है, वह सारी की सारी हम ऑक्शन कर रहे हैं, यह भी बताने की कोशिश की कि लैंड–लेस पर्सन्स को जमीन अलॉट नहीं हुई है । मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोटा में जहां चम्बल कमान्ड है, वहां ५६ पर्सेन्ट लैंड का अलॉटमेंट होगा और ५० परसेन्ट लैंड का ऑक्शन होगा । उसके साथ जो लार्ज होल्डिंग उसके ऊपर है और जो जमीन सीलिंग में मिलेगी वह लैंड–लेस पर्सन्स को दी जायगी । कोटा डिवीज़न में जो लैंड–लेस पर्सन्स हैं, उनकी समस्या है वह इस जमीन से हल होगी । ऐसे लोग नहीं रहेंगे जो लैंड–लेस हों........

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : आपने केलकुलेट किया है कि कितनी लार्ज होल्डिंग्ज़ हैं ?

Page No.111

श्री दामोदरलाल व्यास : आप तशरीफ रखिये। मैं केल्कुलेशन अपने साथ में नहीं रखता हूँ, मैं पॉलिसी बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि लैंड के ऑक्शन में क्या पॉलिसी अडाप्ट की है। आप पूछें कि गांवों में अलग अलग आबादी कितनी है? I have not brought the census report with me. मैंने केल्कुलेट कर रखा है, एक एक गांव का केल्कुलेट कर रखा है, लैंड–लेस पर्सन्स कितने हैं, अनऑक्युपाइड गवर्नमेंट लैंड कितनी है। यह सब केल्कुलेट कर रखा है, उसके बारे फिगर्स हमारे पास हैं, आप यह न समझें....

श्री सोहनलाल भटनागर : भाखरा के एरिया में........

श्री दामोदरलाल व्यास : भाखरा पर भी मैं आ रहा हूँ। माननीय सदस्य समझ रहे हैं कि चम्बल में नीलाम कर रहे हैं और भाखरा में मुफ्त दे रहे हैं। भाखरा के अन्दर कुल ११ लाख एकड़ जमीन है, जो उसके कमान्ड में आती है। ८ लाख एकड़ जमीन है जो मौरूसीदार और पुराने खातेदार कहना चाहिए उन लोगों की है, जिसमें गवर्नमेंन्ट लैंड नहीं है। बाकी चार लाख, साढे चार लाख एकड़ जमीन इसके अन्दर है, यह चार लाख एकड़ जमीन भूमिहीनों को दी है

(विराम)

इसलिए यह कहना कि भाखरा की पूरी जमीन नीलाम कर रहे हैं, यह गलत है। केवल ५० हजार एकड़ जमीन नीलाम हो रही है, वह जमीन है, जो भूमि हीनों के लिए, सुरक्षित नहीं, वह रिज़र्व थी, फॉरेस्ट के लिए, गाड़िया लोहारों के लिए, स्पेसिफिक पर्पज़ के रिज़र्व थी, उसको नीलाम कर रहे हैं। उसको लेकर माननीय सदस्य पॉलिटिकली एक्सप्लोइट करने की कोशिश न करें कि सारी जमीन को बेचकर भूमिहीनों को महरूम कर रहे हैं। जितने भूमिहीन थे उनके भूमि लेने के बाद बच गये उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी राजस्थान केनाल में दी जाय और उनको अलॉटमेंट वहां हो गया है। तो ऐसा कहना कि हमारी भूमि–अलॉटमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि भूमिहीनों को भूमि से वंचित रखना चाहते हैं, यह गलत है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि आपको जानकारी नहीं है। सदन में एक बार नहीं अनेकों बार मैंने समझाने की कोशिश की है और ये सब बातें रखी हैं, फिर भी माननीय सदस्य बार बार यह कहते हैं तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव उनका ऐसा कहने के पीछे है।

रिवर वेली प्रोजेक्ट्स के लिये यह कहना कि हम तमाम भूमि बेच रहे हैं, भूमिहीनों को नहीं दे रहे हैं, यह, जैसा कि पहले बता चुका हूँ, गलत है।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु०) : गाड़ोलिये लोहारों के लिये भूमि रखी थी उसको क्यों नीलाम कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिये कि गाड़ोलिये लोहार वहां बसने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री लादूराम सुलाणिया : इसके लिये सरकार ने प्रयास नहीं किया।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी मदद की जरूरत थी, आपने मदद नहीं दी।

श्री लादूराम सुलाणिया : इसके लिये मुझे उस कमेटी में अपोइन्ट करते।

श्री दामोदरलाल व्यास : कमेटी में कहां पहुंचेंगे आप ?

इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने....

श्री सूबेदारसिंह (बाडी) : खातेदारी राइट्स कैसे नहीं हुए, उनके बारे में क्या कह रहे हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह : नजूल लैंड के बारे में नहीं कहा....

श्री दामोदरलाल व्यास : एक माननीय सदस्य की बहस में आया कि नजूल लैंड्स के बारे में....

डॉ० बहादुरसिंह : और बिल्डिंग्ज़ के बारे में भी !

श्री दामोदरलाल व्यास : धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक पोइन्ट रेज़ किया। वह बड़ा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है। आम तौर पर वह पोइन्ट वहां अराइज़ होता है जहां टीनेन्सी एक्ट की दफा १५ व १६ के तहत खातेदारी राइट्स देते हैं तो वहां म्युटेशन फीस देनी आवश्यक हो जाती है। धौलपुर से आने वाले दोनों तोनों माननीय सदस्यों ने यह पॉइन्ट रेज़ किया था....

श्री तनसिंह : कहां रेज़ किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : म्यूटेशन फीस के बारे में मैं यह अर्ज कर दूं कि दफा १५–१६ के तहत म्यूटेशन फीस तो बिल्कुल वाजिब है, वह वसूल होनी चाहिये। अब जमींदारी की बात है कि इसकी वजह से हो गया, इसके लिये मैंने इन्तजाम किया था, उसकी मैं समझता हूँ खिलाफवर्जी नहीं हो रही होगी।

जहां तक बन्दोबस्त का सवाल है, मैंने वहां रीसैटलमेंट का ऑर्डर दे दिया है और काम भी वहां शुरू हो गया है।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु०) : कट मोशन संख्या ५७–५८ के लिये क्या कहते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : अब तो ६२ की फिक्र करें, ५८ की क्या फिक्र करते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने उनको फिक्र में डाल दिया। नजूल लैंड के लिये एक माननीय सदस्य ने कहा कि आबादी के लिये जमीन तो मिलती नहीं....

श्री लादूराम सुलाणिया : साढ़े बारह पर्सेंट लगान कम करने के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव था, उसके लिये क्या कहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The Hon'ble member should not disturb.

श्री सभापति : It is too much that he should disturb now and then.

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह अर्ज कर रहा था कि जमीन आबादी में नहीं मिलती है, ऐसा माननीय सदस्यों ने कहा। इसके बारे में मैं सरकार की नीति है वह

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बताना चाहता हूँ। रूरल एरिया में पंचायतों को और जहां टाउन्स हैं, वहां म्युनिसिपैलिटीज़ को वहां की सब जमीनें दे दी हैं, वे उन्हें अलॉट करेंगी, by sale, auction or allotment, as the case may be, जैसे इसके लिये नियम बना दिये हैं। आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आबादी के लिये जमीन कम पड़ती है इसके लिये कलेक्टर को हमने ऑर्डर दे दिया है कि वह जांच करके जहां आवश्यकता हो काश्त की जमीन को आबादी लैंड में बदल कर लोकल बॉडीज़, पंचायतों और म्युनिसिपैलिटीज़ को दे दे। काश्तकार अपनी काश्त की जमीन को आबादी की जमीन में कन्वर्ट करके मुनाफा उठाने के लिये आबादी के प्लॉट्स में बांटने की कोशिश करे, तो इसको गवर्नमेंट नहीं मानेगी। एज ए प्रिंसिपल हमने मान लिया है कि गवर्नमेंट लैंड नहीं होगी तो कलेक्टर लैंड को एक्वायर करके लोकल बॉडीज़ को देगा; पर प्राइवेट पर्सन्स को कभी अलॉउ नहीं करेंगे कि वे अपनी लैंड को आबादी लैंड में कन्वर्ट करके फायदा उठायें। गवर्नमेंट ने डिसिज़न ले लिया है and we want to stick to that decision.

तो आबादी जमीन का कहा उसके लिए मैंने यह अर्ज किया....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : किसी ने ऐसा कर लिया है तो ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कर लिया है तो कानून बना हुआ है, उसके तहत कार्यवाही होगी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : मुआवजे के लिये नहीं कहा आपने ?

श्री दामोदरलाल व्यास : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो बातें कहीं, एक तो यह मुआवजा वक्त पर नहीं मिलता और जो जमीन एक्वायर हो जाती है उसका लगान वसूल होता है।

मैं स्वीकार करता हूँ कि मुआवजे का फैसला होने में कुछ देर होती है, पर जहां लगान की वसूली का सम्बन्ध है उसके लिये माननीय सदस्य भी जानते हैं कि लगान की वसूली को तो बहुत सख्त हुक्म से प्रोहिबिट कर दिया है और कलेक्टर्स को रेस्पोन्सिबल कर दिया है कि उस लगान की वसूली नहीं हो। तो मैं समझता हूँ इस बात की शिकायत नहीं होनी चाहिये।

एक्विज़िशन प्रोसीडिंग्स में देरी नहीं हो, इसके लिये इसे डीसेंट्रलाइज़ कर दिया है, अपनी जरूरत के लिये हर डिपार्टमेंट खुद जमीन एक्वायर करता है। इर्रिगेशन डिपार्टमेंट को जरूरत हो तो वह खुद अपने पर्पज़ के लिये जमीन एक्वायर करें, पी० डब्लू० डी० को अपने काम के लिये जमीन की जरूरत पड़े तो वह खुद एक्वायर करें, एज्यूकेशन डिपार्टमेंट को अपने लिये जरूरत पड़े तो वह खुद जमीन एक्वायर करे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तो वह आयेगा जब कि कलेक्टर और डिपार्टमेंट के झगड़ा हो। Then only the matter will come to the Revenue Department.

Page No.114

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : मुआवजा असेस तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही करता है न ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी बताता हूँ। लैंड एक्विज़िशन के कार्य को डीसेन्ट्रलाइज़ करने का इसलिये तय किया है कि जल्दी से मुआवजा मिल जाय। पी. डब्ल्यू. डी. डिपार्टमेंट को लैंड एक्विज़िशन ऑफीसर अलग दे दिया है ताकि वह मुआवजे के केसेज़ को जल्दी सेटल कर सके।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर):पी. डब्ल्यू. डी. डिपार्टमेंट नहीं होता।

श्री दामोदरलाल व्यास : Sorry. मैं आपको देखकर बोल गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे से घबराते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : चम्बल प्रोजेक्ट है वहां लैंड एक्विजीशन ऑफीसर अलग रखा है ताकि काम एक्सपीडाइट हो। राणा प्रतापसागर डेन के लिये लैंड एक्विजिशन ऑफीसर अलग रखा है। लैंड एक्विज़िशन ऑफीसर्स की तादाद बढ़ा दी है ताकि लैंड फोर लैंड या मुआवजा जल्दी मिल जाय और डेवलपमेंट के कामों के लिये लैंड एक्विज़िशन में देरी न हो। इसलिये लैंड एक्विज़िशन ऑफीसर्स की तादाद बढ़ा दी है।

श्री शिवनाथसिंह (गुढा) : नम्बरदारी प्रथा के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री सभापति : The Hon'ble member has something to say about Nambardari.

श्री दामोदरलाल व्यास : I am just coming to that. That is a very important subject definitely.

नम्बरदारी प्रथा समाप्त कराने के लिये माननीय सदस्य ज्यादा उत्सुक हैं और मैं भी इस सदन में ऐलान कर चुका हूं और कर रहा हूं कि सरकार ने इस बात का निर्णय लिया है कि नम्बरदारी प्रथा समाप्त कर दी जावेगी। इसलिये यह कहना कि यह प्रथा जागीरदारों की या राजाओं की बनाई हुई है या ब्रिटिश गवर्नमेंट की बनाई हुई है कोई माने नहीं रखता। परन्तु मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि नम्बरदारी प्रथा खराब हो सकती है और इसको एबोलिश करने के लिये निर्णय लिया गया है लेकिन इस मशीनरी को रिप्लेस करने के लिये भी कुछ करना होगा। नम्बरदारी प्रथा तो खत्म होगी ही, परन्तु उसका वेक्यूम हो जावेगा उसको पूरा करना होगा। नम्बरदारों का काम सबसे पहला लैन्ड रेवेन्यू को इकट्ठा करना था। इसलिये हमने उनको एबोलिश करने के बाद एक्सपर्ट ऑफिसरों की कमेटी बनाई और उनको रेफर किया कि हमको नम्बरदारी एबोलिश करनी है इसके लिये दूसरा आल्टरनेटिव बतावें। उनकी रिपोर्ट आई है और उन्होंने मशीनरी सजेस्ट की। वह अभी मामला फाइनेन्स डिपार्टमेंट के कन्सडरेशन में है। मैं यह कहूंगा कि जो पैसा नम्बरदारों को मुआवजे के रूप में देते हैं शायद ऑफिसरों ने जो मशीनरी का प्रोग्राम भेजा है वह ज्यादा खर्चीला है, हम कम खर्चीली मशीनरी चाहते हैं और इस सम्बन्ध में हम जल्दी ही निर्णय लेंगे।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

एक माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायतों को लगान वसूली के अधिकार देने चाहिये। मैंने पहले ही अर्ज किया कि धीरे धीरे हम पंचायतों को अधिकार देना चाहते हैं। हमको उन्हें अधिकार देने हैं। लेकिन जब तक ये अधिकार पंचायत समितियों को न दे दें तब तक इतने बड़े रेवेन्यू का हैड है उसके लिये कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हमने जो फैसला किया है उससे हम 'गो बैक' नहीं जाते हैं। पार्टी डिविज़न की बात कही, वह तो पार्टी में करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने निर्णय ले लिया है, उसको बदलने का कोई प्रश्न नहीं है। इसके इम्प्लीमेन्टेशन के लिये क्या ऑल्टरनेट अरेन्जमेंट करें, यह सोच रहे है।....

श्री लादूराम सुलाणिया : मैंने ५७ और ५८ नम्बर के कट मोशन में निवेदन किया है कि परिगणित जातियों के काश्तकारों का भू लगान साढ़े बारह प्रतिशत कम करने पर सरकार ध्यान दे। उसका जवाब नहीं दिया गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ठीक है आपका कट मोशन होगा। उस पर मैंने विचार नहीं किया है। लगान में छूट देने के लिये सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। आप यही बात जानना चाहते हैं।

अब रहा कन्सोलिडेशन के लिए। माननीय सदस्यों के सुझाव थे और वे जानना चाहते थे कि इसमें क्या प्रगति हुई है।

श्री सभापति : How long you will take ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Before time I will finish.

श्री सभापति : The Demand will have to be put to vote. It will take time.

श्री दामोदरलाल व्यास : I am finishing within two minutes. I will cretainly not keep the House waiting. I have covered all the points regarding achievements of consolidation.

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा टार्गेट १० लाख एकड़ का था उसके बजाय हम १४ लाख ३० हजार एकड़ जमीन को कवर कर चुके हैं। ४१ लाख का खर्चा। ५८ लाख का एस्टीमेट था।

श्री दयाकृष्ण विजय : चम्बल की नहर का पानी जा रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा कन्सोलिडेशन हो। यदि इसके लिये कार्यवाही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सरकार ने निर्णय ले लिया है। रिवर एरिया को लेंगे और चम्बल को जल्दी लेंगे।

मेरे ख्याल से करीब करीब सभी पोइन्ट्स जो माननीय सदस्यों ने उठाये थे उनको सबको कवर करने की मैंने कोशिश की है और मैं समझता हूं कि मैंने करीब करीब सभी पोइन्ट्स को कवर कर लिया है। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : जो माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेना चाहें वे खड़े हो जावें।

(श्री सभापति)

श्री पी० के० चौधरी ।

(अनुपस्थित)

श्री चन्दनमल वैद

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल भटनागर ।

(अनुपस्थित)

Is it the wish of the House that the Demand may be put to vote and the cut motions thus allowed are automatically negatived.

कुछ माननीय सदस्य : Yes, yes.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा कटौती का प्रस्ताव है। No reply was given to my cut motion.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव इस मांग पर श्री सतीशचन्द्र ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री मुरलीधर व्यास ने इस मांग पर रखा है उसे स्वीकार किय

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

Now I think, I may put the Demand to vote.

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७ भू–राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,००,४४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

The House now stands adjourned to 11 A. M. tomorrow.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ४.५५ बजे दिनांक २८ मार्च, १९६१ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

संक्षिप्त–विवरण

(सोमवार, २७ मार्च, १९६१)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	५०४६		
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों हेतु वांछित योग्यता ।		अकाल ग्रसित फुलेरा व दूदू तहसीलों में किसानों से लगान की वसूली ।	
डाबला–कोटपूतली व पावटा–डाबला सड़क का निर्माण ।		बारां विकास खंड द्वारा पशु–नस्ल सुधार हेतु प्रदत्त ऋण का उपयोग ।	
समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यालय ।		बकरा लाग ।	
राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय संघ द्वारा काश्त की भूमि में गोदामों का निर्माण ।		सवाई माधोपुर टोंक सड़क पर स्थित नालों पर पुलियाओं का निर्माण ।	
राजस्थान कॉलेज ।		गवर्नमेन्ट हाई स्कूल, बांदीकुई में शिक्षकों की कमी ।	
पाली जिले के प्राइमरी व मिडल स्कूल के अध्यापकों व अध्यापिकाओं के वेतन व भत्ते के भुगतान में विलम्ब ।		चाकराना माफीदारों को मुआवजा ।	
सिरोही तथा माउन्ट आबू में इन्डस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना ।		प्रति वर्ष शीघ्र लिपिकों हेतु परीक्षा व्यवस्था ।	
कोटा जिले के जागीरदारों को खुदकाश्त भूमि के नियतन में विलम्ब ।		विजयनगर शुगर मिल्स ।	
तहसील दौसा में बिजली प्रदान करने की योजनायें ।		दौसा और सिकराय तहसीलों में खोली गई पाठशालाएं ।	
		ग्राम बडगांव का तालाब (सराड़ा) ।	
		बीकानेर शहर में अति वृष्टि के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त मकानों हेतु सहायता ।	

Page No.118

स्कम्भ स्कम्भ

विधान सभा सदस्यों के क्वार्ट्स के पश्चिम की तरफ स्टेशन रोड से मिलाने वाली सड़क की मरम्मत।

लो व मिडल इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम।

तहसील चाकसू में भूमि आवंटन कमेटी द्वारा सिवाय चक की आवंटित भूमि।

झालावाड जिले में ओलावृष्टि के फलस्वरूप फसल को हुई हानि की वजह से किसानों को राहत कार्य की अपेक्षा।

अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक ५०६७

(१) ग्राम गारा (तहसील लूणकरणसर) में जागीर बकाया की वसूली।

(२) बीकानेर जिले में अकाल सहायता हेतु स्वीकृत धन–राशि।

(३) डूंगर तहसील का जिला बीकानेर में विलीनीकरण।

(४) सन् ५८ से ६० तक बीकानेर जिले के विकास–कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि।

(५) जिला उदयपुर में सन् ५७ से ६० तक भूमि हीन किसानों को भूमि का अलॉटमेन्ट।

सदन से अनुपस्थित रहने हेतु अनुमति ६००१

श्री मंगलसिंह (६३), सदस्य, विधान सभा, को दिनांक २३ फरवरी, १९६१ से सत्र के अन्त तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

आय–व्ययक, १९६१–६२
द्वितीय अवस्था–अनुदानों की मांगों पर मतदान

मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व ६००२

उपरोक्त मांग श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, द्वारा प्रस्तावित की गई।

इस मांग पर कुल ४३ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

राजस्व मन्त्री के उत्तर के पश्चात् ३ कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए, एवं शेष प्रस्ताव सम्बन्धित सदस्यों द्वारा आग्रह न किये जाने के कारण वापस लिये गये समझे गये। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

सदन की बैठक ४ बजकर ५५ मिनट पर मंगलवार, दिनांक २८ मार्च, १९६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

मंगलवार, दिनांक २८ मार्च, १९६१ की कार्य–सूची

(१) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०– नागरिक निर्माण कार्य।

(२) शेष मांगों पर मुखबन्ध प्रयोग।

(३) राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१ (पुरः स्थापित)।

——

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६० का उत्तर देखिये)

बारां विकास खण्ड की ओर से सन् ५७–५८, ५८–५६ तथा ५६–६० में पशु-नस्ल सुधार (Caltle Breeding) हेतु दिये गये ऋण की सूची

क्रमांक	नाम ऋणी	तारीख ऋण देने की	रकम	वर्तमान किस नस्ल की कितनी गाएं	बछड़ा जो सांड बनने योग्य हुवा है।
१	२	३	४	५	६
१.	श्री नूरमोहम्मद घीसरी	२५–१०–५८	३०००)	१० गायें पालेवी नस्ल की	४ बछड़े हैं उम्र कम होने के कारण सांड नहीं बने है।
२.	,, आनन्दी लाल सुन्दलक	१६–२–५६	३०००)	१२ गाएं मालवी नस्ल की	३ बछड़े हैं। उम्र कम होने के कारण सांड नहीं बने हैं।
३.	,, गणपतलाल यादव फतेहपुर	३१–१०–५६	३०००)	–	–
४.	,, सूरजमल शर्मा फतेहपुर	३०–१०–५८	३०००)	–	–
५.	,, रामनारायण	३०–६–५६	२०००)	६ गाएं मालवी नस्ल की ४ बछड़े हैं। उम्र कम होने के कारण सांड नहीं बने हैं।	

१	२	३	४	५	६
६. श्री मन्नालाल कोटड़ी	२६–६–५६	२५००)		४ गाएं मालवी नस्ल की।	

नोट:—सर्व श्री गणपतलाल क्रम संख्या (३) व सूरजमल शर्मा क्रम संख्या (४) ने ऋण की धनराशि पशु–नस्ल सुधार कार्य में नहीं लगाई। श्री मन्नालाल क्रम संख्या (६) ने ऋण की पूरी धनराशि पशु–नस्ल सुधार कार्य में नहीं लगाई।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६४ का उत्तर देखिये)

Statement of Cross drainage Works on Tonk-Lakheri Road Mile 0 to 20.

S. No.	Location.
1.	3/2
2.	3/4
3.	3/7
4.	4/1
5.	5/2
6.	6/4
7.	8/1
8.	6/4
9.	10/1
10.	10/8
11.	11/7
12.	12/2
13.	12/5
14.	13/1
15.	13/6
16.	13/7
17.	14/2
18.	14/2
19.	14/7
20.	15/3
21.	15/5
22.	16/4

1	2
23.	16/7
24.	16/2
25.	18/4
26.	18/7
27.	19/4
28.	19/7
29.	Major Bridge on Galwa.

Statement of Cross Drainage Works on Sawai Madhopur-Tonk Road miles 10-to 24.

1.	9/1
2.	10/2
3.	10/3
4.	10/5
5.	13/5
6.	14/1
7.	16/2
8.	17/6
9.	18/1
10.	18/8
11.	19/3
12.	20/4
13.	16/7
14.	20/7

1	2
15.	21/7
16.	22/1
17.	22/2
18.	22/3
19.	22/8
20.	23/3
21.	23/7

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५७४ का उत्तर देखिये)

LIST OF SUFFERERS

SL. No. 1	Name of Sufferer 2	Ward No. 3	Sanction 4
1.	Shri Allahdeen S/o Noora.	22	100/-
2.	Shri Mosdin S/o Jivankhan.	22	100/-
2.	Shri Babu S/o Chand	2	25/-
4.	Shri Sadak S/o Dinekhan	2	75/-
5.	Shri Belibai wife of Chanji.	29	50/-
6.	Shri Natha Ram S/o Ganesh	26	100/-
7.	Shri Bhagi Rath S/o Gumaniram.	28	75/-
8.	Shri Mangta S/o Hussain Bux	28	80/-
9.	Shri Visna Ram S/o Jawarsingh	29	150/-
10.	Shri Bhanwarlal S/o Ramchandra	—	50/-
11.	Shri Rahim Bux S/o Hussian Bux	25	65/-
12.	Shri Jiya Ram S/o Isharram.	21	100/-
13.	Shri Mangilal S/o Moolji	29	100/-
14.	Shri Gopal Ram S/o Bhanaram.	2	200/-
15.	Mst. Meera Widow of Labha Ram	—	35/-

OFFICE OF THE COLLECTOR BIKANER DISTRICT BIKANER

OFFICE ORDER

No.CB/Rev/ Bikaner dated, the 24th Sept., 59.

As there is saving under head "57-Misc. J. Compensation to flood, fire etc. sufferers," the following relief is sanctioned to the persons noted below who have suffered damages and losses due to recent heavy rains this year:

1.	Shri Chanda Ram s/o Jetha Ram Meghwal, Bikaner.	Rs. 20/-
2.	Smt. Roopa Devi S/o Hansraj Modi Laxminathji-ki-Ghati, Bikaner.	Rs. 40/-
3.	Shri Ganga Ram S/o Chokha Ram Meghwal, Bikaner.	Rs. 20/-
4.	Shri Tiku Ram S/o Hukma Ram Meghwal, Bikaner.	Rs. 25/-
5.	Shri Dhanna Ram S/o Hukma Ram Meghwal, Bikaner.	Rs. 25/-
6.	Shri Kheta Ram S/o Khema Ram Meghwal, Bikaner.	Rs. 25/-
7.	Shri Bhaira Ram S/o Hukma Ram Meghwal, Bikaner.	Rs. 25/-
8.	Smt. Champa w/o Hukma Ram Meghwal, Bikaner.	Rs. 30/-
9.	Shri Girdhari S/o Uda Ram Meghwal.	Rs. 30/-
10.	Shri Gena Ram S/o Pooran Ram Raigarh.	Rs. 40/-

2	3
11. Shri Ramoo S/o Rupa Ram Nayak BKN.	Rs. 25/-
12. Shri Kalu Ram S/o Deva Ram Nayak.	Rs. 25/-
13. Shri Tiku Ram S/o Deva Ram.	Rs. 30/-
14. Shri Nema Ram S/o Ujina Ram Nai.	Rs. 50/-
15. Shri Chuna Ram S/o Jora Ram Nayak.	Rs. 30/-
	Rs. 440/-

The above amount is chargeable to the above Head.

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५७६ का उत्तर देखिये)

ALLOTMENTS MADE UNDER LOW INCOME GROUP HOUSING SCHEME DURING THE YEARS 1957-58, 1958-59, 1959-60 AND 1960-61

Sl. No.	Place	1957-58	1958-59	1959-60	1960-61
1	2	3	4	5	6
1.	Ajmer	109700	236500	367100	256200
2.	Alwar	87200	75000	75000	80000
3.	Bikaner	375000	215000	285000	235000
4.	Banswara	—	47000	30000	35000
5.	Bharatpur	75000	88682	50000	55000
6.	Barmer	—	57000	63000	55000
7.	Bhilwara	95000	85000	135000	180000
8.	Bundi	—	22000	17000	20000
9.	Churu	—	47000	50000	55000
10.	Chittor	40000	60000	50000	55000
11.	Dungarpur	57660	50000	40000	45000
12.	Ganganagar	100000	75000	135000	115000
13.	Jhunjhunu	—	37318	30000	35000
14.	Jodhpur	375000	350000	310000	330000
15.	Jalore	—	47000	30000	35000
16.	Jhalawar	—	47000	30000	35000
17.	Jaisalmer	—	3000	13000	15000

	2		3		4
18.	Jaipur	1148900	795700	941100	730000
19.	Kotah	140000	75000	180000	185000
20.	Nagaur	40000	50000	50000	55000
21.	Pali	60000	75000	100000	100000
22.	S. Madhopur	—	33000	30000	30000
23.	Sikar	97540	50000	50000	55000
24.	Sirohi	—	72000	30000	110000
25.	Tonk	—	47000	25900	30000
26.	Udaipur	375000	500000	250000	390207
27.	Beawar	28000	74000	63300	56600
28.	Kishangarh)	16000	—	12500	24700
29.	Shilora)				
30.	Kekri	—	5000	—	10800
31.	Bijainagar	—	30000	63300	—
32.	Nasirabad	—	—	—	1700
33.	Sardar Shahar.	—	--	—	26000
	Total :	32,20,000	33,50,000	35,00,000	34,41,207

STATEMENT OF ALLOTMENTS MADE UNDER MIDDLE INCOME GROUP HOUSING SCHEME DURING THE YEARS 1959-60 & 1960-61.

S. No.	Towns	Allotment 1959-60	Allotment 1960-61
	2		4
1.	Ajmer	5,62,000	3,75,000
2.	Alwar	1,74,000	1,27,000
3.	Banswara	—	40,000
4.	Barmer	—	32,000
5.	Bikaner	3,95,000	2,50,000
6.	Bharatpur	1,14,000	86,000
7.	Bhilwara	1,53,600	63,000
8.	Churu	—	25,000
9.	Ganganagar	1,52,500	2,50,000
10.	Jaipur	15,14,000	9,00,000
11.	Jodhpur	5,65,000	6,50,000
12.	Jalore	—	50,000
13.	Jhunjhunu	—	50,000
14.	Kota	2,17,600	2,50,000
15.	Nagaur	—	10,00,000
16.	Pali	1,05,000	50,000
17.	Sirohi	41,000	50,000

1	2	3	4
18.	Sikar	1,03,300	—
19.	S. Madhopur	—	35,000
20.	Tonk	—	50,000
21.	Udaipur	5,28,000	7,00,000
22.	Jhalawar	—	2,00,000
	Total	46,25,000	43,33,000

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५७८ का उत्तर देखिये)

सूची ग्रामवार तथा प्रतिशत नुकसान ओला बारी जनवरी सन् ६१ चतुर्थ सप्ताह जिला झालावाड़

क्रमांक	नाम तहसील	ग्राम का नाम जहां ओला बारी से नुकसान हुआ ।	नुकसान प्रतिशत
१	२	३	४
१	पचपहाड़	१ काली तलाई	५० प्रतिशत
		२ कोटड़ा	,, ,,
		३ भगवतीपुरा	,, ,,
		४ नाहरगट्टा	,, ,,
		५ सागरिया	,, ,,
		६ राजगढ़	,, ,,
		७ भवानीपुरा	,, ,,
		८ मोगरा	,, ,,
		९ मोवाखेड़ा	,, ,,
		१० नलखेड़ी	,, ,,
		११ खटोद	,, ,,
		१२ कोलीयाखेड़ी	,, ,,
		१३ रामनिवास	,, ,,
		१४ शामिया	,, ,,
		१५ राजपुरा	,, ,,

१		२	३
		१६ गोविन्दपुरा	५० प्रतिशत
		१७ गणेशपुरा	,, ,,
		१८ किशनपुरा	,, ,,
		१९ आनन्दपुरा	,, ,,
		२० गरनावद	,, ,,
		२१ खेरीया	,, ,,
		२२ गराड़िया	,, ,,
		२३ अलावा	,, ,,
		२४ मेंहदीयाखेड़ी	,, ,,
		२५ सेमली अख्ता	,, ,,
		२६ भीकड़ीया	,, ,,
		२७ चोरखेडी	,, ,,
		२८ अकानी	,, ,,
		२९ खेनाखेड़ा	,, ,,
		३० आवली खुर्द	,, ,,
२	पिड़ावा	१ खजूरी	,, ,,
		२ बेरखेड़ीकदीम	,, ,,
		३ उदलीयाखेड़ी	,, ,,
		४ सेमली खाम	,, ,,
		५ गोविन्दपुरा	,, ,,
		६ सवासड़ा	,, ,,
		७ अमीनपुर	,, ,,

१	२	३
	८ गमाना	५० प्रतिशत
	६ गेलानी	,, ,,
३ सुनेल	१ गैलाना	७५ ,,
	२ नन्दपुरा	५० ,,
	३ रूपखेड़ी	,, ,,
	४ सवांस	,, ,,
	५ रायपुर	७५ ,,
	६ कटकी	,, ,,
	७ पैड़ाखली	५० ,,
	८ दीवरखेड़ी (मूंडला)	७५ ,,
	६ दोबड़ा	५० ,,
	१० दोबड़ी	,, ,,
	११ गरवाड़ा	,, ,,
	१२ दीरिखेड़ा	,, ,,
४ बकानी	१ करलगांव	६२ ,,
	२ मोलकीया	१०० ,,
	३ पनियाखेड़ी	६५ ,,
	४ मोलकीया कलां	६६ ,,
	५ उम्मेदपुरा	५० ,,
	६ हरीपुरा	१६ ,,
	७ गणेशपुरा	४२ ,,
	८ भीभणीया	३८ ,,
	६ जगपुरा	४८ ,,

१	२	३
	१० बांसखोयरा	६२ प्रतिशत
	११ बकानी	४८ ,,
	१२ लालीयाखेड़ी	६३ ,,
	१३ भूमाड़ा	६१ ,,
	१४ भूमाड़ी	१०० ,,
	१५ नपानीयादल्ला	५० ,,
	१६ देवनगर	८७ ,,
	१७ शोपुरा	६५ ,,
	१८ खाचरोद	६६ ,,
	१९ मोतीपुरा	१३ ,,
	२० कोटड़ा घटा	१०० ,,
	२१ थोबड़ियाकलां	५६ ,,
	२२ रेपला	५ ,,
	२३ थोबड़ियाकलां	६३ ,,
	२४ रामचन्द्रपुरा	४४ ,,
	२५ रामपुरिया	७३ ,,
	२६ दांता	८५ ,,
	२७ मानपुरिया	२ ,,
	२८ भिन्दाखेड़ा	– ,,

१	२	३
	२६ मानपुरा	२५ प्रतिशत
	३० बावड़ीखेडा	१८ ,,
	३१ काटडीखेडा	७ ,,
	३२ कुशलपुरा	१०० ,,
	३३ गणेशपुरा	,, ,,
	३४ नीमखेडा	४३ ,,
	३५ हरीपुरा	११ ,,
	३६ गोरधनपुरा	१६ ,,
	३७ कालीयाखेडी	१०० ,,
	३८ गोपालपुरा	६३ ,,
	३६ शोपुरा	३३ ,,
	४० गिरधरपुरा	६८ ,,
	४१ टोकडो	२८ ,,
	४२ धारली	,, ,,
	४३ पीपल्यानगुगा	३६ ,,
	४४ गरवाडा	८३ ,,
	४५ पोली	५० ,,
	४६ राजपुरा	३३ ,,
	४७ सकतपुरा	५० ,,
	४८ मोडखेडी	६३ ,,

१	२	३
	४६ देवरी	८६ प्रतिशत
	५० कारडगरी	६३ ,,
	५१ पचपीपल्या	२२ ,,
५ डग	१ आवर	२५ ,,
	२ शेखपुरा	१५ ,,
	३ लाडखेडा	२१ ,,
	४ झाझती	२१ ,,
६ झालरापाटन	१ कनवाड़	२५ ,,
	२ ढाबलीखुर्द	,, ,,
	३ बावडीखेडा	,, ,,

———

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १ यु. एस. की उत्तर देखिये)

क्र. सं.	नाम आसामी	वसूली का विवरण सम्वत्	रकम	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
१	खेता व अमाना विसरान रामकिशन जाट,	२०११	२५।=।	
	साकिन खियेरा	२०१२	२५।=।	
२	मूला वल्द गोरधन कौम चमार	२०११	१६–।।	
	साकिन खियेरा	२०१२	१६–।।	
३	देमा वल्द काना कौम नाई	२०१०	१७।)।।।	
	साकिन खियेरा	२०११	१७।)।।।	
		२०१२	१७।)।।।	
४	ज्ञाना वल्द आसा कौम खाती	२०१०	१८।।)।	
	साकिन खियेरा	२०११	१८।।)।	
		२०१२	१८।।)।	
५	भेरा वल्द भोमा खाती	२०११	१७।=)	
		२०१२	१७।=)	
६	उदा वल्द मोती भादवा	२०११	८।।=)	
		२०१२	८।।=)	
७	पुर्खा वल्द मोती जाट साकिन भादवा	२०११	१३।)।।।	
		२०१२	१३।)।।।	
८	सुखा वल्द मोती जाट साकिन भादवा	२०११	१४–)।।।	
		२०१२	१४–)।।।	

१	२	३	४	५
९	लूणा वल्द मघा जाट साकिन खियेरा	२०११	१६॥)।	
		२०१२	१६॥)।	
१०	पुरखचन्द वल्द चौथमल महाजन साकिन खोखराना	२००६	८=)	
		२०१०	२॥=)	
		२०११	११॥–)॥	
		२०१२	११॥–)॥	
११	नथा वल्द धना कौम जाट साकिन खोखराना	२०११	२॥=)॥।	
		२०१२	२॥=)॥।	
१२	बालू वल्द गनेशा कौम नाई साकिन खोखराना	२०११	४।–)	
		२०१२	४।–)	
१३	राऊ वल्द जीवन जाट साकिन खोखराना	२००६	१०॥–)॥	
१४	श्रीराम वल्द भीया साकिन खोखराना	२००६	३।–)।	
१५	पेरू वल्द नेता छीपा साकिन खोखराना	२००६	६=)	
१६	नानू वल्द मूला कौम जाट साकिन खोखराना	२००६	६॥=)	
१७	सरदारा वल्द हीरा जाट साकिन खोखराना	२००६	१२)	
१८	शेरा वल्द भिराम कौम जाट साकिन खोखराना	२००६	३॥≈)।	
१९	कुमा वल्द जीवन कौम जाट गौदारा साकिन खोखराना	२०११	३७।–)॥।	
		२०१२	३७।–)॥।	
२०	काना वल्द देवा कौम जाट साकिन खोखराना	२००६	७–)	
		२०११	८)॥	
		२०१२	८)॥	

१	२	३	४	५
२१	सुखा वल्द रावत जाट साकिन खोखराना	२००८	५।।=)।।	
		२००६	१२)।	
२२	हीरा वल्द रामू जाट साकिन खोखराना	२००६	३१।।≥)	
		२०११	३०=)	
		२०१२	३०=)	
२३	चेतन वल्द मोती कौम जाट साकिन खोखराना	२००६	१३।)	
		२०११	१७।।।≥)	
		१०१२	१७।।।≥)	
२४	नानकचन्द वल्द छोगमल महाजन खोखराना	२००६	६।।=)	
		२०११	८।।।≥)।।	
		२०१२	८।।।≥)।।	
२५	खेता वल्द अरजन कौम जाट साकिन खोखराना	२००६	६।।।≥)	

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, २७ मार्च, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५०४८	२	कान्ट्रोल	कन्ट्रोल
,,	२५	प्रेश	प्रवेश
५०४९	३	बा	बारे
५०५६	७	रावल श्री नरेन्दसिंह	रावल श्री नरेन्द्रसिंह
,,	१५	हुई हैं	हुए हैं
५०५७	१८	रखी कई सूचि	रखी गई सूची
५०६०	शीर्ष	श्री मोतीबाब चौधरी	श्री मोतीबाबा चौधरी
,,	५	वनूली	वसूली
५०६१	३,४,५	५३४. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) [रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) द्वारा पूछा गया] :	५६४. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) [डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया] :
५०७५	५	लो वे मिडल	लो व मिडल
,,	१४	दी गई।	दी गई है।
५०८०	६	Puetion	question
५०८१	१४	That's is	That's
५०८२	२२	खराब	खराबा
५०८७	२७	क्यां	क्या
५०८८	१४	अध्यापकाओं	अध्यापिकाओं
५०९०	७	wfther	whether
५०९०	१७	doos	does
५०९१	२३	लिपिकों	लिपिक
५०९२	३२	incumbentso	incumbents
५०९३	३२	Biiainager	Bijainagar
६०००	१९	को	की
६०००	२१	लखाड़िया	लसाड़िया
६००१	८	पे :-	पेन्डिग हैं:-
६००५	६	श्री मरूपराम परिहार	श्री मनरूपराम परिहार
६००६	२	बरती	बरते
,,	२२	Mojor	Major

१	२	३	४
६००६	२६	Major Mead	Major Head
६००७	१२	की कटौती जाय	की कटौती की जाय
६००८	२	by Rs.	by Re.
६००६	२८	समाात	समाप्त
६०१२	शीर्ष	(डॉ० दलीपसिंह)	(श्री दलीपसिंह
,,	१६-२०	नजदाक	नज़दीक
,,	२२	मुतक्लिक	मुताल्लिक
६०१४	२८	श्री भैरोंसिंह (श्री मोधोपुर)	श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर)
६०१५	१५	मिनिस्टर ने	मिनिस्टर थे
२०१६	शीर्षक	मुख्य शीर्पक	मुख्य शीर्षक
६०२०	२८	अपीलां	अपीलों
६०२१	१	श्री भीमसेम	श्री भीमसेन
,,	११	श्री भीलसेन	श्री भीमसेन
,,	१५	Horse	House
,,	१६	it. is very	it. It is very
,,	,,	meamber	member
६०२२	१३	इवेक्युई	इवेक्यु
६०२३	५	नामान्तग	नामान्तरण
६०२३	१२	राइस	राइट्स
६०२४	२८	उन्हे	उन्हें
६०२७	८	सरदारसिंह	सरदारसिंह
,,	३२	,,	,,
६०२८	१०	कोई भी कोई सहायता	कोई भी सहायता
६०३०	शीर्ष	(रावराजा श्री सरदारसिंह)	इसे विलोपित समझिये
६०३२	११	तकलीक	तकलीफ
६०३३	३३	abolitition	abolition
६०४४	शीर्षक	शीर्पक ७-२७ मार्च, ७६१-	शीर्षक ७-२७ मार्च, ६१
६०४८	शीर्ष	श्री मनरूपराम परिहर)	(श्री मनरूपराम परिहार)
६०५०	६	पेमिली	फेमिली
६०५४	११	वेरे	बेरे
,,	३२	वगैर	बगैर
६०५५	३१	चीयोड़ी	बीघोड़ी
६०५७	५	कबिज	काबिज

१	२	३	४
६०६६	शीर्ष	(श्री नाथूलाल)	(श्री नाथूराम)
६०६७	शीर्षक	भू–राजज्व	भू–राजस्व
६०६८	शीर्ष	(श्री नाथूलाल करोल)	(श्री शिवनाथसिंह)
६०७०	शीर्षक	२४ मार्च, ६१	२७ मार्च, ६१
६०७८	शीर्ष	(श्रीमती सुत्रित्रा देवी)	(श्रीमती सुमित्रा देवी)
,,	१६	लगात	लगान
६०८२	शीर्षक	शीक	शीर्षक
६०८४	शीर्ष	(श्री सोहनलाल सुखाड़िया)	(श्री सोहनलाल भटनागर)
६०८६	,,	(श्री सोहनलोल भटनागर)	(श्री सोहनलाल भटनागर)
६०६४	२२	सावता	सावित
६०६७	८	डॉ० बहादुरसिह	डॉ० बहादुरसिंह
७००६	२३	श्री सतीचशन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
७००८	८	इन्द्रज	इन्द्राज
७०२८	शीर्ष	(श्री भैरोंसिह)	(श्री भैरोंसिंह)
७०३०	शीर्षक	मुख्य शीर्षक	मुख्य शीर्षक
७०३८	२०	श्री दयाकृष्ण विजय	श्री दयाकृष्ण विजय
७०४१	२२	शिड्यूल्ट	शिड्यूल्ड
७०५८	२६	thre	there
७०६२	शीर्ष	(श्री दामोदरलाल व्यास	(श्री दामोदरलाल व्यास)
७०६६	शीर्षक	बू–राजस्व	भू–राजस्व
७०७२	शीर्षक	२७७ मार्च, ६३	२७ मार्च, ६१
७०८०	,,	२१ मार्च, ६१	२७ मार्च, ६१
७०८२	,,	२४ मार्च, ६१	२७ मार्च, ६१
७०८४	३	तया	तथा
८००१	सीरियल ६	१ कनवाड़	१ कनवाड़ा
८००२	२	की	का

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
५०४६	८	तार प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
७०८४	४	(Caltle Breeding)	(Cattle Breeding)
७०६२	शीर्षक	परिशष्ट	परिशिष्ट
शुद्धि पत्र का पृष्ठ २	१३	२०१६	६०१६

नोट :— पृष्ठ ५०६६ के पश्चात् जो स्कम्भ संख्यायें लगी हैं, वे त्रुटिमय हैं। इन्हें ५१०० से ५३०४ तक स्कम्भ संख्यायें समझें।